©

Official Languages Wing
Ministry of Law & Justice
संशोधन अनुभाग
Correction Section

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

सत्यमेव जयते

विधिक दस्तावेजों के मानक प्रारूप

STANDARD FORMS OF LEGAL DOCUMENTS

जिल्द V
Vol. V

1987
राजभाषा खंड
OFFICIAL LANGUAGES WING

विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूप की जिल्द V के द्विभाषीय संकलन का शुद्धिपत्र

Corrigenda of the Series of Compilation of the Standard Forms of Legal Documents, Volume V in diglot Form.

पृष्ठ/ Page	धारा/ Section	पंक्ति/ Line	के स्थान पर/ For	पढ़ें/ Read
1	2	3	4	5
Preface	—	3	for arrangements	for agreement
प्राक्कथन	—	2	संविद पट्टे,	संविदा, पट्टे,
प्राक्कथन	पैरा–3	1	कार्यालय मे	कार्यालयों में
(ii)	6	—	आवेतन	आवेदन
5	2.4 (शीर्ष)	3	और एसी	ऐसी.
5	2.5 (शीर्ष)	1	आपत स्थिति।	आपात स्थिति।
7	2·14 side margin	—	Damagis	Damages.
8	2·18 side margin	2	contact	contract
9	2·22	5	workmen's compensation Act, 1923	Workmen's Compensation Act, 1923
11	2.22 पैरा-2	2	आपजीजनक	आपत्तिजनक
13	प्रविष्टि (2)	5	उमर,	उनका
13	प्रविष्टि (5)		र वपत	खपत
13	टिप्पण	—	र वराब	खराब
14	Entry 10	1	to other	to another
14	प्रविष्टि (10)	3	प्रन्तरण	अंतरण
14	2.38 का पार्श्व शीर्ष		"दरें लागू करने का अधिकार।" रूप में पढ़ें	
14	2.38 (ii)	4	और सा	और ऐसा
15	2.38 (ii)	4	—कार्य-आदेश	——द्वारा कार्य-आदेश
15	2.39 पार्श्व शीर्ष	1	नियोजन क	नियोजन के
15	2.40 पार्श्व शीर्ष	1	ठका श्रम	ठेका श्रम
15	2.40 (3) पार्श्व शीर्ष	2	वसली	वसूली
16	2.41	14	(स्पष्ट अक्षरो में)	(स्पष्ट अक्षरों में)
20	सत्यापन का लघु शीर्ष	"उस स्थिति में भरा जाए जब निविदाएं फर्मों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं" रूप में पढ़े।		
20	शीर्ष	3	बेरोजगार	बेरोजगार
22	3·9	6	date demand	date of demand
22	3·9(a)	1	rental for	rental charges for
22	3·19	10	cost of Examination of the	cost of examination the
23	3·19 (side margin)	1	Foreiture	Forfeiture
23	3·20	3	Pepeated	Repeated
23	3·21	1	infringnent	infringement
23	3 12 (पार्श्व-शीर्ष)	2	हटना जाना	हटाया जाना
23	3.20 (पार्श्व-शीर्ष)		"शर्तों का भंग और जुर्माना।" रूप में पढ़ें।	
24	3·22	9	provision	provisions
24	3·25	3	the Central Manager	the General Manager
24	3·27	1	given on	given and all actions to be taken on
24	3.23 (पार्श्व शीर्ष)	—	क्षतिपूति	क्षतिपूर्ति।

1	2	3	4	5
24	3.23	3	सेवकों	सेवकों
24	3.23	9	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
24	3.25	5	मध्यस्थम	माध्यस्थम्
25	4·6	4	clause (B)	clause 4·7
25	4·7 (a) and (b)		(a)........ ..on	"(a)....percent on
25	4·11	1	elec-lights	electric lights
25	4·12(a)	3	inferfere	interfere
25	4.2	1	बदल ो	बदलने
25	4.6	3	खण्ड (8)	खण्ड 4.7
26	4·13	2	damages cost,	damages, cost,
26	4.12 (ख)	2	बिगा उता, है	बिगाड़ेगा,
26	4.12 (ख)	3	व पिस	वापस
26	4.15 के पश्चात् शीर्ष "रेल अस्पताल के कपड़ों की धुलाई के लिए करार —रेल" रूप में पढ़ें।			
27	—	1	day of......198	day of 198....
27	5.2	2	ेलाइ	धुलाई
27	5.3	2	निमत सकाय	नियत समय
28	5·10 (side margin)	2	sublitting	subletting
28	5.6	2	के लि	के लिए
28	5.6	7	गए हैं।	गए हों ।
28	5.8 (पार्श्व शीर्ष)	—	24 घंठे	24 घंटे
28	5.10	6	समुदेशित	समनुदेशित
29	5.15 (पार्श्व-शीर्ष)	—	परिवर्तया	परिवर्तन
29	5.16	10	क्षतिपर्ति।	क्षतिपूर्ति।
29	5.16	10	अन्यया	अन्यथा
30	5.23 (पार्श्व-शीर्ष)	—	स्टाम्प खर्च।	स्टाम्प खर्च।
31	5.24 („)	—	तामिला	तामील।
31	6.1 („)	1	शर्ती	शर्तों
33	7·7(1)	4	are to	are to be
33	7.3 ( )	2	ओर उनकी और	और उनकी ओर
33	7.7 (पार्श्व शीर्ष)	—	अग्रीम धन।	अग्रिम धन।
33	7.7 (2) (ख)	4	रटांप पत्र	स्टांप पत्र
34	7.8	5	गाई है।	गई है
34	7.8	9	रकी	रखी
35	7.14 (क)	2	एगी।	जाएगी ।
36	8.1 (पार्श्व-शीर्ष)	"करार के पक्षकार।" रूप में पढ़ें।		
37	8·3(d)	1	smalls packages	small packages
39	8 V(7)	2	उल्लिखत	उल्लिखित
41	8 Vii	7	अ ीन	अधीन
44	8 XX(9)	6	पासलों	पार्सलों
45	8 XX(14)	5	laoourer	labourer
45	8 XX(14)	5	कारण कार्यों का निष्पादित	कारणवश, कार्यों का निष्पादन
45	8 XX(18) पार्श्व शीर्ष	—"बोर्डों का प्रदाय।" रूप में पढ़ें।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	8 XXVI (पार्श्व शीर्ष)	—	"माध्यस्थम् खण्ड ।" रूप में पढ़ें ।	
47	8 XXVIII	10	स्यिति	स्थिति
47	अनुसूची "क" (अ)	1	पासलों	पार्सलों
48	9.2 (क) (पार्श्व शीर्ष)	2	बकिंग	बुकिंग
48	9.2 (क)	2	सीधें	सीधे
49	9·3 (1)	1	markea	marked
49	9.4	3	लागर	लागू
50	9.6 पैरा 3	4	कर्मचारीयों	कर्मचारियों
50	9.6 पैरा 3	4	जान पर,	जाने पर,
51	10·1	2	the Carriers....1865	the Carriers Act, 1865 (Act 3 of 1865)
53	11.3	5	जणना	गणना
53	11.4	3	विनिदशों	विनिर्देशों
54	11.10 (पार्श्व शीर्ष)	—	शर्तें	शर्तें
54	11.10	4	अवसन	अवसान
55	11.11	7	रीति करे।	रीति से करे।
56	11.17	1	के अपने के आशय	के अपने आशय
59	12·12	1	deermination	detei mination
60	12·18 side margin reads as "Manner of giving Notices".			
60	12.15 का पार्श्व शीर्ष "विधिक व्यय, स्टांप शुल्क, आदि ।" रूप में पढ़ें ।			
60	12.16 पैरा 2	5	दशा में सके	दशा में उसके
60	12.17	2	लिखित रू	लिखित रूप
60	12.17	9	मांग करने, वसूल करके	मांग पर, वसूल करने
61	13·3	4	unsuccessful tenders.	unsuccessful tenderers.
62	14·1	4	Office Delhi, upto 1500	Office......, upto 15·00
62	14·3 side margin reads as "Tender should be legible."			
62	14·6	1	14·6 Security Deposit: This	14·6 This
62	14.6	1	14.6 प्रतिभूति-निक्षेप : रेल	14.6 रेल
63	After 14·17 read "For Divisional Superintendent, ...Rly.,...."			
63	Before 15·1 (Heading)	1	Stands at	Stand at
64	15·3	2	Northern Railway, Delhi	......Railway ......
64	Heading after 15·5 read as "Agreement for cycle/scooter stand at .... Railway Station ....Railway".			
64	Paragraph before 16·1	4	and assigns of	and assignees of
64	16.2 (पार्श्व शीर्ष)	—	साइकिल स्टेंड	"साईकिल स्टेंड"
64	16.2	2	साइकिल स्टेंड	"साईकिल स्टेंड"
64	16.4 (पार्श्व शीर्ष)	1	रेट्रों, करों	रेटों, करों
65	16.8	2	रे प्रशासन	रेल प्रशासन
66	16·12	2	workmen compensation Act, 1923	Workmen's Compensation Act, 1923
66	16·12	4	workmen	workman
66	16·14 Side Margin read as "Compliance of Employment of Children Act, 1938".			
66	16.24	5	न तारीख	ने तारीख
68	17.2	2	सरपत्ति	सम्पत्ति
69	17.5	2	जालीदा	जालीदार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69	17.5	8	स्वच्य	स्वच्छ
70	17.9	11	धनर.शियो	धनर.शियों
71	17.18 (पार्श्व-शीर्ष)	1	द्भापिक	सद्भाविक
71	17.18 („)	3	वंपित	वंचित
72	17.20 („)	1	अनुज्ञीप्तधारी	अनुज्ञप्तिधारी
72	17.22	1	्नुज्ञप्तिधारी	अनुज्ञप्तिधारी
72	17.24 (पार्श्व शीर्ष)	1	खाद्य पद.र्थो	खाद्य पदार्थों
72	17.27	2	रखे ा।	रखेगा।
73	17.28	3	उनुमोदित	अनुमोदित
74	17·39	4	liaole	liable
74	17.35 (पार्श्व शीर्ष)	—	प्रतिभति निक्षेप	प्रतिभूति निक्षेप।
74	17.39 („)	1	जुर्मान	जुर्माना
74	17.39क („)	1	जम न	जुर्माने
75	17.41	4	उन ा	उनमें
76	17.50	2	तुरन्त को देगा	को तुरंत देगा
77	17.57 (पार्श्व शीर्ष)	3	विकल्य	विकल्प
78	17.60	6	निशित	निश्चित
78	17.63	1	अन्यता	अन्यथा
80	18.11 के पश्चात्	—	(a) In the........	In the..........
80	18.9	2	अनुज्ञाप्तधारी	अनुज्ञप्तिधारी
81	18·11	1	cost all of all	cost of all
83	" अ "	7	82 IX	81 X
87	" ब " अन्तिम पंक्ति में		(8.XX 19)	8.XX (9)
88	"भ" पंक्ति—4 के पश्चात् "भाड़ा स्थान-प्रभार— 8. XXIV" पढ़ें			
88	"म"	6	17.17	17.18
88	"म"	7	5.25	5.22
88	"म"	14	संथाय	संदाय
89	"व"	2	8. XXIV, 11,13,12.15	8.XXVII, 12.15
91	"C"	second line read as "carrying coal or coke, chemical analysis of edibles........ 17·24"		
91	"C"	6	changes, calculation of	≃ calculation of
91	"C"	delete 11th line.		
94	"I"	2	Ingress or egress	Ingress or egress to platform
94	"L" licence	8th line read as "Licences, services to be Provided by the...... 17·20."		
94	"M"	line 5th read as "Meter reading........18·4"		
95	"P"	17	prompt	profit
95	"P"	23	supervison	supervision
96	"P"	line 3 read as "on construction of structure......3·7"		
96"R"	line 15	—	porke etc.	pork etc.
96"R"	line 16 read as "Restriction of sale of banned literature".			
96"R"	line 27 read as "Rules, strict observance of.			
96"S"	line 2 "in . of alrated water only."			
98"S"	line 11 read as "Stockirg of coal or coke".			
97"S"	line 21 read as "—, adequate stock of".			
97"T"	line 10 read as "—, withdrawal of"			

MGIPCBE—S4—2 M of L&J 85—31-3-88—5000.

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

सत्यमेव जयते

विधिक दस्तावेजों
के
मानक प्ररूप

STANDARD FORMS
OF
LEGAL DOCUMENTS

जिल्द V
Vol. V

1987
राजभाषा खंड
OFFICIAL LANGUAGES WING

प्राक्कथन

यह विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूपों के द्विभाषीय संकलन (हिंदी-अंग्रेजी) की श्रृंखला में पांचवीं जिल्द है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार यह आवश्यक है कि करार, संविदापट्टे, बंधपत्र, बंधक पत्र, निविदा, आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हों। राजभाषा अधिनियम, 1963 की अपेक्षाओं का पालन सुगमता से हो सके इस दृष्टि से विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने ऐसी दस्तावेजों के जो अधिक प्रयोग में आती हैं, चार संकलन द्विभाषीय रूप में निकाले हैं। पहला संकलन जून, 1978 में, दूसरा जून, 1979 में, तीसरा जनवरी, 1983 में और चौथा सितंबर, 1983 में प्रकाशित हुआ था।

इन सभी संकलनों का भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों के अतिरिक्त सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकारों में भी स्वागत हुआ। इससे हिंदी के प्रयोग में प्रगति हुई।

भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा लोक उपक्रम है। गत वर्षों में रेलों में विभिन्न स्तरों पर हिंदी के प्रयोग में सराहनीय वृद्धि हुई है। राजभाषा खंड ने भी सहस्रों पृष्ठों की विधिक सामग्री का अनुवाद रेल मंत्रालय के लिए तैयार किया है।

रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय मे प्रयोग किए जाने वाले आठ मानक विधिक दस्तावेजों के हिंदी और अंग्रेजी पाठ इस संकलन में हैं।

प्राप्त सुझावों को ध्यान में रख कर इस संकलन के अंत में एक अनुक्रमणिका भी जोड़ दी गई है।

आशा है कि यह संकलन भी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए और विशेष रूप से भारतीय रेल से संबद्ध कार्यालयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली,
1 जनवरी, 1987

ब्रजकिशोर शर्मा,
अपर सचिव, भारत सरकार।
राजभाषा खंड, विधायी विभाग,
विधि और न्याय मंत्रालय,
भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110 001.

विषय-सूची

क्रम सं०	विषय वस्तु	पृष्ठ सं०
1.	लोको शैड पर कोयले की उठाई-धराई की संविदा के लिए निविदा देने की विस्तृत शर्तें, करार और निविदा आवेदन प्ररूप	1
2.	.....शैड और उसकी अधिकारिता के अधीन उप-शैडों, स्टेशनों और पम्प घरों पर कोयले की उठाई-धराई की संविदा के लिए करार	2
3.	बुक स्टाल-ठेकेदारों के साथ करार का मानक प्ररूप--बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टालों का आबंटन	20
4.	....के बुक स्टाल में लगाई गई बिजली की बत्तियों के लिए निबंधनों का ज्ञापन	25
5.	रेल अस्पताल के कपड़ों की धुलाई के लिए करार	27
6.	सिटी बुकिंग एजेंसी के कार्यकरण के लिए निविदा की शर्तें, निविदा आवेदन और करार की शर्तें	31
7.	.......में सिटी बुकिंग एजेंसी के कार्यकरण के लिए निविदा की शर्तें . .	32
8.	सिटी बुकिंग एजेंसी के लिए करार का प्ररूप	36
9.	........सिटी बुकिंग एजेंसी के कार्यकरण के नियम	48
10.	सिटी बुकिंग एजेंसी को लागू होने वाली साधारण शर्तें	51
11.	रेल-भूखंड के उपयोग की अनुज्ञप्ति के लिए करार ज्ञापन	52
12.	रेल-भूमि के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति	57
13.	रेल स्टेशन पर साइकिल/स्कूटर स्टैंड की संविदा के लिए निविदा और करार . .	61
14.	निविदाकारों के लिए अनुदेश	62
15.	..............रेल स्टेशन पर साइकिल/स्कूटर स्टैंड की संविदा के लिए निविदा .	63
16.	...........स्टेशन पर साइकिल/स्कूटर स्टैंड के लिए करार . . .	64
17.	जलपान गृह/उपाहारगृह के लिए करार	68
18.	...........स्थित............जलपान गृह/उपाहारगृह में लगाई गई फिटिंगों का ब्यौरा	79

लोको शेड पर कोयले को उठाई-धराई की संविदा के लिए निविदा देने की विस्तृत शर्तें, करार और निविदा आवेदन प्रारूप

................रेल

यांत्रिक विभाग

.... शेड पर.......... ....तक कोयले की उठाई-धराई की संविदा के लिए निविदा देने की विस्तृत शर्तें

1.1 ....लोको शेड पर और................छोटे उप-शेडों तथा इस संविदा में सम्मिलित...................पर कोयले की उठाई-धराई के संबंध में अनुभवी तथा प्रतिष्ठित ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। तारीख.............से एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष के लिए प्रदान की जाने वाली संविदा के लिए अलग-अलग दरें विनिर्दिष्ट की जाएं। **निविदा-आमंत्रण।**

1.2 निविदाकारों को चाहिए कि वे करार के निबंधनों के अनुसार (करार की प्रति संलग्न है) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति से अपने आप को पूरी तरह से अवगत कर लें। निविदाकारों को विशेष रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि कार्य, जो इस समय किसी शेड, उप-शेड या पम्प स्टेशन पर किया जा रहा है की मदों को रेल की आवश्यकताओं के अनुसार संविदा की अवधि के दौरान परिवर्तित किया जा सकता है। **चेतावनी।**

1.3 रेल प्रशासन निविदत्त दरों में से किसी दर को स्वीकार कर सकेगा और जब रेल प्रशासन एक बार निविदाकार को किसी दर की स्वीकृति संसूचित कर देता है तब वह दर संविदा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रवृत्त रहेगी। **दर स्वीकार करना।**

1.4 सभी निविदाएं संलग्न प्रारूप में भारत संघ के राष्ट्रपति को, जो मण्डल अधीक्षक,...... .. रेल,.............के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, संबोधित करके मुहरबंद लिफाफों में भेजी जानी चाहिएं जिन पर "कोयले की उठाई-धराई की संविदा" लिखा होना चाहिए। ये निविदाएं मण्डल यांत्रिक इंजीनियर, ...के पास रजिस्टर कराई जानी चाहिएं और उसके बाद उन्हें इस प्रयोजन के लिए रखे गए मुहरबंद बक्से में तारीख.................को..............बजे तक जब, जब निविदाएं सार्वजनिक रूप से खोली जाएंगी डाल दिया जाना चाहिए। **निविदा भेजने की रीति**

1.5 जब एक बार संविदा किसी ठेकेदार को प्रदान कर दी जाती है और वह उस पर हस्ताक्षर कर देता है तब संविदा की अवधि के दौरान दरों में कोई वृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी। यदि किसी कारण से कार्य की किसी नई मद को सम्मिलित करना आवश्यक पाया जाता है तो कार्य की उस मद के लिए दर मण्डल अधीक्षक द्वारा नियत की जाएगी और ठेकेदार को उस दर पर कार्य करना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ है तो मण्डल अधीक्षक सम्पूर्ण संविदा रद्द करने और नई निविदाएं आमंत्रित करने का हकदार होगा। **स्वीकृत दरों में वृद्धि नहीं।**

1.6(1) प्रत्येक निविदाकार को, संविदा की प्रकृति और उस शेड का नाम, जिसके लिए अग्रिम धन निक्षेप किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए,............रुपए मूल्य का अग्रिम धन मण्डल, खजांची..............रेल, ...के पास निक्षिप्त करना होगा और मण्डल खजांची द्वारा जारी की गई रसीद (मूल रूप में) इससे संलग्न विनिर्दिष्ट प्रारूप में निविदा के साथ भेजनी होगी। अग्रिम धन निक्षेप, मण्डल खजांची को.................रेल के मण्डल मुख्यालय स्टेशन के माध्यम से स्टेशन के उपार्जनों के साथ भी भेजा जा सकता है और ऐसी दशा में उन स्टेशनों के, जिनके माध्यम से स्टेशन के उपार्जनों के साथ यह रकम मण्डल खजांची को भेजी गई थी, स्टेशन मास्टर या माल बाबू द्वारा जारी की गई रसीद संलग्न की जानी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक का... ....रुपए का गारंटी बंधपत्र भी अग्रिम धन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। **अग्रिम-धन का निक्षेप**

निविदा की प्रस्थापना।

(2) निविदाकार, प्रस्थापना प्राप्त करने के लिए नियत तारीख से 30/60/90 दिन की अवधि तक प्रस्थापना को खुला रखेगा। यह समझ लिया गया है कि निविदाकार की ओर से इस अनुबंध के प्रतिफलस्वरूप उसे निविदा-दस्तावेजें बेची गई हैं / जारी की गई हैं और निविदा करने की अनुज्ञा दी जा रही है कि वह अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् अपनी प्रस्थापना से पीछे नहीं हटेगा या उसके निबन्धनों और शर्तों को ऐसी रीति से उपांतरित नहीं करेगा जो मण्डल अधीक्षक, ... रेल.......... को स्वीकार्य न हो। यदि निविदाकार पूर्वगामी अनुबन्ध का पालन या अनुपालन करने में असफल रहता है तो पूर्वोक्त रकम सरकार द्वारा समपहृत की जा सकेगी।

निविदा का अंतिम होना।

1.7. जब कोई निविदाकार एक बार विनिर्दिष्ट प्ररूप में निविदा प्रस्तुत कर देता है तब यह समझा जाएगा कि उसने संविदा के निष्पादन के लिए करार के, जिसकी एक प्रति उसे निविदा-आवेदन प्ररूप के साथ दी गई है, खण्डों को पढ़ लिया है और उसकी अन्तर्वस्तुओं को समझ लिया है। पहले ही प्रस्तुत कर दी गई निविदा में किया गया कोई विशेषक, उपांतर या परिवर्तन अस्वीकार किया जा सकेगा।

आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र।

1.8. निविदाकारों को अपनी निविदाओं के साथ उस आयकर अधिकारी से, जिसके सर्किल में उनकी आय का आयकर के लिए निर्धारण किया जाता है, चालू आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र मूल रूप में संलग्न करना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर उनकी निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि कोई निविदाकार एक से अधिक संविदाओं के लिए निविदाएं करता है तो उसकी निविदाओं में से किसी एक निविदा के साथ प्रस्तुत किया गया प्रमाणपत्र अन्य सभी निविदाओं के लिए पर्याप्त होगा। किन्तु अन्य निविदाओं के साथ, उस निविदा का हवाला देते हुए जिसके साथ समाशोधन प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है, एक पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। ऐसे शरणार्थी ठेकेदारों को, जिन्होंने भारत में आने के पश्चात् अभी तक कोई कारबार नहीं किया है, आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट है, किन्तु उन्हें इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए कि वे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, कि उन्हें विभाजन से पहले संविदा के कार्यों का अनुभव था, कि उन्होंने भारत में आने के पश्चात् कोई कारबार नहीं किया है और निविदा किए गए संविदा कार्यों को करने के लिए उनके पास पर्याप्त पूंजी है। किन्तु, यदि उन्होंने भारत में आने के पश्चात् कोई कारबार किया है तो 15-8-47 के पश्चात् उस अवधि के संबंध में समाशोधन प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

शपथपत्र।

1.9. ऐसे ठेकेदार भी, जिनकी कोई कराधेय आय नहीं है और इसलिए वे कर समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं निविदा भेज सकते हैं, परन्तु यह तब जब कि उस आशय का ऐसा कोई सम्यक् शपथपत्र पेश किया जाए जिस पर, उसके सही होने के बारे में, आयकर अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों।

निविदा की वापसी।

1.9क. निविदाकारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि वे अपने अग्रिम धन के समपहृत हो जाने के जोखिम पर ही संविदा के लिए प्रस्तुत की गई अपनी निविदा वापस लेने के हकदार होंगे अन्यथा नहीं और ऐसा समपहरण पूर्णतः रेल प्रशासन और/या संबंधित प्राधिकारियों के विवेक पर होगा और निविदाकार इस प्रकार समपहृत की गई राशि के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे।

प्रतिभूति निक्षेप।

1.9ख. सफल निविदाकार द्वारा करार के निष्पादन के पूर्व, संविदा के अनुमानित मूल्य के 10 प्रतिशत का या 2,000 रुपए का, इनमें से जो भी अधिक हो, और जिसकी रेल प्रशासन द्वारा मांग की जाए, नकद प्रतिभूति निक्षेप विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर, जमा किया जाना चाहिए। उसके 2,000 रुपए के अग्रिम धन निक्षेप को उसके द्वारा जमा की जाने के लिए अपेक्षित नकद प्रतिभूति में विनियोजित कर लिया जाएगा। इस प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि सफल निविदाकार नियत तारीख तक अपेक्षित प्रतिभूति धन जमा करने या नियत समय तक और तारीख को संविदा की कार्रवाई करने या जब उससे ऐसा करने के लिए कहा जाए तब करार निष्पादित करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा प्रेषित अग्रिम धन और प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर लिया जाएगा।

निविदा स्वीकृति पर प्रतिभूति निक्षेप।

1.9ग. निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर सफल निविदाकार को संविदा के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। यदि विशेष शर्तों में विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा कथित नहीं किया गया है तो प्रतिभूति निक्षेप की शेष 5 प्रतिशत राशि प्रतिशत कटौती के आधार पर वसूल की जाएगी, जो सामान्यतः ठेकेदार के अन्तरिम बिलों की 10 प्रतिशत के बराबर होगी।

1.10. संविदा के समाधानप्रद रूप से पूरा हो जाने पर प्रतिभूति निक्षेप, ठेकेदार द्वारा रेल को देय कोई रकम सम्यक् रूप से वसूल करके, निवृत्त होने वाले ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा। **प्रतिभूति निक्षेप की वापसी।**

1.11. मण्डल अधीक्षक द्वारा, उस रेल अधिकारी की उपस्थिति में जिसे निविदाएं प्रस्तुत की गई थी, निविदाओं का अंतिम रूप से निपटान कर दिए जाने के तुरन्त पश्चात् असफल निविदाकारों का अग्रिम धन वापस किये जाने की व्यवस्था की जाएगी। अग्रिम धन निक्षेप वापस करने में हुए किसी विलम्ब के लिए कोई ब्याज या अन्य प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। **असफल निविदाकारों को अग्रिम धन की वापसी।**

1.12. ठेकेदार को, करार पर लगाई जाने वाली स्टाम्पों का खर्च रेल द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर, जमा करना होगा और ऐसा करने में असफल रहने पर संविदा को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और इस मद्दे जमा किया गया धन समपहृत कर लिया जाएगा। **स्टाम्प खर्च।**

1.13. यदि किसी अन्य ब्यौरे की आवश्यकता हो तो निविदाकार को संबंधित मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (शक्ति) से सम्पर्क करना चाहिए।

1.14 रेल के मण्डल अधीक्षक को निविदा एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष के लिए स्वीकार करने का अधिकार है। वह न्यूनतम या किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए या किसी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का कोई कारण बताने के लिए आबद्ध नहीं है। **निविदा स्वीकार करने का अधिकार।**

1.15. जिन निविदाओं को उचित रूप से नहीं भरा गया है और/या जिनमें से कुछ मिटाया गया है और परिवर्तन किया गया है उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि आवश्यकता हो तो विहित कीमत का संदाय करके नए प्ररूप प्राप्त किए जा सकते हैं किन्तु निविदाएं नियत समय के भीतर ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। **निविदाओं में कांटछांट।**

1.16. यदि निविदाएं फर्मों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं तो फर्मों के कारबार का नाम और अपनी फर्म का गठन (अर्थात् भागीदारों के नाम) निविदा आवेदन प्ररूप में दिए गए स्थान पर, घोषित करना चाहिए। **निविदा में फर्म के ब्यौरे।**

1.17. आशयित निविदाकार को प्रत्येक संविदा के लिए केवल एक प्ररूप दिया जाएगा। यदि दूसरे प्ररूप की आवश्यकता है तो पहले दिया गया प्ररूप नए प्ररूप की कीमत के साथ संबंधित मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (शक्ति) को वापस कर दिया जाना चाहिए। **एक ही निविदा-प्ररूप।**

1.18. निविदा आवेदन प्ररूप का और किसी विशिष्ट संविदा के लिए निविदा देने के लिए प्राप्त की गई अग्रिम धन रसीद का, केवल उसी संविदा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा निविदा अस्वीकार की जा सकेगी। **निविदा-प्ररूप और अग्रिम धन रसीद।**

1.19. ऐसे निविदाकारों को, जिन्होंने लोको-विभाग से कोई संविदाएं पहले नहीं की हैं, अपनी निविदाओं के साथ संविदा कार्यों के अपने पूर्व अनुभव और ठोस वित्तीय-स्थिति के सबूत संलग्न करने चाहिएं। ऐसा करने में असफल रहने पर उनकी निविदाएं अस्वीकार की जा सकेंगी। **अनुभव और वित्तीय-स्थिति का सबूत।**

1.20. यदि किसी निविदाकार या ठेकेदार का/के कोई नातेदार अथवा ठेकेदारों की फर्म या कम्पनी की दशा में उसके शेयरधारकों में से एक या अधिक शेयरधारक अथवा शेयरधारक (शेयरधारकों) का/के कोई नातेदार............ रेल के यांत्रिक/प्रचालन विभाग में राजपत्रित हैसियत में नियोजित है/हैं तो निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाएं आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना दी जाएगी और ऐसा करने में असफल रहने पर निविदा निरर्हित की जा सकेगी या यदि ऐसे तथ्य का बाद में पता चलता है तो संविदा, करार के निबंधनों के अनुसार, विखंडित की जा सकेगी। **नातेदारों द्वारा निविदा का प्रतिषेध।**

1.21. रेल को, इस करार की किसी एक शर्त या सभी शर्तों को, कोई कारण बताए बिना, परिवर्तित करने का अधिकार है। **शर्त परिवर्तन।**

मण्डल अधीक्षक, ...

....

उस ठेकेदार का नाम, जिसे यह प्ररूप बेचा गया है.............. .....

....................शैड और उसकी अधिकारिता के अधीन उप-शैडों, स्टेशनों और पम्प घरों पर कोयले की उठाई-धराई की संविदा के लिए करार।

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत संघ के राष्ट्रपति, जो मण्डल अधीक्षक, ... के माध्यम से . . . . रेल प्रशासन के कार्यपालक प्राधिकारी के रूप मे कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें आगे "प्रशासन" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में . . . ., जो श्री . . . . .का पुत्र और जिला . . . . .में .का निवासी है (जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख. . . . . .को किया गया। इसके उक्त पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:— **करार के पक्षकार।**

साधारण :

2.1. ठेकेदार, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ. . . . . .में विनिर्दिष्ट रेल के प्रत्येक रनिंग शैड, उप-शैड, स्टेशन और पम्प घर पर. .से प्रारंभ होने वाली और . . . . .को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त अनुसूची के स्तंभ . . . . .में क्रमशः प्रत्येक शैड, उप-शैड, स्टेशन या पम्प घर के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर रेल प्रशासन के समस्त कोयले और कोक को लादने, उतारने, जहां आवश्यक हो, प्रवहण या परिवहन करने और चट्टा लगाने का करार करता है। **संविदा कार्य के लिए करार।**

इस करार के सभी प्रयोजनों के लिए लदाई या उतराई पद के अन्तर्गत खाली किए गए वैगनों के फर्श को, प्रशासन के समाधानप्रद रूप में यथा अपेक्षित कोयले की धूल और कोयले की स्टैग से, जो ऐसी लदाई या उतराई के परिणामस्वरूप बिखर गई हो, मुक्त करने के लिए, बुहारना और साफ करना, तथा कोयले के ढेलों को तोड़ना और यांत्रिक कोयला संयंत्र की टांकरियों में कोयले की लदाई या उतराई अथवा कोयले को सिर पर ढोकर इंजन टेण्डरों में लादना या इंजन टेण्डरों से उतारना भी माना जाएगा।

2.2. ठेकेदार वैगनों से या इंजन टेण्डरो से 7 टन प्रति घण्टे की दर से कोयला उतारने के साथ-साथ उक्त रनिंग शैडों, उप शैडों, स्टेशनों या पम्प स्टेशनों के भीतर या बाहर प्रशासन द्वारा यथा अपेक्षित और उसके समाधानप्रद रूप में उसके चट्टे या ढेर लगाएगा और उसे रेल पटरियों से हटाएगा। कोयले के उक्त चट्टे या ढेर, कोयले के बड़े-बड़े टुकड़ों या ढेलों से दीवार की तरह सावधानी से बनाए जाएंगे। दीवारों की मोटाई नीचे से तीन फुट और ऊपर से अठारह इंच से कम नहीं होगी ताकि चट्टे या ढेर मजबूती से खडे रहें और प्रत्येक चट्टे या ढेर का ऊपरी भाग प्रशासन के निदेशानुसार अधिक से अधिक 5 फुट की एक सी ऊंचाई तक समतल किया जाएगा और यदि कोयले के उक्त चट्टे या ढेर गलत ढंग से चट्टे लगाए जाने के कारण गिर जाते हैं या उनका आकार बिगड़ जाता है (इस संबंध में प्रशासन एकमात्र निर्णायक होगा) तो ठेकेदार अपने खर्च और व्यय पर ऐसे चट्टों या ढेरों के कोयले के पुनः चट्टे लगाएगा। यदि कोयला अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है और आने वाले सारे कोयले को पांच फुट ऊंचे चट्टे लगाकर रखना संभव नहीं है तो प्रशासन ठेकेदार को सात फुट तक ऊंचे चट्टे लगाने का निदेश दे सकेगा और ठेकेदार उसके लिए अतिरिक्त संदाय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। यदि ठेकेदार इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो वह चट्टे न लगाए गए समस्त कोयले के लिए 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा, जो ठेकेदार को देय रकमों में से वसूल कर ली जाएगी। ठेकेदार वैगनों से उतारे गए कोयले या कोक का धानियों में या भण्डारकरण के लिए जुटाए गए अन्य पात्रों में ढेर या चट्टे लगाएगा। **कोयले या कोक के चट्टे लगाना।**

2.3 ऐसे रनिंग शैडों या स्टेशनों पर, जहां इंजन शक्ति उपलब्ध न हो या उसका प्रदाय करना सुविधाजनक न हो वहां ठेकेदार कोयले या कोक के वैगनों को उन स्थानों तक, जहां उन्हें, यथास्थिति, लदाई या उतराई के लिए खड़ा करना अपेक्षित हो, अपने व्यय पर हाथ से शंटिंग करके पहुंचाएगा। **हाथ से शंटिंग।**

लदाई-उतराई वाले वैगनों की संख्या और एसी लदाई-उतराई के लिए अनुज्ञात समय।

2.4. ठेकेदार यह करार भी करता है और अपने आपको आबद्ध करता है कि वह प्रत्येक शैड पर प्रतिदिन प्रस्तुत किए गए वैगनों की उसी दिन 3/5/8 कार्य-घंटों के दौरान, जो प्रशासन द्वारा समय-समय पर उन कार्य आदेशों के माध्यम से सुचित किए जाएंगे और जो उस समय से आरंभ होंगे जब वैगन लदाई या उतराई स्थल पर खड़े किए जाएंगे, लदाई या उतराई कराएगा। जितने वैगनों की लदाई या उतराई की जानी है वे एक लाट या अधिक लाटों में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। लदाई या उतराई का कार्य केवल 6.00 बजे पूर्वाह्न से 10.00 बजे अपराह्न के बीच अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु प्रत्येक वैगन या वैगनों के लाट के लिए केवल 3/5/8 कार्य के घंटे ही अनुज्ञात किए जाएंगे, जिनकी गणना प्रत्येक वैगन या वैगनों के लाट को लदाई या उतराई स्थल पर खड़े किए जाने के समय से की जाएगी।

प्रकाश व्यवस्था।

ऐसे शैडों में, जहां प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है या प्रशासन द्वारा प्रकाश के लिए की गई व्यवस्था अपर्याप्त है वहां ठेकेदार आवश्यक प्रकाश की व्यवस्था अपने खर्च पर करेगा।

वैगनों का प्रदाय।

प्रशासन किसी भी दिन लदाई या उतराई के लिए दिए जाने वाले वैगनों की संख्या के संबंध में ठेकेदार को पूर्व सूचना देने के लिए अपने आपको आबद्ध नहीं करता है और समय-समय पर लदाई या उतराई के लिए या अन्यथा खड़े किए जाने वाले वैगनों के बारे में स्थिति से अवगत रहने की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।

श्रमिक नियोजन।

ठेकेदार को अपेक्षित सेवा अविलम्ब करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वस्थ शरीर वाले श्रमिक तैयार रखने होंगे। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक 16 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे और जिन श्रमिकों ने सत्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है उन्हें 7 बजे अपराह्न से 7 बजे पूर्वाह्न के बीच कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

पहचान डिस्क।

ठेकेदार के श्रमिकों को कार्य स्थल पर पहचान डिस्क (जिसका प्रदाय रेल द्वारा किया जाएगा) हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। ऐसे सभी श्रमिकों के नामों का अभिलेख, जिन्हें डिस्क जारी की गई हैं, शैड के भारसाधक द्वारा और ठेकेदार द्वारा भी रखा जाना चाहिए।

आपात स्थिति।

2.5. यदि ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि रात को वैगनों की लदाई या उतराई आवश्यक है तो ठेकेदार को ऐसी आपात स्थिति की कम से कम 6 घण्टे की सूचना दी जाएगी और उस समय के दौरान श्रमिकों और उपस्करों के लिए सभी तैयारियां ठेकेदार को करनी होंगी। बत्तियों और तेल का प्रदाय प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा और इस आपात स्थिति में कोई अतिरिक्त संदाय नहीं किया जाएगा।

कोयले या कोक का वहन।

2.6. ठेकेदार, प्रशासन द्वारा या मण्डल अधीक्षक,... ... .रेल, ..., द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा नियत स्थल पर वैगनों से पम्प घरों के लिए कोयला या कोक उतारने के साथ-साथ कोयले/कोक का पम्प इंजन स्थलों तक उसी दिन वहन करेगा जिस दिन कोयला और/या कोक वैगन या वैगनों से उतारा गया हो। ऐसा करने में असफल रहने पर प्रशासन को वे कार्य सुविधानुसार और आसानी से उपलभ्य स्थानीय या विभागीय या किसी अन्य ठेकेदार के श्रमिकों से कराने की और ऐसा करने का खर्च ठेकेदार के बिलों या उसकी शोध्य रकमों में से और/या उसके प्रतिभूति निक्षेप में से वसूल करने के किसी अन्य विधिपूर्ण उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, काट लेने की शक्ति होगी। ठेकेदार, प्रशासन या मण्डल अधीक्षक, ...रेल, ...द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के निदेशानुसार (क) शैड में स्थायी बायलरों तक, (ख) लोहारखानों तक, (ग) प्रज्वलित करने के प्रयोजनों के लिए इंजनों तक, और (घ) यथा अपेक्षित विविध प्रयोजनों के लिए तथा एक धानी से दूसरी धानी तक भी कोयले का वहन करेगा।

ठेकेदार को पहले.. ....मीटर से अधिक, प्रत्येक.. .... मीटर या.............. ....मीटर के भाग तक कोयले का वहन करने के लिए..... .. पैसे प्रति वैगन की दर से संदाय किया जाएगा अथवा पहले..... .. ..मीटर से अधिक प्रत्येक .... .मीटर या .. ..मीटर के भाग तक कोयले का वहन करने के लिए . . .. पैसे प्रति टन की दर से ठेकेदार को अतिरिक्त संदाय किया जाएगा।

2.7. यदि ठेकेदार वैगन या वैगनों की पूरी तरह लदाई या उतराई के पश्चात् उन्हें, प्रशासन द्वारा या मण्डल अधीक्षक, ...रेल, ...द्वारा नियत प्राधिकृत समय-सीमा के भीतर विभिन्न उतराई या लदाई स्थानों पर भेजने के लिए निर्मुक्त करने में असफल रहता है तो ऐसे वैगनों पर, जो ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रोक लिए गए हों, उस समय प्रवृत्त माल टैरिफ में दी गई दर पर डेमरेज उद्गृहीत किया जाएगा और इस खण्ड के उपबन्धों के अनुसरण में प्रशासन को शोध्य सभी राशियां इस करार के अनुसरण में ठेकेदार को समय-समय पर देय रकमों में से काटी जा सकेंगी। कार्य के घंटों की गणना 6 बजे पूर्वाह्न से 10 बजे अपराह्न तक की जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि लदाई या उतराई के लिए ठेकेदार को अनुज्ञात कार्य के घंटों की अवधि एक दिन में लगातार ही हो। यदि ठेकेदार को वैगन सौंप दिए जाने के पश्चात् कार्य के घण्टों की कुछ अवधि शेष रह जाती है तो वह उसके नाम लिख दी जाएगी और अगले दिन लदाई या उतराई की प्राधिकृत अवधि पूरी करने के लिए केवल अपेक्षित अतिशेष अवधि ही अनुज्ञात की जाएगी। कोयले की लदाई या उतराई के विभिन्न स्थानों के लिए नियत किए गए कार्य के घण्टों की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रशासन द्वारा या मण्डल अधीक्षक,.................रेल, ..., द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा नियत समय-छूट से अधिक, दिन या रात के प्रत्येक घंटे के लिए डेमरेज प्रभारित किया जाएगा। डेमरेज।

यदि लदाई या उतराई के लिए प्रस्थापित वैगनों की संख्या विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक हो जाती है तो विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक संख्या के लिए कोई डेमरेज प्रभारित नहीं किया जाएगा।

2.8. ठेकेदार इंजन टेंडरों पर कोयले की लदाई हाथ से या जहां टोकरियों की व्यवस्था की गई हो वहां टोकरियों से करेगा और इस प्रकार लादे गए कोयले को उचित ढंग से समतल करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जब इंजन खड़ा हुआ हो या चल रहा हो तब टेण्डर से कोयला न गिरे। इस करार के अन्तर्गत वाले विभिन्न स्थानों पर जिस समय से इंजनों को इस प्रयोजन के लिए खड़ा किया जाता है उस समय से यह कार्य अनुसूची में उल्लिखित गति से दिन-रात किया जाएगा। ऐसा करने में असफल रहने पर ठेकेदार कार्य-आदेश में नियत अवधि से अधिक प्रत्येक आधे घंटे या उसके भाग के लिए.. ....रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। यह शास्ति इस करार के निबन्धनों और शर्तों के अधीन वसूल की जा सकने वाली किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त होगी। कोयले/कोक की लदाई।

विशेष टिप्पणी : कोयले का चार घन इंच से बड़ा कोई भी टुकड़ा टेंडरों पर नहीं लादा जाएगा, ठेकेदार ऐसे सभी कदम उठाएगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि कोयले के बड़े टुकड़े न लादे जाएं और जब कभी लदाई करते समय ऐसे बड़े टुकड़े पाए जाएं तो वह उन्हें तोड़ेगा।

यदि प्रशासन ग्रेब या बाल्टियों द्वारा लदाई के लिए कोयला क्रेनों की व्यवस्था करता है तो प्रशासन क्रेन कर्मीदल, कोयले और सामान का प्रदाय करेगा। इन क्रेनों में कोयला लादने और पानी का छिड़काव करने, तथा क्रेन चालक की सहायता करने और या टेण्डरों पर कोयले को उचित ढंग से समतल करने के लिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जब इंजन खड़ा हुआ हो या चल रहा हो तब टेंडर से कोयला न गिरे, और कोयला मंज पर कोयले का इस तरह ढेर लगाने के लिए कि ग्रैब उसे उठा सके, ठेकेदार अपने व्यय पर श्रमिकों का प्रदाय प्रशासन द्वारा अपेक्षित रूप में करेगा।

यदि यांत्रिक कोयला साधित्र खराब हो जाता है और यदि यह आवश्यक समझा जाता है कि ठेकेदार से सिर पर ढोकर कोयले की लदाई का कार्य करवाया जाए और यदि ठेकेदार, संबंधित लोको फोरमैन द्वारा उससे या उसके अभिकर्ता से लिखित मांग किए जाने के समय से एक घण्टे के भीतर सिर पर ढोकर कोयला इंजनों पर लादने के लिए पर्याप्त श्रमिक प्रदाय करने में असफल रहता है तो प्रशासन का उक्त प्रयोजन के लिए स्थानीय श्रमिकों को, चाहे वे किसी भी दर पर उपलब्ध हों, नियुक्त करने का अधिकार है, और उसका खर्च ठेकेदार से वसूल किया जाएगा। इंजनों पर कोयले को समय पर लादने के लिए ठेकेदार के श्रमिकों की असमर्थता के कारण या ऊपर उल्लिखित रूप में ठेकेदार द्वारा समय पर श्रमिकों का प्रदाय न किए जाने के कारण इंजनों को रोके रखने के लिए ठेकेदार से शास्ति भी वसूल की जाएगी जो इंजनों को रोके रखने के कारण हुई हानि के लिए ऐसे रोके रखे गए प्रत्येक इंजन के लिए परिनिर्धारित नकसानी के रूप में 0 50 पैसे प्रति मिनट की दर से होगी।

ठेकेदार अपने व्यय पर कोयला मंच को सभी समयों पर साफ और स्वच्छ रखेगा और यदि लदाई या उतराई करते समय इंजन, क्रेन या वैगन लाइनों पर कोयला गिर जाता है तो वह उसे उठाएगा और उसे कोयले के चट्टों में रखेगा।

2.9. यदि ठेकेदार इस करार के किसी भी निबन्धन या निबन्धनों का या अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य या कार्यों का भागतः या पूर्णतः निष्पादन करने में असफल रहता है तो प्रशासन के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसा सब कार्य, जो मण्डल यांत्रिक इंजीनियर, .../............. की राय में अपेक्षित और आवश्यक हो, कराने के प्रयोजन के लिए बाहर से श्रमिकों को नियोजित कर ले और ऐसे सभी खर्चों, भाड़ा-प्रभारों, नुकसानियों और व्ययों का, जो ऐसा कार्य कराने में प्रशासन द्वारा उपगत किए गए हों, ठेकेदार द्वारा प्रशासन को संदाय किया जाएगा अथवा उन्हें इसमें आगे निर्दिष्ट निक्षेप से या ऐसी धनराशि से, जो इस या किसी अन्य करार के अनुसरण में ठेकेदार को प्रशासन द्वारा समय-समय पर शोध्य और संदेय हो, काटा जा सकेगा या ठेकेदार के विरुद्ध कोई वाद लाकर या किसी अन्य साधन से वसूल किया जा सकेगा। **बाहरी श्रमिक।**

यदि इस करार के जारी रहने के दौरान किसी समय मण्डल अधीक्षक/मण्डल यांत्रिक इंजीनियर,....../.................की यह राय है कि ठेकेदार इस करार के अधीन किए जाने वाले कार्य या कार्यों को समाधानप्रद रूप में नहीं कर रहा है, जैसा कि कार्य-आदेश में प्राधिकृत किया गया है, तो उक्त तीनों अधिकारियों में से प्रत्येक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस करार में उपबन्धित किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक अवसर पर ....रुपए (...............रुपए) तक की राशि ठेकेदार से वसूल कर ले।

2.10. ठेकेदार अपने खर्च पर ऐसी सभी टोकरियों, बेलचों, औजारों और उपकरणों की व्यवस्था करेगा और पर्याप्त श्रमिकों का प्रदाय करेगा जो इस करार में उल्लिखित सब कार्य करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। यदि प्रशासन द्वारा स्टीम कोयला-क्रेन का प्रदाय किया गया हो तो वह विभागी कर्मचारियों द्वारा चलाई जाएगी और क्रेनों के उपयोग के लिए कोयला, अपशिष्ट रुई, तेल फीडर जैसे खपत वाले सामान का प्रदाय भी प्रशासन द्वारा किया जाएगा। **उपकरण आदि।**

2.11. ठेकेदार द्वारा निविदा में कोट की गई दरें अन्तिम होंगी और उसे उन पर दृढ़ रहना होगा। निविदा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् किसी भी स्टेशन के लिए दर में वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी। **दरें।**

2.12. इस करार के अधीन ठेकेदार द्वारा किए गए सभी कार्यों के बिल तत्समय प्रयुक्त संविदा बिल प्ररूप में प्रशासन द्वारा प्रतिमास प्रस्तुत किए जाएंगे और जब ये बिल लेखा कार्यालय द्वारा पास कर दिए जाएंगे तब संदाय, प्रशासन के विवेकानुसार, चैक द्वारा या संदाय-लिपिक के माध्यम से किया जाएगा। **बिल।**

कोयले की उतराई के लिए संदाय उस वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जाएगा जो कोयले की उतराई के स्थान पर प्राप्त हुई हो, न कि बीजक में दिखाई गई परेषित मात्रा के लिए। कोयले के वजन का निर्धारण वैगन/वैगनों को तोल कर या पुनः तोल कर पता लगाई गई वास्तविक मात्रा के आधार पर या प्रशासन के प्रतिनिधि द्वारा लिए गए कोयले के आयतनी माप के आधार पर किया जाएगा।

ठेकेदार के बिलों का संदाय करने में हुए विलम्ब या उनका संदाय न किए जाने को, किसी भी परिस्थिति में, ठेकेदार द्वारा संविदा के निबन्धनों का समाधानप्रद रूप में पालन न किए जाने के प्रतिहेतु के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2.13. ठेकेदार या उसके किसी भी श्रमिक को कोई पास या विशेषाधिकार टिकट नहीं दिए जाएंगे और उन्हें कार्य-स्थल तक जाने-आने के लिए, उस समय प्रवृत्त किरायों का संदाय करना होगा। **पास।**

2.14. ठेकेदार अपनी या अपने कर्मकारों की उपेक्षा के कारण नुकसानग्रस्त चल स्टाक, रेल-पथ या रेल की अन्य सम्पत्तियों की मरम्मत का खर्च वहन करेगा। वह ऐसे किसी चल-स्टाक को पुनः रेल पटरी पर लाने के खर्च का संदाय करने के लिए भी दायी होगा जो उसके कर्मकारों की उपेक्षा या असफलता के कारण पटरी से उत्तर गया हो। **नुकसान।**

निक्षेप।

2.15. ठेकेदार, इस करार के निबन्धनों और शर्तों को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिए, प्रतिभूति के रूप मे संविदा की लागत के 10 प्रतिशत के बराबर राशि मण्डल खजांची,.. .. .. रेल, ...या . ...रेल के किसी भी स्टेशन मास्टर के पास जमा करेगा। इस रकम में 2,000 रुपए की वह रकम सम्मिलित होगी जो ठेकेदार द्वारा अग्रिम धन के रूप में जमा की गई है और शेष आधिक्य की रकम नकद या बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत कम पर सरकारी प्रतिभूतियों या भारतीय स्टेट बैंक की जमा-रसीदों या डाकघर बचत बैंक या राष्ट्रीय बचत पत्रों (विशिष्टिया सं०. ....रकम......... .. ..) के रूप में जमा करेगा, जिसे इसमें आगे "निक्षेप" कहा गया है। यह निक्षेप तब तक रखा रहेगा जब तक कि इसके अधीन उठने वाले सभी प्रश्नों और विवादों का प्रशासन के पूर्ण समाधानप्रद रूप में निपटान नहीं कर दिया जाता।

इस संविदा की प्रतिभूति-रकम संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर या 2,000 रुपए (केवल दो हजार रुपए), इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

यह रकम इस प्रकार संदेय होगी:—

प्रतिभूति निक्षेप जमा करने की रीति।

"सफल निविदाकार संविदा के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर राशि निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर जमा करेगा। यदि विशेष शर्तों में विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा कथित नहीं किया गया है तो शेष 5 प्रतिशत प्रतिभूति-निक्षेप प्रतिशत कटौती के आधार पर वसूल किया जाएगा, जो सामान्यत: ठेकेदार के अन्तरिम बिलों का 10 प्रतिशत होगा।"

करार भंग और निक्षेप का समपहरण।

यदि ठेकेदार इस करार को भंग करता है तो प्रशासन के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह सम्पूर्ण निक्षेप या उसके ऐसे भाग या उसके आगमों को समपहृत कर ले और रख ले जो वह ऐसे भंग के कारण प्रशासन द्वारा उपगत सभी हानियों, नुकसानियों, निर्माण प्रभारों और व्ययों को पूरा करने के लिए उचित समझे। यदि किसी समय प्रतिभूति निक्षेप में से कोई वसूली की जाती है तो ठेकेदार सूचित किए जाने पर वसूल की गई रकम की तत्काल पूर्ति करेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर प्रशासन, अपने किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा को अपने विकल्प पर समाप्त कर सकेगा। प्रशासन अपने विकल्प पर ठेकेदार के बिलों में से भी प्रतिभूति निक्षेप की पूर्ति कर सकेगा। इस खण्ड की कोई बात प्रशासन को ठेकेदार के विरुद्ध वाद लाकर या किसी अन्य साधन से पूर्वोक्त हानियां, नुकसानियां, खर्चे, प्रभार और व्यय, यदि वे प्रतिभूति निक्षेप के आगमों से अधिक हैं तो, ठेकेदार वसूल करने से विवर्जित नहीं करेगी।

ब्याज।

2.16. यदि प्रतिभूति निक्षेप प्रशासन के पास नकद जमा किया गया है तो उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा किन्तु यदि निक्षेप विपण्य प्रतिभूतियों के रूप में किया गया है तो उस पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज ठेकेदार के खाते जमा कर दिया जाएगा और ठेकेदार विपण्य प्रतिभूतियों के जमा किए जाने और वापस लिए जाने तथा उन पर ब्याज संगृहीत किए जाने के सभी प्रभारों का संदाय करेगा।

प्रशासनिक अधिकार।

2.17. इसकी किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि प्रशासन का, इस करार की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने सेवकों और कर्मचारियों से, इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रेल खण्डों के जिलों में किसी शैड या स्टेशन या पम्प घर पर, कोयला और अन्य ईंधन लदवाने, उतरवाने और उनके चट्टे लगवाने का, अधिकार समाप्त हो गया है।

संविदा का समाप्त किया जाना।

2.18. यदि ठेकेदार इस करार के सभी निबंधनों या किसी निबंधन का पालन या कार्यान्वयन करने में असफल रहता है अथवा यदि ठेकेदार या उसके कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी का आचरण ऐसा है कि प्रशासन की राय में इस करार को जारी रखना अवांछनीय हो गया है तो प्रशासन, इस करार को समाप्त करने के प्रयोजन के लिए ठेकेदार को सात दिन की लिखित पूर्व सूचना देकर, इस करार को समाप्त कर सकेगा और ऐसी सूचना के अवसान पर इस करार के अधीन ठेकेदार के सभी अधिकार (निक्षेप की वापसी को छोड़कर, किंतु उसके बारे में उपबन्धों के अधीन रहते हुए) पूर्ण रूप से समाप्त और पर्यवसित हो जाएंगे, किंतु इससे ठेकेदार द्वारा इस करार के किसी पूर्वगामी भंग की बाबत या इस करार के अधीन मुजराई या क्षतिपूर्ति के किसी अधिकार की बाबत, ठेकेदार के विरुद्ध किए जाने वाले प्रशासन के किसी दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रशासन का विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा और प्रशासन ऐसे विनिश्चय पर पहुंचने के लिए ऐसे किन्हीं भी दावों को ध्यान में रखने का हकदार होगा जो किसी अन्य संविदा या संव्यवहार के अधीन ठेकेदार के विरुद्ध परादेय हों।

वैयक्तिक पर्यवेक्षण।

2.19. ठेकेदार या प्रशासन के अनुमोदन से ठेकेदार द्वारा नियुक्त कोई जिम्मेदार व्यक्ति कार्य के निष्पादन का वैयक्तिक रूप से पर्यवेक्षण करेगा।

मजदूरी संदाय अधिनियम का लागू होना।

2.20. यदि प्रशासन द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ठेकेदार अपने कर्मकारों में से किसी कर्मकार को असमाधानप्रद कार्य, अवज्ञा या ऐसे किसी अन्य कारण से, जो संविदा के निबन्धनों के कुशल कार्यान्वियन के अनुरूप नहीं है, पदच्युत करेगा और इसी प्रकार के कारणों से, यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और उसके किसी कानूनी उपांतरण के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह किसी कर्मकार पर जुर्माना करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा।

ठेकेदार अपने कर्मकारों के नाम और विशिष्टियां प्रशासन को देगा।

संविदा को उप-पट्टे पर देना।

2.21. ठेकेदार, मण्डल अधीक्षक, ————————————रेल, ——————की लिखित सम्मति प्राप्त किए बिना, इस संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उप-पट्टे पर नहीं देगा, समनुदेशित नहीं करेगा या अंतरित नहीं करेगा और उसमें किसी को भागीदार नहीं बनाएगा। उपर्युक्त का उल्लंघन करके संविदा को समनुदेशित किए जाने या उप-पट्टे पर दिए जाने से यह संविदा स्वतः समाप्त हुई मान ली जाएगी।

क्षतिपूर्ति।

2.22. प्रशासन, चोरी, आग, दुर्घटना, विस्फोट या किसी भी प्रकार के अन्य कारण से ठेकेदार को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए दायी नहीं होगा और ठेकेदार तथा उसके वारिस, निष्पादक और प्रशासक सभी समयों पर प्रशासन को ऐसे सभी दावों, नुकसानों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों से जिनके लिए प्रशासन कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके किसी संशोधन के अधीन, ठेकेदार की और/या प्रशासन की और/या उनके अपने-अपने सेवकों और कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण या अन्यथा हुए कार्यों या लोपों द्वारा ठेकेदार के कर्मचारियों और सेवकों को इस करार से उद्भूत होने वाली या इसके चालू रहने के दौरान होने वाली (उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत) वैयक्तिक क्षतियों की बाबत और ठेकेदार की और/या उसके सेवकों और कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण या अन्यथा हुए कार्य या लोपों द्वारा प्रशासन के कर्मचारियों और सेवकों को इस करार से उद्भूत होने वाली या उसके चालू रहने के दौरान होने वाली (उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत) वैयक्तिक क्षतियों की बाबत, दायी होगा और ऐसे सभी व्ययों से जो प्रशासन को उस बाबत करने पड़ें, हानि-रहित और क्षतिपूरित रखेगा।

भागीदार।

2.23. जहां इस संविदा में एक से अधिक व्यक्ति भागीदार हैं वहां किसी भी एक भागीदार की कार्रवाई अन्य भागीदारों पर आबद्धकर होगी और प्रत्येक भागीदार, जो इस संविदा के निबन्धनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है, अपने भागीदारों को उसी सीमा तक आबद्ध करेगा मानो वह उस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त उनका अभिकर्ता हो।

ठेकेदार की मृत्यु हो जाने पर दावों का अवधारण।

2.24. यदि इस करार के जारी रहने के दौरान ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है या उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है या यदि ठेकेदार कोई कम्पनी है और वह स्वेच्छा से या अनिवार्यतः समापनाधीन हो जाती है तो यह करार पूर्णतः समाप्त और पर्यवसित हो जाएगा तथा ठेकेदार के विधिक प्रतिनिधि का या, दिवाले की दशा में, उसके समनुदेशिती या (कम्पनी की दशा में) समापक का, ऐसी घटना से पूर्व ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए शोध्य किसी पारिश्रमिक के लिए और निक्षेप की वापसी के लिए दावे की बाबत हित को छोड़कर, जो उसके बारे में इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन होगा, इस करार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई हित नहीं होगा, परन्तु इस खंड की कोई बात प्रशासन के किसी ऐसे दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसे प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो प्रशासन द्वारा, ऐसी घटना से पूर्व ठेकेदार द्वारा इस करार के किसी भंग के लिए या उसके संबंध में या इस करार के अधीन प्रशासन को उपलभ्य मुजराई या क्षतिपूर्ति के अधिकार के संबंध में, ऐसे प्रतिनिधियों, समनुदेशितियों या समापकों के विरुद्ध किया जा सकता है।

प्रशासन के कृत्य।

2.25. (i) इस करार के खण्ड 24 के प्रयोजन को छोड़कर, इसके अधीन, प्रशासन के कृत्यों का पालन मण्डल के मण्डल अधीक्षक/मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (शक्ति) द्वारा किया जाएगा। इस पद के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो तत्समय मण्डल अधीक्षक/मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (शक्ति),————————————रेल,————, का पद धारण किए हुए है या उस पर कार्य कर रहा है। "ठेकेदार" पद के अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुसार ऐसा अपेक्षित हो, अनेक वहुवचन भी है।

(ii) लोको-फोरमैन या शैड भारसाधक (इसके खण्ड 34 के प्रयोजन को छोड़कर) निम्नलिखित के बंध मे कार्य करेगा:—

(क) उतराई के विनिर्दिष्ट घंटों से अधिक घंटों तक कोयला वैगनों को ठेकेदार के लेखे रोक लिए जाने के संबंध में उपगत डेमरेज पर ठेकेदार की स्वीकृति के लिए, डेमरेज विवरण जारी करना।

(ख) यांत्रिक कोयला-लदाई साधित्र खराब हो जाने की दशा में इंजन टेण्डरों पर कोयला लादने, शैड के विविध कार्य करने तथा रासायनिक और छानन परीक्षा के लिए नमूने लेने के लिए ठेकेदार के श्रमिकों की अध्यपेक्षा करना।

(ग) जहां चट्टे लगाने के लिए काफी कोयला उतारा गया हो वहां चट्टे लगाने के लिए सूचना जारी करना।

(घ) इस करार के खण्ड 5 में निर्दिष्ट सूचना जारी करना।

(ङ) इस करार के अधीन ठेकेदार द्वारा कार्य के असमाधानप्रद निष्पादन के कारण उसे कोई अन्य सूचना जारी करना।

सफाई और जल प्रभार।

2.26. ठेकेदार स्वच्छता सेवाओं के लिए सभी सफाई प्रभारों का तथा अपने कुलियों या कर्मचारियों द्वारा त के जल का उपयोग किए जाने के लिए जल प्रभारों का संदाय————————रेल प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी रा समय-समय पर नियत दर पर करने का भी करार करता है और उसके लिए अपने आपको आबद्ध करता । यदि ठेकेदार इन प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है तो प्रशासन वह राशि ऐसी धनराशियों से काट लेगा जो इस करार के अनुसरण में प्रशासन द्वारा समय-समय पर ठेकेदार को शोध्य और संदेय ।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम आदि के संबंध में दायित्व।

2.27. ठेकेदार, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, कारखाना अधिनियम या ऐसे य अधिनियम के, जो पूर्वोक्त संविदा कार्य को लागू होता हो, उपबंधों का पालन करने के लिए और उनके अनुसार र्य करने के लिए आबद्ध होगा। वह ऊपर विनिर्दिष्ट विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे स भी जुर्मानों या यथा का संदाय करने के लिए दायी होगा और सरकार की प्रतिकर, शास्ति या जुर्माने के रूप में या अन्यथा किए गए सभी संदायों से, जिनके लिए यथापूर्वोक्त शास्ति या जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा सरकार उक्त अधिनियमों के उपबंधों के अधीन किसी कर्मकार को या उसके निमित्त करने के लिए कहा जाए, और त अधिनियमों के अधीन अथवा किसी भी प्रकार की ऐसी किसी हानि, क्षति या नुकसानी की बाबत, जो र, उसके कर्मकारों, सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा इस संविदा के उपेक्षापूर्ण, त्रुटिपूर्ण या अनुचित पालन कारण किसी तीसरे व्यक्ति को हुई हो या उठानी पड़ी हो, किसी दावे या कार्यवाही के संबंध में सरकार रा उपगत खर्चों से क्षतिपूरित रखेगा। ऐसी धनराशियों को, जो सरकार द्वारा पूर्वोक्त रूप में संदेय हो एं, ठेकेदार द्वारा सरकार को संदेय धनराशियां समझा जाएगा और यदि ठेकेदार सरकार द्वारा पूर्वोक्त रूप संदत्त किन्हीं धनराशियों का उनके लिए मांग किए जाने के 7 दिन के भीतर, प्रतिसंदाय करने में असफल ता है तो सरकार उन धनराशियों को ठेकेदार को संदेय राशियों में से या उसके प्रतिभूति धन में से वसूल रने की हकदार होगी।

नुकसानी का परिशोधन।

2.28. यदि ठेकेदार या उसके कर्मकार, जब वे इस संविदा के कार्य में लगे हुए हों, रेल, सरकार प्राइवेट व्यष्टियों के किसी ऐसे संकर्म या सम्पत्ति के किसी भाग या किन्हीं भागों को, जो रेल परिसर पर या उस संकर्म से संलग्न है जिस पर वे नियोजित हैं, विरूपित करते हैं, क्षति या हानि पहुंचाते हैं, अथवा ट करते हैं तो ठेकेदार मण्डल अधीक्षक, ————————मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (शक्ति), ——————रेल,———————— द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर अपने व्यय पर दक्ष और कार्यकुशल ढंग से ठीक करवाएगा अथवा उसमें व्यतिक्रम किए जाने पर मण्डल अधीक्षक,——————/मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (शक्ति),————————, उसे किसी अन्य माध्यम से ठीक करवाएगा र उसकी व्यय ठेकेदार द्वारा नकद चुकाया जाएगा तथा उसके ऐसा करने में असफल रहने पर वह उसे संदेय मों में से या प्रतिभूति निक्षेप में से वसूल किया जाएगा।

—2 M of L&J/85

2.29. ठेकेदार कार्य पर लगाए गए श्रमिकों को उचित मजदूरी से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा। ...चित मजदूरी, भत्तों सहित वह मजदूरी है जो कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के समय अधिसूचित ...की गई है और जहां वह अधिसूचित नहीं की गई है वहां वह मजदूरी है जो आसपास में वैसे ही कार्य के लिए ...जा रही हो। श्रमिकों की मजदूरी और भत्ते किसी राज्य-विधि आदि द्वारा विहित मजदूरियों और भत्तों ...भी उस दशा में कम नहीं होंगे जब वह विधि उस परिक्षेत्र में, जिसमें श्रमिक कार्य कर रहे हैं, रेल के ...ार्य में लगे हुए ठेका श्रमिकों को लागू होती है। ठेकेदार ऐसे संदायों आदि का उचित अभिलेख रखेगा ...ौर प्रत्येक मास प्रशासन को ऐसा करने का प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करेगा। — **उचित मजदूरी।**

यदि प्रशासन किसी भी समय यह समझता है कि ठेकेदार द्वारा अपने कर्मकारों को संदाय करने के लिए ...पनाया गया ढंग आपत्तिजनक है तो उसे इस आशय की लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा करने की शक्ति होगी ...इस पद्धति में, ऐसी सूचना की तारीख से एक सप्ताह के भीतर परिवर्तन कर दिया जाए और यदि ऐसी सूचना ...पालन नहीं किया जाता है तो पालन न किए जाने की अवधि के दौरान ठेकेदार को किए जाने वाले सभी ...दाय रोक लिए जाएंगे।

ठेकेदार कर्मकारों को दी जाने वाली मजदूरी की दरें दर्शित करने वाली सूचना प्रकाशित करेगा और ...ार्य के स्थान के निकट ऐसे स्थान पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा जिस तक सभी कर्मकारों की सुगमता ...पहुंच है।

2.30. ठेकेदार प्रशासन को ऐसे सभी विधिक व्यय, स्टाम्प शुल्क और अन्य खर्चों, प्रभारों और व्ययों ...ा संदाय करेगा जो इस विलेख के संबंध में उपगत किए जाते हैं। — **विधिक प्रभारों आदि का संदाय।**

2.31. ठेकेदार की ओर से किसी भी आधार पर किए जाने वाले सभी दावे, यदि कोई हों (खण्ड ...4 के अधीन उत्पन्न होने वाले दावों को छोड़कर), इस करार के अवसान की तारीख से 15 दिन के भीतर ...र दिए जाने चाहिएं और यदि कोई दावा इस अवधि के दौरान नहीं किया जाता है तो उसे छोड़ दिया गया ...र समपहृत किया गया समझा जाएगा। — **दावे।**

2.32. ठेकेदार रेल परिसर के भीतर कोई झोंपड़ियां या संरचनाएं नहीं बनाएगा। — **झोंपड़ियां या संरचनाएं।**

2.33. इस करार द्वारा शासित कार्य के संबंध में निविदा की शर्तें, इस करार में उस सीमा तक समा...ष्ट और सम्मिलित समझी जाएंगी जिस सीमा तक वे ठेकेदार की निविदा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् ...सके द्वारा संविदा के निष्पादन को या उससे सम्बद्ध किसी विषय को लागू होती हैं। — **संविदा का निष्पादन।**

2.34. यदि प्रशासन और ठेकेदार के बीच इस करार के संबंध में या उसके अधीन शोध्य या संदेय ...न्हीं धनराशियों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह माध्यस्थम् के लिए मण्डल अधीक्षक, ——— ...ल, ———— द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम और ठेके...र पर आबद्धकर होगा तथा समय-समय पर यथा प्रवृत्त माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 या उसकी पुनः ...धिनियमिति के अथवा कानूनी उपांतरणों के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे एकमात्र मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम् ...ो लागू होते हैं। — **विवादों का निपटारा।**

2.34क यदि इस करार के पक्षकारों के बीच इस करार के अधीन कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न ...ता है तो, ऐसे किसी विषय को छोड़कर जिसके विनिश्चय के लिए प्रशासन द्वारा उन या अन्य विशेष शर्तों ...विशेष रूप से उपबंध किया गया है, ठेकेदार वह विवाद आदि प्रशासन को निर्देशित करेगा और प्रशासन ...नियुक्त समय के भीतर अपना विनिश्चय ठेकेदार को सूचित करेगा तथा ठेकेदार लिखित रूप में यह मांग कर ...केगा कि ऐसा विवाद या मतभेद माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाए। मध्यस्थ महाप्रबन्धक या उसके ...रा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा। — **माध्यस्थम् खण्ड।**

2.34ख. यदि उपखण्ड (क) के अधीन नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है या ...पना पद छोड़ देता है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है या अनिच्छुक है या उसकी मृत्यु हो ...ती है तो महाप्रबन्धक उसके स्थान पर कार्य करने के लिए नए मध्यस्थ को नियुक्त कर सकेगा। ऐसा ...ध्यस्थ निर्देश पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करने का हकदार होगा जहां से पूर्ववर्ती मध्यस्थ ने उसे छोड़ा हो।

34ग. यह आक्षेप नहीं किया जाएगा कि मध्यस्थ के रूप में नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवक है। किन्तु ...स्थ रेल सेवक है तो वह ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे उन विषयों की बाबत कार्रवाई करने का ...मिला है जिनसे संविदा संबंधित है या जिसने रेल सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान ...स्त या मतभेद वाले सभी या किन्हीं विषयों पर अपना मत व्यक्त किया है। मध्यस्थ का अधिनिर्णय ...के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

34घ. माध्यस्थम् अधिनियम, 1940, या उसकी पुनः अधिनियमिति या उसके कानूनी उपांतरण के ...इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू होंगे।

2.35. यदि ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से अथवा उसके भागीदार, अभिकर्ता या सेवक द्वारा अथवा ...या उनकी ओर से प्रशासन के किसी अधिकारी, सेवक, प्रतिनिधि या अभिकर्ता को अथवा उसकी या ...ओर से किसी व्यक्ति को, प्रशासन के साथ की गई इस या किसी अन्य संविदा को प्राप्त करने या ...निष्पादन करने के संबंध में कोई रिश्वत, कमीशन, दान या लाभ दिया जाता है, देने का वचन दिया ...है या उसकी प्रस्थापना की जाती है तो ऐसे किन्हीं आपराधिक दायित्वों के अतिरिक्त जो ठेकेदार उपगत ...उसकी यह संविदा और/या अन्य सभी संविदाएं रद्द की जा सकेगी/सकेंगी और ठेकेदार ऐसे रद्दकरण ...हुई किसी हानि या नुकसान का संदाय करने के लिए भी दायी होगा और प्रशासन इस प्रकार संदेय रकम ...इस या किसी अन्य संविदा के अधीन ठेकेदार को देय या अन्यथा शोध्य धनराशियों में से काटने का हक-...र होगा। रिश्वत और कमीशन।

2.36. इसके किसी भी खण्ड के अधीन दी जाने वाली कोई सूचना सीधे मण्डल अधीक्षक———, ...या मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (शक्ति)————————रेल, ——————, के पते पर भेजी जाएगी। सूचनाएं।

इस संविदा में जैसा अन्यथा उपबंध है उसके अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी अन्य कार्रवाईयां उनकी ओर से मण्डल अधीक्षक, ————————रेल, ——————/मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (शक्ति) ————, द्वारा दी और की जा सकेंगी।

यदि कोई सूचना प्रशासन के स्थानीय कार्यालय के किसी ऐसे भाग में किसी सहजदृश्य स्थान पर लगा दी जाती है जो उन स्थानों के निकट स्थित है जहां ठेकेदार द्वारा इसके अधीन कार्य किया जा रहा है तो यह समझा जाएगा कि उस सूचना की ठेकेदार पर सम्यक् रूप से तामील कर दी गई है।

2.37 दर अनुसूची—

कार्य का विवरण	कार्य के लिए संदाय की जाने वाली दरें		टिप्पणियां
	शब्दों में	अंकों में	
1	2	3	4
(1) नीचे उल्लिखित कार्य के घंटों के भीतर वैगनों से कोयला/कोक उतारना और लोको शैड, यातायात यार्ड, स्टेशन प्लेटफार्म, कारखाने और बिजली घर में चालू रेलपथ के 50 गज के भीतर रेल अधिकारियों द्वारा बताए गए स्थल पर उसे ले जाना और उसका ढेर लगाना, यदि यह कार्य —			
कार्य के 3 घंटों में किया जाता है तो प्रति टन			
कार्य के 5 घंटों ,, ,, ,,			
कार्य के 8 घंटों ,, ,, ,,			

टिप्पण—कोयला उतारने की दर में कोयले के ढेलों को 4 घन इंच के और उससे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की दर भी सम्मिलित है।

1	2	3	4
(2) इंधन टेण्डरों से दिन रात प्रतिघण्टा शत टन की दर से कोयला उतारना और लोको शैड, यातायात यार्ड, स्टेशन प्लेटफार्म और कारखाने में चालू रेलपथ के 50 गज के भीतर उसके ढेर लगाना।		प्रति टन	
(3) प्रशासन के निदेशानुसार स्टेशन या मध्य खण्ड पर नीचे उल्लिखित कार्य के घंटों की अवधि के भीतर वैगनों से कोयला उतारना और उसी दिन तुरंत उसे सिर पर ढोकर या अन्यथा पम्प इंजन स्थल पर पहुंचाना, उसके चट्टे लगाना और उसे समतल करना			
(i) —स्थित पम्प घर पर	कार्य घण्टे	प्रति टन.	
(ii)— ,,	,,	,,	
(iii)— ,,	,,	,,	
(iv)— ,,	,,	,,	
(v)— ,,	,,	,,	
(vi)— ,,	,,	,,	
(vii)— ,,	,,	,,	
(4) प्रशासन के निदेशानुसार लोको शैड, उप शैड, स्टेशन या कारखाने के के अन्दर या बाहर 50 गज के भीतर किसी स्थल पर वैगनों से या इंजन टेण्डरों से कोयला/कोक उतारने के साथ-साथ उसके चट्टे लगाना।		प्रति टन	
(5) रेल के निदेशानुसार लोको शैड, उप-शैड और कारखाना परिसर के भीतर विभिन्न खपत केन्द्रों, जैसे स्थायी बायलरों, लुहारखानों, इंजनों को प्रज्ज-वलित करने के लिए या विविध प्रयोजनों के लिए, कोयले/कोक को ले जाना।		संदाय, करार के खण्ड 6 के अनुसार किया जाएगा।	
(6) रेल द्वारा बताए गए कोयले के चट्टे से दिन और रात के दौरान 4 घन इंच और इससे छोटे टुकड़ों को टोकरियों या बोरियों में भरकर इंजन टेण्डरों पर लादना और उन्हें टेण्डरों पर समतल करना, यदि यह कार्य— 7 टन प्रति घण्टा 14 ,, ,, ,, 21 ,, ,, ,, 28 ,, ,, ,, की दर से किया जाता है।			

टिप्पण:—यदि यांत्रिक कोयला साधित्र खराब हो जाता है तो भी यह दर लागू होगी।

1	2	3	4
(7) रेल द्वारा बताए गए कोयले के चट्टे में रेल के निदेशानुसार कोयले के 4 घन इंच और इससे छोटे टुकड़ो को/कोक को बाल्टियों या ट्रालियों में लादना।		प्रति टन	
(8) नीचे उल्लिखित कार्य के घण्टों के भीतर रेल के निदेशानुसार वैगनों में कोयले/कोक को लादना		प्रति टन	
कार्य के 3 घण्टों मे		,,	
कार्य के 5 घण्टों मे		,,	
कार्य के 8 घण्टों मे		,,	
(9) रसायनों को 50 गज के भीतर उतारना और इनके चट्टे लगाना			
(क) नमक की बोरी (2 मन प्रति बोरी)—प्रति 100 बोरी या बैरल			
(ख) चूना (100 से 160 पाउण्ड के बीच)—प्रति 100 बोरी या बैरल			
(ग) सोडियम एल्युमिनेट (———वजन)—प्रति 100 बोरी या बैरल			
(घ) टैनिन (———वजन) प्रति—100 बोरी या बैरल			
(ङ) एल्यूमिनियम का सिल्फेट (12 पाउण्ड से)—प्रति 100 बोरी या बैरल			
(च) सभी अन्य जल-मृदुकरण रसायन जो बोरियों या बैरलों में प्राप्त हुए हों—प्रति 100 बोरी या बैरल		-	
(10) एक वैगन से दूसरे वैगन मे कोयले/कोक का प्रति घंटा 7 टन की दर से अन्तरण (कोयले और कोक की संगणना 42 घनफुट प्रति टन के हिसाब से की जाएगी)।		प्रति टन	

2.38. (i) अनुसूची में (खण्ड 37 में) कोट की गई सभी दरें करार समाप्त होने तक चालू रहेंगी, तु प्रशासन को सभी दरें या उनके किसी भाग को लागू करने का अधिकार है। **दरें लागू करने का अधिकार।**

(ii) यदि किसी निविदाकार या ठेकेदार का कोई नातेदार अथवा ठेकेदारों की फर्म या कम्पनी की ा में उसके शेयरधारकों में से एक या अधिक शेयरधारक अथवा शेयरधारकों का/के कोई नातेदार . . . . . . रेल के यांत्रिक/प्रचालन विभाग में राजपत्रित हैसियत में नियोजित है/हैं तो निविदा प्रस्तुत ते समय निविदाएं आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना दी जाएगी और सा करने में

असफल रहने पर निविदा निरर्हित की जा सकेगी या यदि ऐसे तथ्य का बाद में पता चलता है तो संविदा करार के निबंधनों के अनुसार, विखंडित की जा सकेगी।

ठेकेदार यह करार करता है कि वह दर अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी कार्य या किन्हीं कार्यों को तब तक नहीं करेगा जब तक कि मण्डल अधीक्षक, ... कार्य-आदेश जारी करके उसे कार्य करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता।

2.39 यदि इस संविदा के स्थापन में बीस या बीस से अधिक कर्मकारों को ठेका-श्रमिकों के रूप में नियोजित किया जाता है तो उस ठेकेदार/सहकारी समिति को, जिसके माध्यम से ठेका-श्रमिकों को नियोजित किया गया है, अपने आपको ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराना होगा तथा संबंधित सहायक श्रम-आयुक्त (के०) से अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। उक्त अधिनियम एक कानूनी उपबंध है इसलिए उसकी अपेक्षाओं का पालन किया जाना अनिवार्य है और ऐसा करने में असफल रहने पर अधिनियम में उपबंधित दाण्डिक खण्डों को प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त यह संविदा इस आधार पर समाप्त कर दी जाएगी कि ठेकेदार/सहकारी समिति ने विधि की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है। श्रमिकों के नियोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण।

2.40 (1) ठेकेदार, समय-समय पर यथा उपांतरित, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971, के उपबंधों का, जहां कहीं वे लागू हों, पालन करेगा और पूर्वोक्त अधिनियम और नियमों के अधीन किए जाने वाले प्रत्येक दावे मद्धे रेल की क्षतिपूर्ति करेगा। ठेका श्रम अधिनियम का लागू किया जाना।

(2) ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समय-समय पर उपांतरित पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा और कार्य पूरा होने तक उसे विधिमान्य बनाए रखेगा। यह अपेक्षा पूरी करने में असफल रहने पर संविदा के वे दाण्डिक उपबंध लागू होंगे जो कार्य का निष्पादन न किए जाने के परिणामस्वरूप लागू होते हों। अनुज्ञप्ति।

(3) ठेकेदार सीधे या उप-ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को पूर्वोक्त अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार, जहां कहीं वे लागू होते हों, मजदूरी का संदाय करेगा। ठेकेदार संविदा में प्रतिकूल उपबंधों के होते हुए भी, कार्य पर अप्रत्यक्ष रूप से लगे श्रमिकों को, जिनके अन्तर्गत उक्त कार्य के संबंध में उप-ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिक भी है, उसी भांति मजदूरी का संदाय करेगा मानो वे श्रमिक उसके द्वारा ही नियोजित किए गए हों। श्रमिकों को मजदूरी का संदाय।

(4) संविदा के ठेकेदार के हिस्से के कार्य के निष्पादन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों के संबंध में ठेकेदार पूर्वोक्त अधिनियम और नियमों के उपबंधों का, जहां कहीं वे लागू होते हों, पालन करेगा या पालन करवाएगा।

(5) यदि किसी मामले में पूर्वोक्त अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के आधार पर, रेल को कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा या उसके उप-ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कर्मकार को मजदूरी की किसी रकम का संदाय करना पड़ता है अथवा पूर्वोक्त अधिनियम या नियमों के अधीन दी जाने वाली कल्याण और स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने में कोई व्यय करना पड़ता है अथवा पूर्वोक्त अधिनियम या नियमों के अधीन ठेकेदार के अपनी कानूनी बाध्यताएं पूरी करने में असफल रहने पर रेल के समाश्रित दायित्व के कारण कुछ व्यय करना पड़ता है तो रेल, ठेकेदार से इस प्रकार संदत्त मजदूरी की रकम या इस प्रकार उपगत व्यय की रकम वसूल करेगी और, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) और धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन रेल के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रेल ऐसी रकम या उसके भाग को प्रतिभूति निक्षेप से और/या रेल द्वारा ठेकेदार को, चाहे संविदा के अधीन या अन्यथा, देय किसी धनराशि से काटकर वसूल करने के लिए स्वतन्त्र होगी। रेल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) और धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन अपने विरुद्ध किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए उस दशा के सिवाय आबद्ध नहीं होगी, जब ठेकेदार ने लिखित रूप में अनुरोध किया हो और रेल को उन सभी खर्चों के लिए पूरी प्रतिभूति दे दी हो जिनके लिए रेल ऐसे दावे का प्रतिवाद करने में दायी हो सकती हो। ठेकेदार से वास्तव में वसूल की जाने वाली ऊपर कथित रकम के संबंध में रेल का विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा। रेल द्वारा किए गए संदायों की वसूली।

2.41. रेल को, इस करार की किसी शर्त या सभी शर्तों को, कोई भी कारण बताए बिना, परिवर्तित करने का अधिकार है। शर्त परिवर्तन।

इसके साक्ष्यस्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ...., ... मण्डल अधीक्षक...... ....रेल, ने और .... ठेकेदार ने ऊपर लिखी तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मण्डल अधीक्षक, ... रेल, ... ने हस्ताक्षर किए।

....
ठेकेदार

ऊपर नामित व्यक्ति ने निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए—	ऊपर नामित व्यक्ति ने निम्नलिखित की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किए—
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.... ... .
पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों मे)	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
....	....
पता.....	पता. ....

दक्षिण-पूर्व रेल

निविदा आवेदन प्ररूप

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,
जो इस विलेख के प्रयोजन के लिए
मण्डल अधीक्षक,
....रेल,................
के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।

मैं/हम. ...., जो श्री... .. ..का/के पुत्र और. . . .. .का/के निवासी है/हैं, निविदा प्ररूपों में दी गई कार्य की शर्तों और संलग्न सूचना में, जिसमें निविदा की विस्तृत शर्तें और करार का प्ररूप सम्मिलित है, अधिकथित शर्तों की पूरी जानकारी सहित.... . .. .शैड पर, जिसके अन्तर्गत निविदा की विस्तृत शर्तों में विनिर्दिष्ट छोटे और उप-शैड तथा पम्प घर भी हैं, कोयले की उठाई-धराई/. . ... संविदा के लिए इसके नीचे उल्लिखित कार्य की प्रत्येक मद के लिए (निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अनुसार) एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष की संविदा के लिए अलग-अलग अपनी दरें प्रस्थापित करता हूं/करते हैं और मैं/हम उक्त शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे। प्रस्थापना।

मैं/हम इस निविदा को, स्वीकृति के लिए, निविदा के खोले जाने के लिए नियत तारीख से 30/60/90 दिन की अवधि तक खुली रखने के लिए सहमत हूं/हैं और इसमें व्यतिक्रम किए जाने पर मेरा/हमारा अग्रिम धन निक्षेप समपहृत किया जा सकेगा। निविदा खुली रखने की अवधि।

निविदा स्वीकृति पर दरें लागू करने का अधिकार।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि मेरी/हमारी कोटेशन, निविदाएं खोले जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रशासन द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं तो वे करार के समाप्त होने तक चालू रहेंगी और प्रशासन को, सभी दरों या उनके किसी भाग को, आवश्यकतानुसार लागू करने का अधिकार है।

घोषणा।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि मेरी/हमारी निविदा रेल द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो निविदा की विस्तृत शर्तों में और करार प्ररूप में (जो निविदा प्ररूप के साथ मुझे/हमें दिया गया है) अधिकथित निबंधन और शर्तें मुझपर/हम पर उसी दिन से पूर्णतः आबद्धकर होंगी जिस दिन से मैं/हम इस संविदा का कार्य-भार ग्रहण करूंगा/करेंगे।

अग्रिम/प्रतिभूति धन का समपहरण।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि जो अग्रिम धन और आरम्भिक प्रतिभूति धन, मैंने/हमने जमा किया वह संपूर्ण धन, किन्हीं अन्य अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दशा में समपहृत हो जाएगा जब—

(क) मैं/हम रेल द्वारा जारी की गई इस बात की सूचना, कि ऐसी संविदा दस्तावेजें तैयार हैं, प्राप्त होने के सात दिन के भीतर संलग्न प्ररूप में संविदा दस्तावेजें निष्पादित नहीं करूंगा/करेंगे, या

(ख) मैं/हम कार्य आरम्भ करने के आदेश प्राप्त होने के पश्चात् .. .. . दिन के भीतर कार्य आरम्भ नहीं करूंगा/करेंगे।

करार पर हस्ताक्षर करना।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि मेरी/हमारी निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो, जब भी रेल द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, मैं/हम करार पर (जिसकी प्रति मुझे/हमें पहले ही दी जा चुकी है) हस्ताक्षर करने के लिए हर समय तैयार रहूंगा/रहेंगे।

स्वीकृति आबद्धकर संविदा होगी।

जब तक कि उपर्युक्त करार तैयार नहीं कर लिया जाता और निष्पादित नहीं कर दिया जाता, तब तक इस निविदा की स्वीकृति हमारे बीच आबद्धकर संविदा होगी और उसमें हमारी परस्पर सहमति से रूपांतर किए जा सकेंगे।

ठेकेदार/ठेकेदारों के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

तारीख.......... ....

....

ठेकेदार का पता

कार्य का विवरण	प्रतिटन दर	कार्य के लिए संदाय की जाने वाली					
		दरें, शब्दों में	दरें, अंकों में	दरें, शब्दों में	दरें, अंकों में	दरें, शब्दों में	दरें, अंकों में
		एक वर्ष		दो वर्ष		तीन वर्ष	
1	2	3		4		5	
(1) नीचे उल्लिखित कार्य के घण्टों के भीतर वैगनों से कोयला/कोक उतारना और लोको शैड, यातायात यार्ड, स्टेशन प्लेटफार्म, कारखाने और बिजली घर से चालू रेलपथ के 50 गज के भीतर							

1	2	3	4	5
अधिकारियों द्वारा बताए स्थान पर उन्हें ले जाना उनका ढेर लगाना, यदि कार्य	—			
के 3 घण्टों में किया जाता है	प्रतिटन			
के 5 घण्टों ,,	,,			
के 8 घण्टों ,,	,,			

कोयला उतारने की दर में कोयले के ढेलों को 4 घन इंच के और उससे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की दर भी सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
...जन टेण्डरों से दिन-रात प्रति घण्टा सात टन की दर से कोयला उतारना और लोको शैड, यातायात यार्ड, स्टेशन प्लेटफार्म और कारखाने में चालू रेलपथ के 50 गज के भीतर उसका ढेर लगाना।	दर प्रतिटन			
प्रशासन के निदेशानुसार स्टेशन या मध्य खण्ड पर नीचे उल्लिखित कार्य के घंटों की अवधि के भीतर वैगनों से कोयला उतारना और उसी दिन तुरंत उसे सिर पर ढोकर या अन्यथा पम्प-इंजन स्थल पर पहुंचाना, उसके चट्टे लगाना और उसे समतल करना।	दर प्रतिटन			
(i) ....स्थित पम्प घर पर	कार्य के 5 घण्टों के भीतर		प्रतिटन	
(ii) — ,,	,,		,,	
(iii) — ,,	,,		,,	
(iv) — ,,	,,		,,	
(v) — ,,	,,		,,	
(vi) — ,,	,,		,,	
(vii) — ,,	,,		,,	
(4) प्रशासन के निदेशानुसार लोको शैड, उपशैड, स्टेशन या कारखाने के अन्दर या बाहर 50 गज के भीतर किसी स्थल पर वैगनों में या इंजन टेण्डरों से कोयला/कोक उतारने के साथ-साथ उसके चट्टे लगाना।	दर प्रतिटन			

	2	3	4	5	6	7
(5) रेल के निदेशानुसार लोको शेड, उप शेड और कारखाना परिसर के भीतर विभिन्न उपभोग केन्द्रों, जैसे स्थायी बायलरों, लुहारखानों, इंजनों को प्रज्वलित करने के लिए या विविध प्रयोजनों के लिए कोयले/कोक को ले जाना।	कोई कोटेशनें अपेक्षित नहीं हैं। संदाय करार के खण्ड 6 के अनुसार किया जाएगा					
(6) रेल द्वारा बताए गए कोयले के चट्टे से दिन और रात के दौरान 4 घन इंच और इससे छोटे टुकड़ों को टोकरियों या बोरियों में बरकर इंजन टेंडरों पर लादना और उन्हें टेण्डरों पर समतल करना, यदि यह कार्य—						
7 टन प्रति घंटा की दर से किया जाता है						
14 टन प्रति घंटा ,,						
21 टन प्रति घंटा ,,						
28 टन प्रति घंटा ,,						
टिप्पण:—यदि यांत्रिक कोयला साधित्र खराब हो जाता है तो भी यह दर लागू होगी।						
) रेल द्वारा बताए गए कोयले के चट्टे से रेल के निदेशानुसार कोयले के 4 घन इंच और इससे छोटे टुकड़े/कोक को बाल्टियों या ट्रालियों से लादना।				प्रतिटन		
) रेल के निदेशानुसार नीचे उल्लिखित कार्य के घण्टों के भीतर वैगनों में कोयले/कोक को लादना—						
(i) कार्य के 3 घण्टे के अन्दर						
(ii) कार्य के 5 घण्टे ,,						
(iii) कार्य के 8 घण्टे ,,						
) रसायनों को 50 गज के भीतर उतारना और उनके चट्टे लगाना। दर प्रति 100 बोरी या बैरल—						
(i) नमक की बोरी (2 मन प्रति बोरी)						
(ii) चूना (100 से 160 पाउण्ड के बीच)						
(iii) सोडियम एल्युमिनेट (. . . . . .वजन)						

1	2	3	4	5	6	7
(iv) टैनिन (.. ...वजन)						
(v) सभी अन्य जल-मृदुकरण रसायन, जो बोरियों या बैरलों में प्राप्त हुए हों।						
10) एक वैगन से दूसरे वैगन में कोयले/कोक का प्रति घंटा 7 टन की दर से अन्तरण (कोयले और कोक की संगणना 42 घन फुट प्रति टन के हिसाब से की जाएगी)		दर प्रति टन				

ठेकेदार/ठेकेदारों के हस्ताक्षर

मैं जानता हूं/हम जानते हैं कि मण्डल अधीक्षक, ..., सर्वाधिक अनुकूल निविदा या कोई निविदा स्वीकार करने के लिए अपने आपको आबद्ध नहीं करता है, और वह ऐसा करने के लिए कोई कारण नहीं बताएगा।

साक्षी के हस्ताक्षर ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

साक्षी का नाम पता

उपजीविका और पता

मैं/हम इसके साथ........ .. ....रुपए का अग्रिम धन निक्षेप भिजवाने के लिए .. . . द्वारा जारी की गई धन रसीद सं०.. ....तारीख. ....संलग्न कर रहा हूं/रहे हैं।

मैं/हम इसके साथ आयकर अधिकारी....................द्वारा मेरे/हमारे पक्ष में जारी किया गया चालू आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं।

उस स्थिति में भरा जाए जब निविदाएं फर्मों द्वारा प्रस्तुत की जाती है

रबार का नाम....................... हस्ताक्षर............. ..

फर्म का गठन (भागीदारों के नाम) तारीख . . . .

निविदा प्ररूप सं० .... .शैड........ . .उप ठेकेदार का नाम जिसे यह बेचा गया है .

सहायक/मण्डल यांत्रिक इंजीनियर

. ... .रेले

बुक स्टाल ठेकेदारों के साथ करार का मानक प्ररूप

बेरोजगार स्नातकों के बुक स्टालों का आबंटन

यह करार एक पक्षकार के रूप में रेल प्रशासन के कार्यपालक प्राधिकारी के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "प्रशासन" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में . . .. ,जो पुस्तकों और नियतकालिक पत्रिकाओं के विक्रेता का कारबार करता है, (जिसे इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है) के बीच आज तारीख.... .... .को किया गया। करार के पक्षकार।

प्रशासन, अनुज्ञप्तिधारी को पुस्तकों, नियतकालिक पत्रिकाओं, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य का विक्रय करने और ऐसे साहित्य के विक्रय के लिए.. . . .स्टेशन पर बुक स्टाल लगाने की अनुज्ञा देने के लिए सहमत हो गया है, अतः पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:—

संविदा-काय।

3.1. अनुज्ञप्तिधारी को उपर्युक्त स्टेशन परिसर पर लकड़ी का एक ऐसा बुक स्टाल उपलब्ध कराया जाएगा जो, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक के एकमात्र विवेकानुसार, आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त और पर्याप्त है, किन्तु उसे अपना स्टाल या फर्नीचर ऐसे ढंग से रखने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जिससे रेल के कामकाज में कोई बाधा पहुंचे या यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा हो। ऐसी पुस्तकों या नियतकालिक पत्रिकाओं के विक्रय का अधिकार एकमात्र अनुज्ञप्तिधारी को ही प्राप्त नहीं होगा, अपितु प्रशासन ऐसी सुविधा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भी दे सकेगा।

प्रतिषिद्ध सामग्री की बिक्री पर पाबंदी।

3.2. अनुज्ञप्तिधारी उन्हीं समाचारपत्रों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं आदि का विक्रय करेगा जो भारत सरकार द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है या जिन पर पाबन्दी नहीं लगाई गई है। अश्लील साहित्य, चित्र और फोटो का विक्रय पूर्णतः प्रतिषिद्ध है। अनुज्ञप्तिधारी, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए और प्रकाशित प्रचार साहित्य का स्टाक, विक्रय और प्रदर्शन के लिए, रखेगा और इस संबंध में मुख्य जन संपर्क अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा।

विक्रय कराने का अधिकार।

3.3. प्रशासन को अनुज्ञप्तिधारी से किन्हीं विशेष पुस्तकों या विशेष प्रकार की पुस्तकों और नियतकालिक पत्रिकाओं का विक्रय कराने का अधिकार है और अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

अग्रिम-धन।

3.4. अनुज्ञप्तिधारी क्रमवर्ती रूप से प्रथम.......................वर्षों के लिए प्रतिवर्ष.............................रुपए और उसके बाद प्रति वर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए.........रुपए की राशि का, जो अग्रिम रूप से संदेय होगी, इस रेल के उस मण्डल अधीक्षक को संदत्त करेगा जिसकी अधिकारिता में स्टाल स्थित है।

प्रतिभूति निक्षेप।

3.5. अनुज्ञप्तिधारी इस करार को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिए उक्त मण्डल अधीक्षक के पास प्रतिभूति निक्षेप के रूप में...............वर्ष की फीस की रकम जमा करेगा।

विज्ञापन के लिए धन।

3.6. अनुज्ञप्तिधारी प्रशासन की पूर्व अनुज्ञा से बुक-स्टाल की संरचना पर बुक-स्टाल की अन्तर्वस्तु से भिन्न विज्ञापन सामग्री, संरचना स्थापित करने के समय विद्यमान दरों पर प्रदर्शित कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस विज्ञापन अभिकरण को, जिसके माध्यम से बुक-स्टाल पर प्रदर्शन के लिए विज्ञापन प्राप्त हुए हों, 15 प्रतिशत कमीशन का संदाय कर दिए जाने के पश्चात्, शेष आय में प्रशासन और अनुज्ञप्तिधारी का आधा-आधा हिस्सा होगा।

विज्ञापन से रेल को प्राप्त धन।

3.6क उपर्युक्त खण्ड में दी गई अनुज्ञा के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी एक विवरण तैयार करेगा और उसे इस रेल के उक्त मण्डल अधीक्षक को...............पर प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह.............को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बुक-स्टाल पर प्रदर्शित सभी विज्ञापनों के लिए रेल को संदेय हिस्सा दर्शित करेगा और प्रशासन को देय सभी धन राशियां, कोई भी कटौती किए बिना, ऊपर निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही उक्त अधिकारी को भेजेगा।

विवरण की प्रति जनसंपर्क अधिकारी को भेजना।

3.6ख. अनुज्ञप्तिधारी ऊपर खण्ड 3.6क में निर्दिष्ट विवरण की एक प्रति और भेजी गई धन राशियों की विशिष्टियां, इस रेल के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, . .को भी भेजेगा।

संरचना के निर्माण पर निषेध।

3.7. अनुज्ञप्तिधारी, ... रेल के. . . .. . .मण्डल के अधीक्षक की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, रेल भूमि पर किसी संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

संदाय की पद्धति।

3.8. अनुज्ञप्तिधारी स्टेशन पर स्थापित बुक-स्टाल पर समाचारपत्रों, पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के संप्रदर्शन के लिए प्रशासन को निम्नलिखित रूप में संदाय करेगा. (i) अधिभोग के स्थान के लिए प्रभार के रूप में प्रतिवर्ष एक रुपया, और (ii) नगरपालिका के उस कर के अतिरिक्त, जो स्थानीय नगरपालिका द्वारा स्टेशन भवन पर उद्गृहीत कर के अनुपात में देय है, 10 रुपए प्रतिमास की दर से सफाई उपकर, सिवाय तब के जबकि नगरपालिका ने बुक-स्टाल के लिए कर की कोई नियत रकम उद्गृहीत की है। पश्चात्कथित दशा में वह वास्तविक कर संदेय होगा जो नगरपालिका ने प्रभारित किया है। अनुज्ञप्तिधारी से प्रत्येक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल

क) के लिए शोध्य उपकर, प्रभार और कर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी,. . . . . रेल ठीक रकम की जानकारी प्राप्त होने पर संदेय होंगे।

विद्युत् व्यवस्था।

दि अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत् संस्थापनों की आवश्यकता है और विद्युत उपलब्ध है तथा उसका ाय किया जा सकता है तो अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उन शर्तों से ए, जिनके अधीन विद्युत् ऊर्जा दी जाएगी, उपाबंध "क" के अनुसार निबन्धनों के ज्ञापन पर यदि निबन्धनों के ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कोई राशि, लिखित रूप से मांग की जाने की तारीख से अधिक समय तक बकाया रहती है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रशासन को . . . . की दर से ब्याज संदेय होगा।

क) अनुज्ञप्तिधारी, बुक-स्टाल के विद्युत् संस्थापन के लिए प्रशासन को मासिक किराए का भी रेगा और बुक-स्टाल में लगाई गई बत्तियों के लिए उपर्युक्त विद्युत् ऊर्जा प्रभारों का, बिल प्रस्तुत ने पर, समय-समय पर नियत और इस करार की तारीख से लागू दरों पर तथा मांग की जाने रीख से पन्द्रह दिन के भीतर, संदाय करेगा।

संदाय में व्यतिक्रम के परिणाम।

(ख) यदि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् संस्थापन के लिए किराया प्रभारों और/या प्रदाय की गई विद्युत् की कीमत के संदाय में व्यतिक्रम करता है तो प्रशासन को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय रकम पूर्वोक्त भूति निक्षेप में से, उस सीमा तक जिस तक वह उपलब्ध है, काटने या अन्यथा वसूल करने और स्टाल का कनेक्शन मुख्य प्रदाय केन्द्र से काट देने तथा विद्युत् का प्रदाय तब तक बन्द रखने का धिकार होगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी उस संदाय की जिसका व्यतिक्रम हुआ था, पूर्ति नहीं कर देता और प्रतिभूति निक्षेप की रकम पूरी नहीं कर देता है। इस खंड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए इससे अनुज्ञप्ति के खंड 20 के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द करने के प्रशासन के अधिकार पर ोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बेरोजगार स्नातकों को स्टाल।

10. बेरोजगार स्नातक या बेरोजगार स्नातकों का कोई रजिस्ट्रीकृत निकाय या बेरोजगार स्नातकों की कारी सोसाइटी, जिसके पक्ष में बुक-स्टाल का आवंटन किया गया है, जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा सामान्यतया बुक-स्टालों को स्वयं चलाएगा/चलाएगी और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, उसे, क्रेता नियोजित करने की अनुज्ञा नहीं है। वह सक्षम प्राधिकारी की, अर्थात्, स्थायी रूप से विक्रेता करने के लिए वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक की या अस्थायी अवधि के लिए विक्रेता नियुक्त करने के लिए धत मण्डल अधीक्षक की स्पष्ट मंजूरी से और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाने वाली सेवा को जो प्रशासन ष्टि से अपर्याप्त साबित हुई है, बनाए रखने के एकमात्र उद्देश्य से, ऐसा कर सकेगा/सकेगी। इस प्रकार जित किए जाने वाले विक्रेताओं की संख्या संबंधित मण्डल अधीक्षक द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित कर्मचारी।

3.10क. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित सभी कर्मचारी साफ सुथरे होने चाहिएं। उनकी वर्दियों की स्था अनुज्ञप्तिधारी को अपने खर्च पर करनी चाहिए। धातु का बिल्ला जिस पर "विक्रेता" लिखा हुआ होगा, शन मास्टर को. . . . . .रुपए का संदाय किए जाने पर, रेल द्वारा दिया जाएगा। यह बिल्ला ार समाप्त होने पर वापस ले लिया जाएगा और तभी निक्षेप का प्रतिदाय किया जाएगा।

ग्राहकों से व्यक्तिगत व्यवहार।

3.11. यदि अनुज्ञप्तिधारी ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है तो वह, उसके स्टाल कीपर/ क्रीकर्ता और उसके सेवक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपनी चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता का प्रमाणपत्र, पहली बार नियुक्ति के समय और उसके पश्चात् छह मास के अन्तराल से कालिकतः प्रस्तुत करेगा/करेंगे। प्रमाणपत्र में विशिष्ट रूप से यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में यह प्रमाणपत्र है वह ग्यसंक्रम से मुक्त है। फिर भी यदि रेल के किसी पर्यवेक्षण/निरीक्षण कर्मचारी को यह संदेह है कि अनुज्ञप्ति-धारी, उसके स्टाल कीपर/बिक्रीकर्ता या उसके सेवक क्षय रोग आदि के संक्रमण से पीड़ित हैं, तो संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को निदेश दिया जाएगा कि वह/वे स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपने खर्च पर निकटतम रेल अस्पताल में रेल के डाक्टर को रिपोर्ट करे/करें। यदि आवश्यक समझा जाता है तो संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपने खर्च पर अपने वक्ष का एक्सरे, रेल डाक्टर से जांच कराने के लिए, प्रस्तुत करे।

3.12. यदि अनुज्ञप्तिधारी ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है और वह क्षय या किसी अन्य संक्रामक रोग से पीड़ित पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी को ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करना तत्काल बन्द कर देना चाहिए और यदि कोई अन्य सम्बन्धित व्यक्ति क्षय या किसी अन्य संक्रामक रोग से पीड़ित पाया जाता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। **बीमार कर्मचारियों का हटाया जाना।**

3.13. अनुज्ञप्तिधारी कार्य पर नियोजित अपने कर्मचारियों की बाबत मजदूरी संदाय अधिनियम और उसके कानूनी उपान्तरों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और अनुज्ञप्तिधारी को सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए नियोजक समझा जाएगा। **मजदूरी संदाय अधिनियम का पालन।**

3.14. अनुज्ञप्तिधारी अपने आदमियों को अनुदेश देगा कि जिन स्थानों पर रेल गाड़ियां दस मिनट या उससे अधिक रुकती हैं, वहां वे समाचारपत्र बेचने के लिए न तो शोर मचाएं और न चिल्लाएं। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है और अनुज्ञप्तिधारी तथा उसके सेवक इस संबंध में स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करेंगे। **चिल्लाने की मनाही।**

3.15. अनुज्ञप्तिधारी, अपने सेवकों के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। वह सभी समयों पर रेल के नियमों और विनियमों का आदर और अनुपालन करेगा और इस अनुज्ञप्ति के दौरान यात्रियों से शिष्ट और नम्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। **यात्रियों के साथ व्यवहार।**

3.16. समाचारपत्रों, नियतकालिक पत्रिकाओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि और अन्य साहित्य की विक्रय कीमत पुस्तक विक्रेताओं द्वारा प्रभारित कीमत से अधिक नहीं होगी। **पत्रिकाओं की विक्रय कीमत।**

3.17. अनुज्ञप्तिधारी अपनी पुस्तकें आदि चलती हुई रेल गाड़ियों में नहीं बेचेगा। और यदि उसे इस शर्त का अतिलंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे बिना टिकट यात्री माना जाएगा और तदनुसार उससे प्रभार वसूल किया जाएगा। **चलती रेलगाड़ी में पुस्तक-विक्रय नहीं।**

3.18. अनुज्ञप्तिधारी संविदा को उपपट्टे पर नहीं देगा, समनुदेशित नहीं करेगा या अन्तरित नहीं करेगा। **संविदा का उपपट्टे पर न दिया जाना।**

3.19. यदि अनुज्ञप्तिधारी स्वेच्छा से काम बन्द कर देता है या ऊपर अनुबन्धित शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो प्रतिभूति निक्षेप की पूरी रकम समपहृत की जा सकेगी। **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण।**

3.20. यदि अनुज्ञप्तिधारी चेतावनी दिए जाने के बाद भी इसमें उल्लिखित शर्तों में से किसी शर्त को भंग करता है तो उस पर रेल के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा.............रुपए और यदि आवश्यक हो तो इससे अधिक जुर्माना किया जा सकेगा। इसमें की किसी भी शर्त के बार-बार भंग किए जाने पर, यह अनुज्ञप्ति कोई सूचना दिए बिना, रद्द की जा सकती है और प्रतिभूति निक्षेप की पूरी रकम या उसका कोई भाग, जैसा भी रेल प्रशासन का ज्येष्ठ उप महाप्रबन्धक अपने पूर्ण विवेकानुसार विनिश्चित करे, समपहृत कर लिया जाएगा। **शर्तों का भंग और जुर्माना।**

3.21. यदि ऊपर उल्लिखित शर्तों में से किसी शर्त के अतिलंघन का पता चलता है या किसी भी समय जनता के साथ अभद्र व्यवहार या अनुचित कीमत वसूल करने की शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत सारतः सही साबित होने पर अनुज्ञप्तिधारी को उपर्युक्त रूप में दण्डित किया जाएगा। इस बाबत.............रेल प्रशासन के ज्येष्ठ उप महाप्रबन्धक का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा। **दण्ड।**

3.22. यदि अनुज्ञप्ति चालू रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है या उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है तो यह करार पूर्णतः समाप्त और पर्यवसित हो जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी के, यथास्थिति, वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधियों का या, दिवाले की दशा में, उसके समनुदेशितियों का इस करार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई भी हित नहीं होगा और उनको वही अधिकार प्राप्त होगा जो स्वयं अनुज्ञप्तिधारी को उस दशा में प्राप्त होता जब उसे, यथास्थिति, अपनी मृत्यु या दिवालिया होने के दिन इसके खंड 26 के अधीन करार समाप्त कर दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई **दिवालिया होने के परिणाम।**

होती; परन्तु यह तब जबकि मृत्यु हो जाने की दशा में (किन्तु अन्यथा नहीं) प्रोबेट या प्रशासनपत्र या संविदा की सम्पदा के वारिस होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके ऐसा अधिकार साबित कर दिया जाता है : परन्तु यह भी कि इस खंड में उल्लिखित कोई बात किसी ऐसे दावे पर, जो रेल प्रशासन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति, अपने जीवनकाल में या शोधनक्षमता के दौरान, इसमें अन्तर्विष्ट किसी निबन्धन और शर्तों के किसी भंग के लिए या उसके संबंध में यथास्थिति, ऐसे वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधियों या दिवाले की दशा में समनुदेशितियों के विरुद्ध कर सकता है या क्षतिपूर्ति के किसी ऐसे अधिकार पर, जो प्रशासन को इसके खंड 23 के उपबन्धों के अधीन या उनके आधार पर प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसे प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

3.23. अनुज्ञप्तिधारी उसके वारिस, निष्पादक और प्रशासक सभी समयों पर प्रशासन को ऐसे सभी दावों, नुकसानियों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों से, जिनके लिए प्रशासन ठेकेदार की और/या प्रशासन की और/या उनके अपने-अपने सेवकों और कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण या अन्यथा हुए कार्यों या लोपों द्वारा ठेकेदार के कर्मचारियों और सेवकों को इस करार से उद्भूत होने वाली या इसके चालू रहने के दौरान होने वाली (उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत) व्यक्तिगत क्षतियों की बाबत और ठेकेदार की और/या उसके सेवकों और कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण या अन्यथा हुए कार्य या लोपों द्वारा प्रशासन के कर्मचारियों और सेवकों को इस करार से उद्भूत होने वाली या इसके चालू रहने के दौरान होने वाली (उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत) वैयक्तिक क्षतियों की बाबत और इस करार के जारी रहने के दौरान किसी भी प्रकार की किसी संपत्ति को हुई किसी क्षति की बाबत, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 या उसके किसी संशोधन के अधीन, दायी हो और ऐसे सभी व्ययों से जो प्रशासन को उसके अधीन करने पड़ें, क्षतिपूरित रखेगा। **क्षतिपूर्ति।**

3.24. प्रशासन बुक स्टाल या उसमें रखे स्टाक की हानि या नुकसान को पूरा करने के लिए दायी या जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे ऐसी हानि या नुकसान किसी भी कारणवश हुआ हो। **बुक स्टाल पर हानि आदि के लिए प्रशासन जिम्मेवार नहीं।**

3.25. यदि इन शर्तों में से किसी शर्त के अधीन या इस संविदा के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो (ऐसे विषयों के बारे में विवाद को छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इस विलेख में, विशेष रूप से उपबन्ध किया गया है) विवादग्रस्त विषय महाप्रबन्धक, ...रेल या उसके नामनिर्देशिती को उसके एक मात्र माध्यस्थम के लिए, निर्देशित किया जाएगा और महाप्रबन्धक या उसके नामनिर्देशिती का विनिश्चय अन्तिम और निश्चायक होगा और माध्यस्थम अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उसके कानूनी उपान्तरों के उपबन्ध इस संविदा को लागू समझे जाएंगे और उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। **माध्यस्थम खण्ड।**

3.26. यह करार....................से आरम्भ होगा और तभी से आरम्भ हुआ में समझा जाएगा और यदि प्रशासन इसे एक कैलेंडर मास की पूर्व सूचना देकर पहले ही समाप्त नहीं कर देता है तो, पूर्वोक्त तारीख से . ...अवधि के लिए/...................तक प्रवृत्त रहेगा। यदि ऐसी सूचना पर ज्येष्ठ उप महाप्रबन्धक के हस्ताक्षर हैं तो वह विधिमान्य और समुचित समझी जाएगी। इस प्रकार करार समाप्त कर दिए जाने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी का किसी भी प्रकार के प्रतिकर का कोई दावा नहीं होगा। **करार की अवधि।**

3.27. इसमें जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी अन्य कार्यवाहियां उनकी ओर से ज्येष्ठ उप महाप्रबन्धक, ...रेल, ... द्वारा दी या की जा सकेंगी। **सूचनाएं।**

इसके साक्ष्यस्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ....ने और ऊपर नामित अनुज्ञप्तिधारी ....ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुज्ञप्तिधारी

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

1 साक्षी ____________________

2. साक्षी ____________________

उपाबन्ध 'क'

... . के बुक स्टाल में लगाई गई बिजली की बत्तियों के लिए निबन्धनों का ज्ञापन

4.1. उक्त स्टाल में वायरिंग और फिटिंग उक्त रेल द्वारा अपने खर्च पर की जाएगी।

4.2. उक्त ठेकेदार बिजली के बल्बों को लगाने और खराब होने पर उन्हें बदलने की व्यवस्था स्वयं करेगा।

4.3. सर्विस मैन उक्त रेल द्वारा अपने खर्च पर दिए, लगाए और बनाए रखे जाएंगे।

4.4. विद्युत् ऊर्जा का उपभोग अभिलिखित करने के लिए उक्त स्टाल के लिए मीटर देने और लगाने का कार्य उक्त रेल द्वारा किया जाएगा।

4.5 ठेकेदार उपभोग की गई विद्युत् ऊर्जा की कीमत का संदाय मीटर रीडिंग के आधार पर... . ...प्रति बोर्डआफ ट्रेड यूनिट की दर से करेगा, किन्तु यदि रेल ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह ऐसी दर में किसी भी समय वृद्धि कर सकेगी।

4.6. यदि उक्त ठेकेदार विद्युत् ऊर्जा बिल का संदाय उस मास के, जिसके संबंध मे वह बिल है, ठीक आगामी मास के अन्त तक करने में असफल रहता है तो उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर, कोई और सूचना दिए बिना, विद्युत् का प्रदाय काट दिया जाएगा और प्रदाय की गई ऊर्जा की कीमत नीचे उल्लिखित खण्ड (8) के अधीन दिए गए अग्रिम धन से काट ली जाएगी। यदि बाद में पुनः कनेक्शन मांगा जाता है तो उक्त ठेकेदार, ...रुपए की पुनः कनेक्शन फीस का संदाय करेगा।

4.7. उक्त ठेकेदार विद्युत् संस्थापन की, जिसके अन्तर्गत मीटर भी है, वास्तविक लागत का (ब्याज, अनुरक्षण और अवक्षयण प्रभारों के मद्धे) प्रतिवर्ष .. . . .प्रतिशत की दर से किराए का, जिसमें निम्नलिखित प्रभार भी जोड़ दिए जाएंगे, अग्रिम रूप से संदाय करेगा :—

(क) सामग्री की लागत पर..............प्रतिशत की दर से माल भाड़ा प्रभार।

(ख) कुल पर................प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार।

4.8. उक्त ठेकेदार (उपर्युक्त खण्ड 5 और 7 देखिए) ऊर्जा की दो मास की प्राक्कलित कीमत और विद्युत् संस्थापन के किराए के बराबर राशि, जो प्रत्येक दशा में कम से कम............रुपए होगी, उक्त रेल के पास जमा करेगा।

4.9. उक्त रेल, प्रदाय में किसी भी कारण होने वाले किसी अवरोध के लिए, जिम्मेदार नहीं होगी और उसे किसी भी समय अल्पावधि सूचना देकर प्रदाय रोक देने का अधिकार होगा।

4.10. यदि ठेकेदारों द्वारा कोई परिवर्तन अपेक्षित हैं तो वे रेल द्वारा किए जाएंगे और ठेकेदार उनके खर्च का, उसमें सामान्य पर्यवेक्षण प्रभार जोड़कर, संदाय करेगा। ठेकेदार द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त फिटिंगें, यदि अनुमोदित की जाती हैं तो, रेल द्वारा अपने खर्चे पर लगाई जाएंगी और उनके लिए ठेकेदार खंड (7) के निबन्धनों के अनुसार किराए का संदाय करेगा।

4.11. यदि उक्त ठेकेदार बाद में रेल के खर्च पर लगाई गई बिजली की बत्तियों को हटाने का अनुरोध करता है तो उक्त ठेकेदार संस्थापन की अवक्षयित लागत तथा उसे हटाने के खर्च का, उसमें दोनों के प्रायिक पर्यवेक्षण प्रभार जोड़कर और हटाई जाने वाली फिटिंगों का वर्तमान मूल्य घटाकर, संदाय करेगा।

4.12. (क) जहां तक उक्त स्टाल में विद्युत् संस्थापन का सम्बन्ध है, उक्त ठेकेदार भारतीय विद्युत् अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने का करार करेगा और उसे प्रदाय की गई विद्युत् ऊर्जा का उपभोग ऐसी रीति से नहीं किया जाएगा जिससे अन्य उपभोक्ताओं के, जिनके अन्तर्गत उक्त रेल भी है, प्रदाय में बाधा पड़े।

(ख) यदि उक्त ठेकेदार भारतीय विद्युत अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन करता है या उक्त रेल की लागत पर लगाए गए संस्थापन को बिगाड़ता है तो कोई सूचना दिए बिना, विद्युत् प्रदाय तुरन्त बंद कर दिया जाएगा, और यह सुविधा पूर्ण रूप से वापिस ले ली जाएगी, और उक्त ठेकेदार इस अनुसूची के निबन्धनों के अधीन देय सभी प्रभारों का तुरन्त संदाय करने के लिए दायी हो जाएगा और उन्हें उक्त रेल, उक्त ठेकेदार द्वारा इस अनुसूची या मुख्य करार के किसी भी खंड के अधीन जमा किए गए अग्रिम धन में से काट सकेगी।

4.13 उक्त ठेकेदार, उक्त स्टाल में सर्विस मेन और विद्युत् संस्थापन के कारण हुई किसी दुर्घटना से होने वाली सभी हानियों, दावों, नुकसानों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों से, चाहे वे विधिक हों या अन्य प्रकार के, तथा इस विषय में सभी दावों और मांगों से और उनके विरुद्ध उक्त रेल को हानिरहित और क्षतिपूरित रखेगा।

4.14. ठेकेदार कार्य की प्राक्कलित लागत के 5 प्रतिशत के बराबर राशि का किन्तु कम से कम 25 रुपए का, संदाय अग्रिम रूप में, रेखांक और प्राक्कलन तैयार करने के खर्चे के रूप में, करेगा और यदि बाद में कार्य का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उक्त राशि वापस नहीं की जाएगी।

4.15. इसमें जैसा अन्यथा उपबन्ध है उसके अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी अन्य कार्यवाहियां, उनकी ओर से मण्डल अधीक्षक (विद्युत्), ...रेल द्वारा दी या की जा सकेंगी।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

ठेकेदार के हस्ताक्षर

मण्डल अधीक्षक (विद्युत्) के हस्ताक्षर

साक्षी

साक्षी

...................रेल

धोए जाने वाले कपड़ों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तौलिए के बराबर और उससे छोटे आकार के कपड़ों को छोटे कपड़ों के वर्ग में और तौलिए से बड़े आकार के कपड़ों को बड़े कपड़ों के वर्ग में रखा गया है।

उदाहरणार्थ

बड़े आकार के लिए दर		छोटे आकार के लिए दर		बड़े और छोटे आकार की औसत दर
1 वर्ष	3 वर्ष	1 वर्ष	3 वर्ष	

निविदाकार के हस्ताक्षर और पता

चिकित्सा अधीक्षक,

....रेल अस्पताल,

8—2 M of L&J/85

रेल अस्पताल के कपड़ों की धुलाई के लिए करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में . . . . रेल के स्वामी और प्रशासक के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "प्रशासन" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री . . . . (जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख . . . . .को किया गया। — करार के पक्षकार।

ठेकेदार इसमें आगे वर्णित निबंधनों पर . . . . .रेल, ... स्थित अस्पताल के कपड़ों की धुलाई करेगा और ठेकेदार ने इस विलेख के निष्पादन से पूर्व स्वीकृत संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर राशि (जिसे इसमें आगे "निक्षेप" कहा गया है) संविदा का सम्यक् रूप से और निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के लिए और इसमें आगे उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्रशासन के पास जमा कर दी है। अतः उक्त पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:—

5.1. प्रशासन, इस करार के जारी रहने के दौरान ठेकेदार को. . . . . स्थित अस्पताल के अस्पताली कपड़ों को साफ करने, धोने आदि की अनुज्ञा देगा।

5.2. ठेकेदार इस करार के जारी रहने के दौरान प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को धुलाई और सफाई के लिए मैले कपड़ों को . . . . स्थित अस्पताल स्थल से संगृहीत करेगा। यदि ठेकेदार पूर्वोक्त मैले कपड़ों को संगृहीत करने के लिए आने में असफल रहता है तो प्रशासन को उक्त मैले कपड़े स्वतंत्र रूप से धुलवाने, साफ करवाने, इस्त्री करवाने, तह लगवाने आदि का स्वतंत्रता होगी और संविदा दर के अनुसार खर्च और इस प्रकार कपड़ों को धुलवाने, साफ करवाने, इस्त्री करवाने, तह लगवाने के खर्च का अन्तर ठेकेदार से वसूल किया जाएगा। — कार्य-दिन।

5.3 ठेकेदार या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, पूर्वोक्त मैले कपड़ों को संगृहीत करने के लिए नियत समय और स्थान पर हाजिर होगा और वह अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर उसे दिए जाने वाले मैले कपड़ों के लिए समुचित रसीद देगा। — मैले कपड़ों का संग्रह।

5.4 अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्णन के पूर्वोक्त सभी कपड़ों को ठेकेदार द्वारा यथास्थिति धोया, साफ किया और प्रेस या इस्त्री किया जाएगा और ऐसी संपूर्ण धुलाई उच्च कोटि की होगी और चिकित्सा अधीक्षक, ... रेल, ... को पूर्ण समाधानप्रद रूप से की जाएगी। जब सम्यक् रूप से धुले हुए कपड़े परिदत्त किए जाएं तब वे साफ, ठीक तरह से इस्त्री और तह किए हुए होने चाहिए और उन पर कोई चुनट या सिलवट दिखाई नहीं देनी चाहिए। प्रशासन ऐसे कपड़े को अस्वीकार कर सकेगा जो पूर्वोक्त रीति से समाधानप्रद रूप से धुला हुआ, साफ किया हुआ, इस्त्री किया हुआ और तह किया हुआ नहीं होगा और ऐसे सभी कपड़े निःशुल्क या ठेकेदार के व्यय पर उचित रूप से पुनः धोए, साफ किए और/या इस्त्री तथा तह किए जाएंगे। ठेकेदार ऐसे कपड़ों से उन सभी निशानों या दागों को, जिन्हें हटाया जा सकता है, हटाएगा और यदि ठेकेदार से परिदान लेते समय चिकित्सा अधीक्षक, ... रेल को किसी धुले हुए कपड़े पर उक्त निशानों या दागों का पता चलता है तो ठेकेदार प्रशासन के लिए उन कपड़ों की निःशुल्क धुलाई का इंतजाम तत्काल करेगा। — कपड़ों की धुलाई।

5.5. इस करार की अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्णन के ऐसे सभी कपड़ों को, जो ठेकेदार द्वारा धोए या साफ किए जाने हैं, इसमें इसके पूर्व बताई गई रीति से सम्यक् रूप से धोकर और साफ करके, उस तारीख से जिसको कपड़े इसके खण्ड 2 में उपबंधित रूप में संगृहीत किए गए थे या संगृहीत किए जाने चाहिए थे, चार दिन के भीतर, प्रशासन को परिदत्त किए जाएंगे। समय इस संविदा का मर्म होगा और यदि ठेकेदार किसी समय किसी कपड़े को सम्यक् रूप से धोकर और साफ करके, ऐसे प्रयोजन के लिए अनुज्ञात समय के भीतर परिदत्त करने में असफल रहता है तो प्रशासन, अपने अन्य अधिकारों या उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कोई हानि ठेकेदार से वसूल करने का हकदार होगा जो उसे ठेकेदार के व्यतिक्रम के कारण हुई है। धुले हुए सभी कपड़े . . . . .स्थित. . . . . रेल अस्पताल में परिदत्त किए जाएंगे। ठेकेदार या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि साफ और — समय संविदा का मर्म।

धुले हुए कपड़े प्रशासन को वापस किए जाने के समय हाजिर होगा और जहां ऐसे कपड़े परिदत्त किए जाते हैं वहां चिकित्सा अधीक्षक, ... रेल अस्पताल .... से ऐसे कपड़ों की रसीद प्राप्त करेगा और ऐसी रसीद प्रशासन को वापस किए गए कपड़ों की संख्या के बारे में निश्चायक होगी।

नुकसान को क्षतिपूर्ति।

5.6. ठेकेदार के पास या उसके नियंत्रण में कपड़े रहने के दौरान कपड़ों को होने वाली हानि या नुकसान के लि , यदि ऐसी हानि या नुकसान सामान्य घिसाई के कारण नहीं हुआ है तो, ठेकेदार दायी होगा और उसकी प्रतिपूर्ति करेगा और चिकित्सा अधीक्षक, ...रेल अस्पताल, ...का, जिससे ठेकेदार ने उक्त कपड़े संगृहीत किए थे, इस बारे में विनिश्चय कि ऐसी कोई हानि या नुकसान सामान्य घिसाई के कारण हुई है या नहीं, अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा। प्रशासन ऐसे कपड़ों की लागत वसूल कर सकेगा जो ठेकेदार के पास या उसके नियंत्रण में रहने के दौरान खो गए हों, नष्ट हो गए हों या बदल गए हों। यदि कोई कपड़ा विहित चार दिन के भीतर, जिनके भीतर इसके खंड 5 के उपबंधों के अधीन वह वापस कर दिया जाना चाहिए, सम्यक् रूप से धोकर प्रशासन को परिदत्त नहीं किया जाता है तो यह समझ लिया जाएगा कि वह खो गया है या नष्ट हो गया है।

अधिसूचित दरें।

5.7. प्रशासन ठेकेदार को, इस करार के निबंधनों के अधीन की गई समस्त धुलाई और सफाई के लिए, इसकी अनुसूची में वर्णित और प्रशासन द्वारा ठेकेदार की प्रस्थापना स्वीकार करते समय अधिसूचित दरों पर संदाय करेगा। ठेकेदार को उतने कपड़ों की धुलाई और सफाई के लिए संदाय किया जाएगा जितने प्रशासन की पुस्तकों में, सम्यक्तः पूर्वोक्त रूप में धोए गए और साफ किए गए कपड़ों के रूप में, दर्शित किए गए हों और ऐसी पुस्तकों को इस खंड के प्रयोजन के लिए निश्चायक माना जाएगा।

24 घंटे के अन्दर धुलाई की विशेष दरें।

5.8. यदि प्रशासन द्वारा ठेकेदार से लिखित रूप में यह कहा जाता है कि वह किन्हीं कपड़ों को, जिन्हें वह इस संविदा के उपबंधों के अधीन धोने और साफ करने के लिए आबद्ध है, पूर्वोक्त रीति से उस समय से 24 या 48 घंटे के भीतर (जैसा भी ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो) जिस समय कपड़ों को यथा पूर्वोक्त धोने के लिए अस्पताल से हटाया जाता है, धो दे और साफ कर दे तो ठेकेदार वैसा करेगा। प्रशासन द्वारा अपेक्षित क्रमशः 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर की जाने वाली ऐसी धुलाई और सफाई के लिए प्रशासन द्वारा संदाय की जाने वाली दरें, इसके खंड 7 मे यथा उपबंधित संदाय के लिए करार पाई गई सामान्य दरों से डेढ़ गुनी होंगी।

बिल।

5.9. ठेकेदार इस संविदा के अधीन पूर्ववर्ती मास में किए गए कार्य की बाबत, अपना बिल तीन प्रतियों में, ठीक आगामी मास के चौथे दिन या उससे पूर्व प्रस्तुत करेगा। ऐसे बिल चिकित्सा अधीक्षक, ... रेल, ...को प्रस्तुत किए जाएंगे और देय रकम के लिए इसके खंड 5 और 6 के अधीन रहते हुए, प्रशासन के विवेकानुसार, चैक द्वारा या मुख्य खजांची के माध्यम से संदाय के लिए मंडल लेखा अधिकारी द्वारा पास किए जाएंगे।

संविदा का उपपट्टे पर न दिया जाना।

5.10. ठेकेदार इस संविदा को या उसके किसी भाग को या उसके अधीन किसी भी प्रकार के हित को प्रशासन की लिखित पूर्व सम्मति के बिना किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को उपपट्टे पर नहीं देगा, समनुदेशित नहीं करेगा या अंतरित नहीं करेगा। इस शर्त के भंग किए जाने पर प्रशासन इस संविदा को, कोई सूचना दिए बिना, विखंडित करने का हकदार हो जाएगा और ठेकेदार संविदा के ऐसे रद्द किए जाने से उद्भूत या उसके कारण होने वाली हानि या नुकसान के संबंध में प्रशासन को संदाय करने का दायी हो जाएगा। ठेकेदार द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके कार्य को उप-पट्टे पर दिए जाने या समुदेशित किए जाने से उप-ठेकेदार और प्रशासन के बीच कोई संविदात्मक संबंध स्थापित नहीं होगा और ठेकेदार संविदा के अधीन किसी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा।

करार की अवधि।

5.11. यह करार तारीख ....से प्रभावी हुआ समझा जाएगा और इसमें उपबंधित उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और करार की अवधि के अवसान होने से पूर्व प्रशासन द्वारा ठेकेदार को एक सप्ताह की सूचना दिए जाने पर अगले दो मास की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया समझा जाएगा।

करार की समाप्ति।

5.12. लिखित रूप में 3 कलैण्डर मास की पूर्व सूचना देकर करार को पहले भी समाप्त किया जा सकता है और यदि ऐसी सूचना प्रशासन द्वारा दी जाती है तो वह तभी विधिमान्य होगी जब वह चिकित्सा अधीक्षक, ... रेल अस्पताल, ... द्वारा दी गई और हस्ताक्षरित हो।

प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय।

5.13. प्रशासन, इस संविदा के समाप्त होने पर प्रतिभूति निक्षेप या उसके ऐसे भाग का, जो उपलभ्य हो, ठेकेदार को प्रतिदाय कर देगा परन्तु यह तब जब ठेकेदार, प्रशासन द्वारा उसे दी गई मूल रसीद और ठेकेदार द्वारा स्टांप लगाई गई और हस्ताक्षरित प्रतिदाय की रसीद, प्रशासन को उक्त निक्षेप के प्रतिदाय के समय अभ्यर्पित कर दे। यदि ठेकेदार मूल रसीद को वापस करने में असमर्थ है तो उसे एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र देना होगा जो सम्यक् रूप से स्टांप लगा हुआ और उसके द्वारा निष्पादित किया गया हो। प्रतिभूति निक्षेप की रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

संविदा समाप्त करने की शक्ति।

5.14. यदि ठेकेदार की या (यदि भागीदारी है तो) ठेकेदारों में से किसी ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है, उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है या वह अपने लेनदार या लेनदारों के साथ कोई करार या प्रशमन कर लेता है या संदाय निलंबित कर देता है अथवा यदि वह कोई कंपनी है तो उसका अनिवार्य या स्वैच्छिक समापन हो जाता है तो प्रशासन को यह शक्ति है कि वह संविदा को समाप्त कर दे, किंतु संविदा को समाप्त कर दिए जाने से ठेकेदार या उसके वारिस और विधिक प्रतिनिधि प्रशासन द्वारा ऐसी संविदा की बाबत उपगत किसी हानि या नुकसान, खर्च प्रभार या व्यय के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे।

संविदा में परिवर्तन या परिवर्धन।

5.15. इस विलेख को इन शर्तों से भिन्न कोई शर्त लागू नहीं होगी। इस संविदा या इन शर्तों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन प्रशासन पर तब तक आबद्धकर नहीं होगा जब तक कि ऐसे परिवर्तनों या परिवर्धनों को इस संविदा पर पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता या उन्हें इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार द्वारा और प्रशासन की ओर से चिकित्सा अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित अनुपूरक लिखत में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता।

क्षतिपति।

5.16. अनुज्ञप्तिधारी प्रशासन को, उसके अधिकारियों और सेवकों को किसी भी प्रकार के ऐसे सभी दावों, मांगों, वादों, हानियों, नुकसानों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों से सभी समयों पर क्षतिपूरित रखेगा और उनके मद्धे प्रशासन उसके अधिकारियों और सेवकों या उनमें से किसी की प्रतिपूर्ति करेगा, जो प्रशासन, उसके अधिकारियों और सेवकों द्वारा इस संविदा के चालू रहने के दौरान ठेकेदार या उसके अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों, अनुज्ञात समनुदेशितियों की उपेक्षा, असावधानी या किसी भी प्रकार के अन्य आचरण के कारण किसी व्यक्ति या किसी भी प्रकार की किसी संपत्ति को पहुंची क्षति के कारण या परिणामस्वरूप, उठाए या उपगत किए जाएं या जिनका संदाय करने के वे दायी हो जाएं। ठेकेदार, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सभी समयों पर प्रशासन को ऐसे सभी दावों और प्रभारों से, जिनके लिए प्रशासन कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके किसी संशोधन के अधीन, ठेकेदार की या प्रशासन की या उनके अपने-अपने सेवकों और कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण या अन्यथा हुए उनके कार्यों या लोपों द्वारा प्रशासन के कर्मचारियों और सेवकों को इस करार से उद्भूत होने वाली या इसके चालू रहने के दौरान होने वाली (उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत) वैयक्तिक क्षति की बाबत, दायी हो और ऐसे सभी दावों से जो प्रशासन को उसके अधीन करने पड़े, हानिरहित और क्षतिपूरित रखेगा और ठेकेदार, इस खंड में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्षतिपूर्ति के ऐसे अधिकार को त्याग देने का करार करता है जो ठेकेदार को इस करार के चालू रहने के दौरान ठेकेदार के किसी कर्मचारी या सेवक के साथ (कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अर्थान्तर्गत) हुई किसी दुर्घटना या उसे पहुंची क्षति से उद्भूत दावे की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 12 और 13 के उपबंधों के अधीन या उनके आधार पर प्रशासन के विरुद्ध प्राप्त हो।

धारणाधिकार।

5.17. प्रशासन को, इस करार के अधीन समय-समय पर ठेकेदार को शोध्य और संदेय राशि पर धारणाधिकार होगा और वह उसे प्रतिधारित रखने और इस करार या अन्य किसी करार के अधीन ठेकेदार के विरुद्ध प्रशासन के किसी दावे मद्धे मुजरा करने का अधिकार है।

संविदा का निलंबन।

5.18. प्रशासन, इस करार के किसी निबंधन या शर्त को भंग किए जाने पर या खराब, अकुशल सेवा किए जाने पर या ठेकेदार द्वारा अवचार किए जाने पर, जिसके बारे में चिकित्सा अधीक्षक, ... रेल ... ... का विनिश्चय अंतिम होगा, किसी भी समय ठेकेदार को 24 घंटे की सूचना देकर, इस संविदा को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकेगा या स्थायी रूप से समाप्त कर सकेगा और ठेकेदार

के कारण किसी नुकसानी या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। ऐसी सूचना दिए जाने की दशा में, ठेकेदार सभी कपड़ों की धुलाई और सफाई का काम पूरा करेगा जो उस समय उसके पास है, और प्रशासन को उनका परिदान पूर्वोक्त शर्तों के अनुसार करेगा।

5.19. यदि ठेकेदार अथवा उसके अभिकर्ता या सेवक अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा **दण्ड।**
या उसकी ओर से प्रशासन के साथ यह संविदा या कोई अन्य संविदा अभिप्राप्त या निष्पादित करने के संबंध में प्रशासन के किसी अधिकारी, सेवक या प्रतिनिधि या प्रशासन के किसी अधिकारी, सेवक या प्रतिनिधि के कुटुंब के किसी सदस्य को कोई रिश्वत, कमीशन, दान या फायदा दिया जाएगा, देने का वचन दिया जाएगा या उसकी प्रस्थापना की जाएगी तो प्रशासन, ऐसे किसी आपराधिक दायित्व के होते हुए भी, जो ठेकेदार उपगत करे, प्रशासन के अन्य अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संविदा को और ठेकेदार द्वारा प्रशासन के साथ की गई किसी अन्य संविदा को रद्द करने और ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप होने वाली हानि या नुकसानी ठेकेदार से वसूल करने का हकदार होगा। इस खंड के अधीन कोई अपराध किए जाने के बारे में प्रत्येक प्रश्न या विवाद का विनिश्चय चिकित्सा अधीक्षक, ...रेल द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे साक्ष्य या ऐसी जानकारी के आधार पर किया जाएगा जो वह उचित और पर्याप्त समझे और उसका विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।

5.20. इस संविदा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर **सूचनाएं।**
से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्रवाइयां उनकी ओर से चिकित्सा अधीक्षक, ...रेल ....द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा दी या की जा सकेंगी जिसे तत्समय उक्त चिकित्सा अधीक्षक ....रेल ....के कृत्य और शक्तियां सौंपी गई हैं।

5.21. इस संविदा के प्रयोजन के लिए स्थान सुविधा, धोने के लिए सामग्री, श्रमिक और परिवहन का **निःशुल्क पास।**
खर्च तथा अन्य सभी अपेक्षित व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे। ठेकेदार निःशुल्क पासों का हकदार नहीं होगा।

5.22. यदि इस संविदा की शर्तों के अधीन या इस संविदा के अधीन किसी अन्य रीति से या किसी रूप में **माध्यस्थम् खण्ड।**
इससे संबंधित या (ऐसे विषयों को छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इस संविदा की शर्तों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है) इसके उपबंधों में से किसी के सही अर्थ या निर्वचन के बारे में किसी समय किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह विनिश्चय के लिए ऐसे एकमात्र मध्यस्थ को निर्देशित किया जाएगा, जो महाप्रबंधक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति होगा और ऐसे मध्यस्थ का विनिश्चय अंतिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। महाप्रबंधक को इस बात का एकमात्र विवेकाधिकार होगा कि मध्यस्थ कौन होना चाहिए। यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है और उसने ऐसे विषयों पर कार्रवाही की थी जिनसे संविदा संबंधित है या उसने सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान प्रश्नगत, विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी विषयों या किसी विषय पर विचार प्रकट किए थे।

यदि महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है, वह कार्य करने में उपेक्षा करता है या उससे इंकार करता है या पदत्याग देता है या किसी भी कारण से कार्य करने में अक्षम या असमर्थ हो जाता है तो महाप्रबंधक द्वारा ऐसे पदावरोही मध्यस्थ के स्थान पर पूर्वोक्त रीति से दूसरा मध्यस्थ नियुक्त किया जाना विधिपूर्ण होगा।

मध्यस्थ, समय-समय पर, संविदा के पक्षकारों की सम्मति से, पंचाट देने के लिए समय बढ़ा सकेगा। पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियम और उसके कानूनी उपांतरण जो तत्समय प्रवृत्त हों, इस खंड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू समझे जाएंगे।

5.23. इस करार पर स्टांप लगाने और उसे तैयार करने के आनुषंगिक सब व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए **स्टाम्प खर्च**
जाएंगे।

5.24. यदि ठेकेदार को दी जाने वाली सूचनाओं और निर्देशों का, ठेकेदार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को, परिदान कर दिया जाता है या उन्हें इसमें इसके पूर्व बताए गए पते पर छोड़ दिया जाता है या रजिस्ट्री डाक से भेज दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उनकी ठेकेदार पर सम्यक् रूप से तामील कर दी गई है और वे उसे दे दी गई/दे दिए गए हैं। यदि प्रशासन को दी जाने वाली सूचनाओं और निर्देशों का अधीक्षक, चिकित्सा ———— रेल, ———— को परिदान कर दिया जाता है या उसे रजिस्ट्री डाक से भेज दिया जाता है या उन्हें उसके कार्यालय पर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान छोड़ दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उनकी प्रशासन पर सम्यक् रूप से तामील कर दी गई है और वे उसे दे दी गई/दे दिए गए हैं। सूचना की तामिल

इसके साक्ष्य स्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक,———— रेल अस्पताल, ———— ने और ऊपर नामित ठेकेदार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

ज्येष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, ———— रेल के हस्ताक्षर का साक्षी	भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ज्येष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, ———— रेल के हस्ताक्षर ————
ठेकेदार के हस्ताक्षर का साक्षी	ठेकेदार के हस्ताक्षर ————

सिटी बुकिंग एजेंसी के कार्यकरण के लिए निविदा की शर्तें, निविदा आवेदन और करार की शर्तें

———— रेल

————

ठेकेदार का नाम ————

कार्य का नाम ————

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति, जो

मण्डल रेल प्रबन्धक,

———— रेल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।

6.1. मैं/हम, ————, ने इससे संलग्न निविदा की विभिन्न शर्तों को पढ़ लिया है और उक्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं। मैं/हम इस निविदा को, निविदा खोले जाने के लिए नियत तारीख से 90 दिन की अवधि तक स्वीकृति के लिए खुला रखने के लिए सहमत हूं/हैं और इसमें व्यतिक्रम किए जाने पर मेरा/हमारा अग्रिम धन समपहृत किया जा सकेगा। मैं/हम संलग्न अनुसूचियों में कोट की गई दरों पर उपर्युक्त कार्य करने की प्रस्तावना करता हूं/करते हैं। मैं/हम संविदा की साधारण और विशेष शर्तों का पालन करने तथा इस संविदा के साथ संलग्न करार के अनुसार कार्य निष्पादित करने के लिए भी सहमत हूं/हैं। निविदा शर्तों का पालन।

6.2. ————————रुपए की राशि अग्रिम धन के रूप में इसके साथ भेजी जा रही है। किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अग्रिम धन का पूरा मूल्य समपहृत कर लिया जाएगा यदि— अग्रीम-धन।

(क) मैं/हम रेल से यह सूचना कि ऐसी दस्तावेज तैयार हैं, मिलने की तारीख से 7 दिन के भीतर संविदा दस्तावेज निष्पादित नहीं करता हूं/करते हैं;

(ख) मैं/हम कार्य आरंभ करने के आदेश मिलने के 10 दिन के भीतर कार्य आरम्भ नहीं करता हूं/करते है।

6.3 जब तक कि एक प्ररूपिक करार तैयार और निष्पादित नहीं कर लिया जाता तब तक इस निविदा की स्वीकृति, हमारे बीच तय पाए गए और इस कार्य के लिए मेरी/हमारी प्रस्थापना के स्वीकृति-पत्र में उपदर्शित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, हमारे बीच एक आबद्धकर संविदा रहेगी। निविदा आबद्धकर संविदा होगी।

ठेकेदार के पूरे हस्ताक्षर ————

तारीख—

साक्षी के पूरे हस्ताक्षर

(1) ————————

(2) ————————

ठेकेदार का पता—

पश्चिम रेल

————में सिटी बुकिंग एजेंसी के कार्यकरण के लिए निविदा की शर्तें

7.1. निविदा मुहरबंद लिफाफे में बंद की जानी चाहिए और उस पर ....श्रेणी/श्रेणियों की टिकटें जारी करने, छोटे-छोटे पार्सलों और माल यातायात की बुकिंग करने और उनका परिदान करने तथा ....से .... .रेल स्टेशन के बीच पैकजों के परिवहन के लिए". .... में सिटी बुकिंग एजेंसी के कार्यकरण के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए और वह मंडल अधीक्षक, ...रेल, ...के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से इस प्रकार भेजी जानी चाहिए जिससे कि वह उसके कार्यालय में तारीख . ...को ....बजे तक पहुंच जाए अथवा उसे मंडल अधीक्षक, ...रेल, ..., के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए रखे गए विशेष बक्से में डाला जाना चाहिए। बक्से को तारीख. ....को... ......बजे मुहरबंद कर दिया जाएगा। निविदा और उसे भेजने की रीति।

7.2. तार से भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। तार से निविदा नहीं।

7.3. सभी निविदाएं संलग्न विहित प्ररूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उन पर विचार नहीं किया जाएगा। फर्मों द्वारा भेजी जाने वाली निविदाएं फर्म के नाम से भेजी जानी चाहिएं तथा उन पर इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर फर्म के रूप में और उसकी ओर से किए जाने चाहिए। निविदा का प्ररूप।

टिप्पण :—

(i) अपने नाम से व्यवसाय करने वाले एकल व्यक्ति को अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने चाहिएं। निविदा पर हस्ताक्षर

(ii) फर्म के नाम से व्यवसाय करने वाले एकल व्यक्ति को पहले फर्म के नाम से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके नीचे एकमात्र स्वत्वधारी के रूप में अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने चाहिए।

(iii) एक से अधिक व्यक्तियों की फर्म की दशा में, भागीदारों के नाम ऊपर भरे जाने चाहिए और निविदा पर किसी एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उसे पहले फर्म के नाम के हस्ताक्षर करने चाहिए और फिर उसके नीचे भागीदार के रूप में अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने चाहिए।

(iv) लिमिटेड कंपनी की दशा में किसी एक निदेशक या प्रबंधक को, इस पर निदेशक या प्रबंधक के रूप में कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने चाहिए।

(v) यदि निविदा पर कोई व्यक्ति या फर्म का कोई भागीदार फर्म के स्वत्वधारी या अन्य भागीदारों के लिए ओर उनकी ओर से हस्ताक्षर करता है तो निविदाकार निविदा पर हस्ताक्षर करने और फर्म को आबद्ध करने के लिए ऊपर निर्दिष्ट व्यक्ति को दिए गए प्राधिकार की बाबत पूरी जिम्मेदारी लेता है और वह निविदा के साथ, हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जारी किया गया मुख्तारनामा, प्रस्तुत करेगा।

(vi) निविदा करने वाले व्यक्ति अपने कारबार के नाम और फर्म के गठन का उल्लेख अवश्य करें।

7.4. (i) निविदा प्ररूप अंग्रेजी/हिन्दी में भरा जाना चाहिए और उसमें सारी प्रविष्टियां हाथ से स्याही से की जानी चाहिएं। **निविदा प्ररूप भरना।**

(ii) निविदाकार को ....रेल के, यात्री टिकटें जारी करने से हुए स्थानीय उपार्जन पर और सीधे यात्री टिकटों की बाबत उपार्जन में इस रेल के हिस्से पर, 2 प्रतिशत से अधिक कमीशन कोट नहीं करनी चाहिए।

(iii) निविदाकार को निविदा प्ररूप से संलग्न सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

(iv) निविदा प्ररूप अंतरणीय नहीं हैं।

7.5. जिन निविदाओं के निविदा दस्तावेजों में कुछ मिटाया गया होगा और परिवर्तन किए गए होंगे उन्हें अस्वीकार किया जा सकेगा। यदि निविदाकार/निविदाकारों द्वारा अपनी प्रविष्टियों में कोई शुद्धि की जाती है तो वह उसके/उनके द्वारा अनुप्रमाणित की जानी चाहिए। **निविदाओं में शुद्धियां।**

7.6. निविदाकार को ऐसी समस्त जानकारी जो निविदा को भरने के लिए आवश्यक है, अपनी जिम्मेदारी पर और अपने खर्च पर प्राप्त करनी होगी और उसे सभी स्थानीय दशाओं, कार्य-स्थल पर पहुंचने के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे सम्बद्ध सभी बातों से अवगत हो जाना चाहिए। **निविदाकार को जानकारी।**

7.7. निविदाकार/निविदाकारों को अग्रिम धन के रूप में ....रुपए (केवल............ रुपए) की राशि निम्नलिखित में से किसी रूप में जमा करनी होगी :— **अग्रीम धन।**

(1) नकद।

(2) (i) भारतीय स्टेट बैंक के गारंटी बंधपत्र।

(ii) अनुसूचित बैंकों द्वारा निष्पादित गारंटी बंधपत्र।

यदि निक्षेप गारंटी बंधपत्रों के रूप में किया जाता है तो निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा :—

(क) जो ठेकेदार नकद-प्रतिभूति निक्षेप और/या अग्रिम धन के बदले में बैंकर का गारंटी बंधपत्र देना चाहते हैं, उन्हें बैंकर का गारंटी बंधपत्र अनुमोदित प्ररूप में निष्पादित कराना चाहिए। इस प्ररूप की प्रति निविदा विभाग से प्राप्त की जा सकती है। इसकी एक प्रति इसके साथ भी संलग्न है। **गारंटी बंधपत्र।**

(ख) यदि संविदा के सम्यक् पालन के लिए दी गई गारंटी की रकम 1000/- रुपए से अधिक नहीं है तो गारंटी बंधपत्र ....के स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद .... के साथ पठित अनुच्छेद .... के अधीन विहित मूल्य के साधारण स्टाम्प पत्र पर निष्पादित किया जाना चाहिए और किसी अन्य मामले में गारंटी बंधपत्र.......रुपए के साधारण स्टांप पत्र पर निष्पादित किया जाना चाहिए। **गारंटी बंधपत्र स्टाम्प पत्र पर।**

(ग) गारंटी बंधपत्र पर बैंक की वहियों मे उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने के प्रमाणस्वरूप बैंक की रबड की मोहर लगी होनी चाहिए और गारंटी बंधपत्र का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक लिखा होना चाहिए।

रबड की मोहर लगाना।

(घ) गारंटी बंधपत्र पर, गारंटी देने वाले बैंक के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे बैंक की ओर से गारंटी बंधपत्र निष्पादित करने का प्राधिकार उपदर्शित किया जाना चाहिए।

गारंटी बंधपत्र पर हस्ताक्षर।

(ङ) गारंटी बंधपत्र, भारतीय रिजर्व बैंक के स्वीकृति-पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

(च) आरम्भ में दिए गए या नवीकृत किए गए गारंटी बंधपत्र संविदा-करार की संपूर्ण अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत अनुरक्षण की अवधि भी है, होना चाहिए।

नवीकृत गारंटी बंध पत्र।

(छ) ठेकेदार द्वारा, गारंटी देने वाले बैंक को, अनिवार्य रूप से ऐसे अनुदेश दिए जाने चाहिए जिससे कि गारंटी बंधपत्र सब प्रकार से पूर्ण हो जाए। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नवीकरण समय से करा लिए जाएं।

(ज) यदि निक्षेप नकद किया जाना है तो रकम मुख्य खजांची .. रेल, मुख्यालय . .. या ठेकेदार के निवास स्थान के निकटतम . ...मण्डल के मण्डल वेतन मास्टर (जिसके अन्तर्गत ज्येष्ठ वेतन लिपिक भी हैं) या ... .रेल के किसी भी स्टेशन मास्टर के पास जमा की जा सकती है और ऐसे निक्षेप की रसीद निविदा या निविदाओं के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

नकद निक्षेप।

केवल उन्हीं निविदाओं पर विचार किया जाएगा जिनके साथ ऊपर उपदर्शित रूप में अग्रिम धन संबंधी दस्तावेजें होंगी।

7.8. निविदाकार प्रस्थापना को, निविदाएं खोले जाने की तारीख से 90 दिन तक खुली रखेंगे। यह समझ लिया गया है कि निविदाकार की ओर से यह अनुबंध किए जाने के प्रतिफलस्वरूप कि वह अपनी निविदा प्रस्तुत की जाने के पश्चात् अपनी प्रस्थापना से पीछे नहीं हटेगा या उसके निबंधनों और शर्तों को ऐसी रीति से उपांतरित नहीं करेगा जो मण्डल रेल प्रबंधक, ...रेल,.......को स्वीकार्य नहीं है, निविदाकार को निविदा दस्तावेजें बेचे गए/जारी किए गए हैं और उसे निविदा करने की अनुज्ञा दी गई है। यदि निविदाकार पूर्वगामी अनुबंध का पालन या अनुपालन करने में असफल रहेगा तो पूर्वगामी अनुबंध के सम्यक् पालन के लिए अग्रिम धन के रूप में जमा की गई रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी। यदि निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो प्रस्थापना खुली रखने के अनुबंध के सम्यक् पालन के लिए अग्रिम धन के रूप में जमा की गई रकम संविदा के सम्यक् पालन के लिए प्रतिभूति निक्षेप के भाग के रूप में प्रतिधारित रखी जाएगी।

प्रस्थापना खुली रखने की अवधि।

7.9. असफल निविदाकार/निविदाकारों का अग्रिम धन उचित समय के भीतर वापस कर दिया जाएगा। .... रेल प्रशासन द्वारा अग्रिम धन वापस किए जाने में उपगत डाक और रजिस्ट्रीकरण प्रभार असफल-निविदाकारों को वापस की जाने वाली रकम में से काटकर वसूल कर लिए जाएंगे। सफल निविदाकार/निविदाकारों द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन संविदा के सम्यक् रूप से पूरा कर दिए जाने के लिए प्रतिभूति निक्षेप मद्धे प्रतिधारित किया जाएगा, किन्तु यदि ठेकेदार अपनी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उचित समय के भीतर (जो मण्डल रेल प्रबंधक या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा) करार बंधपत्र निष्पादित करने में या कार्य आरम्भ करने में असफल रहता है तो उसे समपहृत कर लिया जाएगा। यदि अग्रिम धन नकद या सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न किसी रूप में जमा किया जाता है तो असफल निविदाकारों को वापस किए गए या सफल निविदाकारों की दशा में प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्रतिधारित रखे गए अग्रिम धन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

अग्रिम-धन की वापसी।

7.10. निविदा के साथ धन भेजने वाले निविदाकार को निरर्हित कर दिया जाएगा।

7.11. मण्डल रेल प्रबंधक को, जो रेल प्रशासन के लिए और उसकी ओर से कार्य करता है, कोई कारण बताए बिना, निविदा को पूर्णतः या भागतः स्वीकार करने या किसी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार है और वह न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है।

निविदा ... का ...

7.12. सफल निविदाकार को संविदा सम्यक् रूप से पूरी किए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में . . . . रुपए (केवल . . . . . .रुपए) की राशि जमा करनी होगी और विहित प्ररूप में करार निष्पादित करना होगा तथा करार को तैयार करने के प्रभारों के लिए 10 रुपए का संदाय करना होगा। **प्रतिभूति धन।**

7.13. निविदाएं मण्डल रेल प्रबंधक (वाणिज्यिक), ...रेल के कार्यालय में तारीख . . . . को . . . . बजे खोली जाएंगी। जो निविदाकार निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं उन्हें विहित समय और तारीख को स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहिए। **निविदा का खोला जाना।**

सफल निविदाकार को तारीख . . . . .से या उस तारीख से जो मण्डल रेल प्रबंधक, ... रेल, ...द्वारा सूचित की जाए, कार्य आरम्भ करना होगा और उस तारीख से पहले विहित प्ररूप में करार निष्पादित करना होगा। उसे संविदा सम्यक् रूप से पूरी किए जाने के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में खण्ड 12 में उल्लिखित . . . . रुपए की धनराशि प्रशासन के पास जमा करनी होगी।

7.14. (क) सड़क द्वारा माल का परिवहन करने में व्यावहारिक अनुभव एक अतिरिक्त अर्हता मानी जाएगी। **विहित प्ररूप में करार का निष्पादन।**

(ख) निविदाकारों को यह बताना चाहिए कि उनके पास कौन से यान हैं और क्या उनके पास उपर्युक्त सेवाएं करने के लिए अपेक्षित यानों के अनुज्ञापत्र हैं या कि वे परिवहन की क्या व्यवस्था करके यातायात की निकासी करेंगे।

7.15. यदि निविदाकार अपनी निविदा में जानबूझकर गलत सूचना देता है/देते हैं या अपनी निविदा की स्वीकृति को प्रतिबंधित करने के लिए परिस्थितियां सृजित करता है/करते हैं तो रेल को, किसी भी प्रक्रम पर ऐसी निविदा को अस्वीकार करने और उसके/उनके अग्रिम धन को समपहृत करने का अधिकार है। **जानबूझकर गलत सूचना।**

7.16. यदि निविदाकार की मृत्यु उसकी निविदा प्रस्तुत किए जाने या उसकी निविदा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् हो जाती है तो रेल यह समझेगी कि वह निविदा रद्द हो गई है। यदि किसी फर्म की निविदा प्रस्तुत किए जाने या उसकी निविदा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् उस फर्म के किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है और फर्म अपना स्वरूप बनाए नहीं रखती तो रेल यह समझेगी कि वह निविदा रद्द हो गई है। **निविदाकार की मृत्यु।**

7.17. निविदाकार/निविदाकारों को, अपनी निविदा के साथ आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र की एक प्राधिकृत प्रति या आय-कर अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी/उनकी कोई करादेय आय नहीं है। निविदाकार/निविदाकारों के पूर्व अनुभव और वित्तीय हैसियत को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की प्रतियां निविदा के साथ भेजी जानी चाहिएं। मण्डल रेल प्रबंधक, ...रेल . . . . .द्वारा मांग की जाने पर, मूल दस्तावेजें प्रस्तुत करनी होंगी। **आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र।**

7.18. सिटी बुकिंग एजेंसी से ले जाए जाने वाले यातायात की मात्रा लगभग . . . . .क्विंटल प्रति वर्ष होने की प्रत्याशा है। किंतु यातायात की यह मात्रा पूर्णतः अनुमानित है और रेल यह गारंटी नहीं देती है कि यातायात की मात्रा वास्तव में इतनी ही होगी। **यातायात की मात्रा।**

7.19. इसमें उपवर्णित किसी शर्त का पालन न किए जाने के परिणामस्वरूप निविदा अस्वीकार की जा सकेगी।

7.20. निविदा की स्वीकृति की निविदाकार को सूचना, मण्डल रेल प्रबंधक, ... रेल, ..., या भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत . . . . .रेल के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा निविदा में दिए गए पते पर दी जाएगी। ऐसे पत्र के डाक में डाले जाने का प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि निविदाकार को सम्यक् रूप से सूचित कर दिया गया है और उसे अपनी निविदा की स्वीकृति की जानकारी हो गई है। **निविदा स्वीकृति की सूचना।**

7.21 जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे करार के साथ संलग्न प्ररूप पर हस्ताक्षर करने होंगे। मण्डल रेल प्रबंधक, . .. रेल, . .द्वारा या . द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति, चाहे करार के प्ररूप पर हस्ताक्षर किए गए हों या न किए गए हों, करार प्ररूप में उल्लिखित निबंधनों पर आबद्धकर संविदा होगी। निविदा करने का तथ्य इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि निविदाकार को इन निबंधनों की जानकारी है और यदि उसे संविदा प्रदान की जाती है तो वह उनका पालन करने के लिए तैयार है। यदि कोई निविदाकार, जिसे निविदा प्रदान की जाती है, करार पर हस्ताक्षर करने के लिए कहे जाने के 7 दिन के भीतर, करार पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो मंडल रेल प्रबंधक संविदा को रद्द करने और अग्रिम धन निक्षेप को समपहृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। — निविदा पर हस्ताक्षर।

मण्डल रेल प्रबंधक,

....रेल,..... . ...

मैं/हम उपर्युक्त निविदा शर्तों से अपने को आबद्ध करता हूं/करते है।

ठेकेदार के पूरे हस्ताक्षर........ ......

तारीख ....

साक्षियों के पूरे हस्ताक्षर ....

(1) ————

(2) ————

सिटी बुकिंग एजेंसी के लिए करार का प्ररूप

8.1. ....रेल के कार्यपालक प्राधिकारी के रूप मे भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'रेल प्रशासन' कहा गया है) और मैसर्स ....जो .... नाम और अभिनाम से कारबार कर रहे हैं, (जिसे इसमें आगे 'ठेकेदार' कहा गया है) के बीच उक्त रेल की..........सिटी बुकिंग एजेंसी की बाबत आज तारीख ....को किए गए करार का ज्ञापन। — करार के पक्षकार

8.2. भारत के राष्ट्रपति ने, जो इस विलेख के प्रयोजन के लिए रेल के कार्यपालक प्राधिकारी के रूप में रेल के महाप्रबंधक के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, ...रेल स्टेशनों द्वारा सेवित .... सिटी बुकिंग एजेंसी स्थापित की है। उक्त सिटी बुकिंग एजेंसी ....श्रेणियों के टिकटों के विक्रय और रेल माल और कोचिंग टैरिफ में अधिसूचित पार्सलों और माल को छोड़कर, छोटे-छोटे पार्सलों और माल की बुकिंग और उनके परिदान के लिए तथा समय-समय पर छोटे-छोटे पार्सलों और माल के .... सिटी बुकिंग एजेंसी और ....रेल स्टेशन के बीच, जो रेल से संबद्ध है, प्रवहण के लिए स्थापित की गई है। इसका प्रयोजन रेल के सभी स्टेशनों और सभी रेल लाइनों तथा उन सिटी बुकिंग एजेंसियों, आउट एजेंसियों के बीच, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाएं और जिनके साथ... .....रेल की सीधी बुकिंग की व्यवस्था है, सीधी बुकिंग की व्यवस्था करना है। — संविदा-कार्य

ठेकेदार, उक्त सिटी बुकिंग एजेंसी मे, इस करार मे अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों पर टिकटें जारी करने, पार्सलों और माल की बुकिंग करने तथा उनका परिदान करने और पार्सलों और माल का वहन और प्रवहण करने के लिए.. ....रेल प्रशासन से करार करता है।

अतः .. .. रेल का उक्त प्रशासन और उक्त ठेकेदार संयुक्ततः और पृथकतः निम्नलिखित प्रसंविदा और करार करते है, अर्थात् :—

8.3 इस करार में, जब तक कि विषय या संदर्भ से भिन्न आशय प्रतीत नहीं होता है,— — परिभाषाएं

(क) "भारत के राष्ट्रपति" और "महाप्रबंधक" पद के अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती तथा उनकी ओर से और उनके नाम से कार्य करने के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी है।

(ख) "ठेकेदार" पद के अन्तर्गत ठेकेदार के विधिक प्रतिनिधि भी हैं।

(ग) "सिटी बुकिंग एजेंसी" पद से वह सिटी बुकिंग एजेंसी अभिप्रेत है जो सिटी बुकिंग एजेंसी और .... रेल स्टेशन के बीच, दोनों दिशाओं में .... श्रेणी/श्रेणियों की टिकटें जारी करने तथा पार्सलों और माल (छोटे में) की बुकिंग और परिदान करने के लिए तथा माल और पार्सलों का परिवहन करने के लिए . ... में तब स्थापित की गई है जब ऐसा माल और पार्सलें ....रेल के किसी स्टेशन को या उससे परेषित की जाती हैं या अन्य रेलों की ऐसी सिटी बुकिंग एजेन्सियां या आउट एजेन्सियां अभिप्रेत हैं जिनकी . ... .रेल के . ....स्टेशनों से भिन्न स्टेशनों के साथ सीधी बुकिंग व्यवस्था है।

(घ) "पार्सल" पद से ऐसी सब वस्तुएं और छोटे-छोटे पैकेज आदि अभिप्रेत हैं जो सामान्यतः .... रेल द्वारा माल भाड़े की पार्सल दरों पर प्रवहण के लिए बुक किए जाते हैं और जो प्रायः उक्त रेल की यात्री या पार्सल ले जाने वाली, डाक या अन्य रेल गाड़ियों द्वारा वहन किए जाते हैं।

(ङ) "माल" पद से वे सब वस्तुएं और, इसमें इसके पूर्व परिभाषित पार्सलों से भिन्न, ऐसे पैकेज अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत हैं, जो सामान्यतः .... रेल द्वारा, माल भाड़े की माल दरों पर प्रवहण के लिए बुक किए जाते हैं और जो प्रायः उक्त रेल की माल या मिली-जुली रेल गाड़ियों के माल यानों से वहन किए जाते हैं।

(च) "चुंगी शुल्क" पद से ऐसा नगर शुल्क अभिप्रेत है जो नगरपालिका सीमाओं के भीतर आयातित वस्तुओं पर नगरपालिका के समय-समय पर प्रवृत्त नियमों और अनुसूची के अनुसार नगरपालिका को संदेय है।

8.II ठेकेदार को रेल प्रशासन का अभिकर्ता समझा जाएगा और वह, सिटी बुकिंग एजेंसी में टिकटों के विक्रय के विषय में और, रेल माल और कोचिंग टैरिफ में समय-समय पर अधिसूचित पार्सलों और माल को छोड़कर, सभी पार्सलों तथा माल की बुकिंग और परिदान के विषय में तथा ऐसे पार्सलों और माल के .... रेल स्टेशन और ऊपर निर्दिष्ट सिटी बुकिंग एजेंसी के बीच प्रवहण के विषय में, जिन्हें ....सिटी बुकिंग एजेंसी और उस रेल और उन रेल लाइनों तथा आउट एजेंसियों के बीच बुक किया जाता है जिनके साथ ....रेल की सीधी बुकिंग व्यवस्था है या किसी समय हो जाती है और ऐसे पार्सलों और माल के सिटी बुकिंग एजेंसियों और रेल स्टेशनों के बीच, दोनों दिशाओं में, प्रवहण के विषय में अभिकर्ताओं के संबंध में भारत में प्रवृत्त विधि में अधिकथित या परिभाषित सभी विधिक दायित्वों के अधीन रहेगा। **ठेकेदार रेल का अभिकर्ता।**

8.III ठेकेदार यथापूर्वोक्त ठेकेदार के रूप में अपनी नियुक्ति से आनुषंगिक ऐसे सभी कर्तव्यों और सेवाओं को तारीख...........से हर प्रकार से रेल प्रशासन के पूर्ण समाधानप्रद रूप में ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक करने का वचन देता है। **कर्तव्य-पालन।**

8.IV सभी आवक पार्सलें और माल, उस समय से ठेकेदार के कब्जे में और उसकी देखरेख और अभिरक्षा में तथा उसकी जोखिम और जिम्मेदारी पर समझे जाएंगे जब ऐसे पार्सल और माल ठेकेदार को या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दिए जाते हैं और उसके लिए उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं अथवा उन्हें उस स्थान पर जहां रेल द्वारा वहन समाप्त हो जाता है, इस प्रयोजन के लिए उसकी या उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटर लारियों या अन्य वाहनों में लादा जाता है। सभी जावक पार्सलें और माल उस समय तक ठेकेदार के कब्जे और उसकी देखरेख और अभिरक्षा में तथा उसकी जोखिम और जिम्मेदारी पर समझे जाएंगे जब तक कि उन्हें उस रेल स्टेशन पर, जिस पर ऐसी पार्सलें और माल आगे अभिवहन के लिए रेल को अंतरित किए जाते हैं, उस समय रेल प्रशासन की सेवा में लगे हुए किसी रेल लिपिक द्वारा प्राप्त नहीं कर लिए जाते और उनके लिए हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते। **आवक पार्सलें।**

8.V (1) ठेकेदार, सिटी बुकिंग एजेंसी का कारबार पूर्णतः इस करार और इसके परिशिष्टों में अन्तर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार दृढ़ता से करेगा और इस संविदा के निबंधनों और शर्तों को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में. ... . रुपए की राशि............ **प्रतिभूति-निक्षेप।**

रेल, ... के मुख्य लेखा अधिकारी के पास तत्काल जमा करेगा। . . . . रुपए की उक्त राशि, जिसे इसमें आगे "प्रतिभूति निक्षेप" कहा गया है, निम्नलिखित में से किसी रूप में हो सकेगी :—

(i) नकद निक्षेप।

(ii) बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत कम मूल्य पर सरकारी प्रतिभूतियां।

(iii) (क) भारतीय स्टेट बैंक की निक्षेप रसीद।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निष्पादित गारंटी बंधपत्र

(ग) भारतीय स्टेट बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट।

(iv) उन बैंकों के गारंटी बंधपत्र जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने गारंटी देने के लिए प्राधिकृत किया है।

रेल प्रशासन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इन गारंटी बंधपत्रों पर भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिहस्ताक्षर कराए। रेल प्रशासन के लिए केवल यही आवश्यक है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक से इस बात की पुष्टि करा ले कि प्रश्नगत गारंटी बंधपत्र स्वीकार्य है।

(v) डाकघर बचत बैंक में निक्षेप।

(vi) राष्ट्रीय बचतपत्रों में निक्षेप।

(vii) बारह वर्षीय राष्ट्रीय रक्षापत्र।

(viii) दस वर्षीय रक्षानिक्षेप।

(ix) राष्ट्रीय रक्षा बंधपत्र।

टिप्पण: (vii) से (ix) – इन पत्रों/बंधपत्रों को उनके अभ्यर्पण मूल्य पर स्वीकार किया जा सकता है।

यदि निक्षेप नकद किया जाना है तो रकम, मुख्य खजांची, ...रेल, मुख्यालय... .. या .... रेल के किसी भी स्टेशन मास्टर के पास जमा की जा सकती है और ऐसे निक्षेप की रसीद मंडल रेल प्रबंधक, ... को भेज दी जानी चाहिए।

निक्षेप पर ब्याज नहीं।

(2) यदि निक्षेप या उसका कोई भाग नकद रूप में प्रतिधारित रखा जाता है तो उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा किंतु यदि निक्षेप विपण्य प्रतिभूतियों के रूप में किया जाता है, तो उक्त निक्षेप पर प्रोद्भूत ब्याज ठेकेदार के खाते जमा कर दिया जाएगा और ठेकेदार विपण्य प्रतिभूतियों के जमा किए जाने और वापस लिए जाने के तथा उन पर ब्याज के संग्रहण के सभी प्रभारों का संदाय करेगा।

निक्षेप करने में असफलता के परिणाम।

(3) यदि ठेकेदार समय के भीतर और पूर्वोक्त रीति से निक्षेप करने में असफल रहता है तो रेल प्रशासन उसकी संविदा रद्द करने और ठेकेदार द्वारा अपनी निविदा प्रस्तुत करते समय जमा किया गया अग्रिम धन समपहृत करने का हकदार होगा। नकद जमा किए गए प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

निक्षेप में कमी होना।

(4) यदि किसी समय निक्षेप ऊपर उल्लिखित रकम, अर्थात् .... रुपए, से कम हो जाता है तो ठेकेदार मांग किए जाने पर इस कमी को तत्काल पूरा करेगा। रेल प्रशासन इस करार के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय पूर्णतः अपने विवेकानुसार ठेकेदार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इतनी अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करे जो रेल प्रशासन उचित समझे और ठेकेदार ऐसी मांग प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर उसका अनुपालन करेगा। ऐसे अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप पर भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।

प्रतिभूति निक्षेप का उपयोजन।

(5) रेल प्रशासन को सभी समयों पर संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसके किसी भाग को और ऐसे अन्य धन को, जो ठेकेदार के लिए और उसकी ओर से रेल प्रशासन द्वारा किसी समय शोध्य या धृत है, ऐसी राशि की तुष्टि और उन्मोचन के लिए, जो किसी समय ठेकेदार द्वारा रेल प्रशासन को शोध्य है अथवा इस करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार सिटी बुकिंग एजेंसी के कारबार के संचालन में ठेकेदार या उसके सेवकों अथवा ठेकेदार के लिए या उसके प्राधिकार के अधीन अथवा उसकी अनुज्ञा से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों की ओर से किए गए किसी व्यतिक्रम, अवचार, उपेक्षा या लोप के परिणामस्वरूप अथवा किसी भी रीति में पूर्वोक्त व्यतिक्रम, अवचार, उपेक्षा या लोप से उद्भूत, संबद्ध या संबंधित किसी मामले में रेल प्रशासन पर किए गए दावों की या रेल प्रशासन द्वारा उठाई गई किसी हानि या नुकसान की तुष्टि या उन्मोचन के लिए उपयोजित करने की पूर्ण शक्ति और प्राधिकार होगा।

(6) यदि इस करार के चालू रहने के दौरान प्रतिभूति निक्षेप के किसी भाग को रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार उपयोजित कर लिया जाता है तो ठेकेदार, रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार उपयोजित की गई रकम की सूचना दिए जाने पर इस प्रकार उपयोजित रकम के बराबर रकम . रेल के मुख्य लेखा अधिकारी के पास तत्काल जमा करेगा जिससे कि प्रतिभूति निक्षेप की रकम ... . रुपए बनी रहे और ऐसा करने में उसके असफल रहने पर रेल प्रशासन, ठेकेदारों को तत्पश्चात् प्रोद्भूत होने वाली किसी भी राशि में से तदनुसार प्रतिभूति निक्षेप की रकम की पूर्ति कर सकेगा।

(7) संविदा की अवधि का अवसान हो जाने पर अथवा खंड 19(क) से (ग) तक और खंड 17 के अधीन उससे पहले समाप्त कर दी जाने की दशा में, ... रुपए का ऊपर उल्लिखत निक्षेप या खंड 5(4) में उल्लिखित अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप, यदि कोई है, ठेकेदार को तत्काल वापस नहीं किया जाएगा बल्कि वह ठेकेदार, उसके सेवकों या उसकी ओर से कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों के किसी व्यतिक्रम, अपचार, उपेक्षा, लोप या किसी अन्य सदोष कार्य के परिणामस्वरूप रेल प्रशासन द्वारा उठाई गई सभी हानियों, और उपगत सभी खर्चों की प्रतिभूति के रूप में छह मास की अवधि के लिए रेल प्रशासन के पास रहेगा :

परन्तु जब तक ठेकेदार रेल प्रशासन को पहले एक विधिमान्य आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र, जिसके अंतर्गत संविदा की संपूर्ण अवधि हो और लिखित रूप में यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र नहीं दे देता कि ठेकेदार का रेल प्रशासन के विरुद्ध इस करार के अधीन या इससे उद्भूत या किसी भी प्रकार से इससे संबद्ध या संबंधित कोई दावा या मांग बकाया नहीं है, तब तक रेल प्रशासन प्रतिभूति निक्षेप या उसके किसी भाग को वापस करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(8) इस खंड की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी भी प्रकार से रेल प्रशासन के ऐसे किसी अन्य विधिपूर्ण अधिकार, उपचार या अनुतोष को सीमित या प्रभावित करती है जिसके लिए रेल प्रशासन किसी भी समय, ठेकेदार द्वारा इस करार के किन्हीं निबंधनों और शर्तों के भंग की बाबत या ठेकेदार, उसके सेवकों या उसकी ओर से कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों के किसी आपराधिक या विधि-विरुद्ध कार्य की बाबत या किसी ऐसी बात की बाबत जिसका प्रतिभूति निक्षेप या उसका भाग वापस कर दिए जाने के पश्चात् रेल प्रशासन को पता चलता है या ऐसी राशियों की बाबत जो रेल प्रशासन को इस कारण शोध्य हों कि प्रतिभूति निक्षेप और रेल प्रशासन को प्राप्त होने वाली ठेकेदार की अन्य राशियां रेल प्रशासन के प्रति ठेकेदार के संपूर्ण दायित्व की तुष्टि और उन्मोचन के लिए पर्याप्त नहीं है, इस करार के अधीन या उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन हकदार है। रेल प्रशासन का, इस संविदा या सरकार के साथ की गई किसी अन्य संविदा के अधीन रेल प्रशासन की शोध्य रकमों की बाबत ठेकेदार को देय सभी धनराशियों पर धारणाधिकार होगा और प्रशासन उन्हें इस समायोजित करने का हकदार होगा।

लेखापरीक्षा का निरीक्षण और आंतरिक जांच।

8.VI. .. .. रेल लेखा स्थापन सिटी बुकिंग एजेंसी की बहियों और लेखाओं का सभी समयों और स्थानों पर उसी प्रकार निरीक्षण और आंतरिक जांच कर सकेगा जिस प्रकार इस रेल के किसी रेल स्टेशन पर रखी गई बहियों और लेखाओं का निरीक्षण और आंतरिक जांच करने की प्रथा है ।

हानि या नुकसान की जिम्मेवारी।

8.VII. यदि सिटी बुकिंग एजेंसी के साथ .... रेल की सीधी बुकिंग व्यवस्था के अधीन किन्हीं पार्सलों और माल या किन्हीं परेषणों को, अभिवहन के दौरान, किसी भी प्रकार से कोई हानि या नुकसान पहुंचता है अथवा अद्भूत या प्रोद्भूत होता है, और यदि रेल प्रशासन ऐसी हानि या नुकसान के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी नियत करने में या उसकी बाबत ठेकेदार का ठीक-ठीक दायित्व विनिर्दिष्ट करने में असमर्थ है तो ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसी हानि या नुकसान को सामान्यत: ठेकेदार और रेल प्रशासन के बीच, प्रत्येक द्वारा ऐसी पार्सलों, माल या परेषणों से, जिनके संबंध में ऐसी हानि या नुकसान हुआ है, अर्जित भाड़े के अनुपात में, विभाजित किया जाएगा और उनके द्वारा वहन किया जाएगा :

परन्तु ऐसी किसी हानि या नुकसान के लिए ठेकेदार के दायित्व की सीमा के संबंध में मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/मंडल रेल प्रबंधक, ... रेल का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक तथा पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

यानों की व्यवस्था ।

8.VIII. ठेकेदार, वाणिज्या के परिवहन के लिए आवश्यक सभी मोटरों या अन्य यानों का जो उपयुक्त साज-सामान से सज्जित हों, जिसके अंतर्गत ऐसे उपस्कर और ओवर हैड लिफ्टिग साधित्र भी है जो रेल प्रशासन को समाधानप्रद रूप में यातायात का निपटान करने के लिए अपेक्षित है, अपने खर्च पर प्रदाय करेगा तथा (परिशिष्ट "ख" में निर्दिष्ट से भिन्न) हर प्रकार और किस्म के पैकेजों का वहन और प्रवहण करेगा तथा इस करार में उपवर्णित रीति से उनका परिदान करेगा ।

अनुदेशों का पालन ।

8.IX. ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि रेल टैरिफों और अन्य रेल प्रकाशनों तथा नियमों में और समय-समय पर रेल प्रशासन के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी की गई सूचनाओं परिपत्रों और पत्रों में अन्तर्विष्ट विस्तृत अनुदेशों का, जहां तक वे ठेकेदार द्वारा इस करार के अधीन की जाने वाली सेवाओं को लागू होते हैं, ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा अनुसरण किया जाए और यह समझा जाएगा कि उन्हें ऐसे सभी अनुदेशों, सूचनाओं, परिपत्रों, पत्रों आदि की पूरी जानकारी है। ऊपर उल्लिखित टैरिफों और अन्य रेल प्रकाशनों आदि की कीमत का संदाय ठेकेदार द्वारा किया जाएगा ।

सेवा करने में असफलता ।

8.X. यदि ठेकेदार इसमें करार की गई किन्हीं सेवाओं को, रेल प्रशासन द्वारा उचित समझे जाने वाले समय के भीतर या समाधानप्रद समझी जाने वाली रीति से, करने में असफल रहेगा तो रेल प्रशासन के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त ठेकेदार की जोखिम और व्यय पर उनको सम्यक् रूप से कराने की ऐसी व्यवस्था करे जैसी ठीक और उचित समझी जाए।

8.XI. यदि ठेकेदार कोई फर्म है तो उसके सभी भागीदार इस करार पर हस्ताक्षर करेंगे।

करार का संशोधन ।

8.XII. रेल प्रशासन इस करार का पुनरीक्षण या संशोधन, ठेकेदार को ऐसे पुनरीक्षण या संशोधन की लिखित रूप में तीन मास की पूर्व सूचना देकर किसी भी समय कर सकेगा । यदि ठेकेदार उक्त सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित रूप में इस संबंध में कोई आक्षेप नहीं करता है तो वह पुनरीक्षण या संशोधन प्रभावी हो जाएगा ।

निबंधनों में परिवर्तन ।

8.XIII. इसमे जैसा अन्यथा उपबंध है उसको छोड़कर, इस करार या इसके किसी निबंधन को परित्यक्त, परिवर्तित या अनुपूरित करने वाला कोई मौखिक या लिखित ठहराव या करार तब तक प्रभावी और विधिमान्य नहीं होगा या रेल प्रशासन पर आबद्धकर या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय नही होगा जब तक कि उसे लिखित औपचारिक करार में सम्मिलित नही कर लिया जाता और इसके पक्षकारों द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते ।

माल-भाड़ा ।

8.XIV. किसी परेषण के माल के भाड़े के संबंध में या माल-भाड़े के प्रभाजन के संबंध में पार्सलों के लिए ....पैसे और माल के लिए ....पैसे या इससे कम अधिप्रभार या अवप्रभार मद्धे कोई दावा ठेकेदार द्वारा रेल प्रशासन के विरुद्ध या रेल प्रशासन द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

दावा ।

8.XV. इसमें जैसा अन्यथा उपबंध है उसे छोड़कर, सिटी बुकिंग एजेंसी और .... रेल के बीच अदले-बदले गए यातायात पर माल भाड़े या ~~अन्य प्रभारों मद्धे या~~ उनके प्रभाजन मद्धे किया गया कोई भी दावा, जो ठेकेदार रेल प्रशासन के विरुद्ध या रेल प्रशासन ठेकेदार के विरुद्ध करे, क्रमशः रेल प्रशासन या ठेकेदारों द्वारा केवल तभी ग्रहण किया जाएगा, जब वह, यथास्थिति, उस सप्ताह या मास के अंत से 6 मास के भीतर कर दिया जाता है जिस सप्ताह या मास मे इसके अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों में वह प्रविष्टि की गई हो जिससे ऐसा दावा उत्पन्न हुआ है

परन्तु ऐसे परेषणों के माल भाड़ा प्रभार के मामले मे जिनमें जनता को (इस पद में सरकारी विभाग भी सम्मिलित है) प्रतिकर के दावों मद्धे संदाय किए गए है या अधिप्रभार मद्धे प्रतिदाय किए गए हैं और इंडियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसिएशन द्वारा तत्समय अधिकथित, यातायात की सीधी बुकिंग को प्रभावित करने वाले नियमों के प्रवर्तन के फलस्वरूप आवश्यक बन गए माल भाड़ा प्रभारों के पुनः समायोजन के मामले में, ठेकेदार पूर्वोक्त प्रकार का दावा तभी स्वीकार करेगा जब वह दावा रेल प्रशासन द्वारा ऐसे प्रतिकर या प्रतिदाय की तारीख से 12 मास के भीतर कर दिया जाता है, परन्तु यह और कि इस खंड की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह रेल प्रशासन के ऐसे माल भाड़ा प्रभारों का दावा करने के अधिकार को किसी प्रकार से सीमित या प्रभावित करती है जो ठेकेदार के खाते गलती से ऐसे यातायात के लिए जमा किए गए हैं जिसका वस्तुतः सिटी बुकिंग एजेंसी से उसके द्वारा वहन नहीं किया गया था।

पैकेजों के प्रवहण के लिए एजेंसी।

8. XVI (क). ठेकेदार, इस करार के जारी रहने के दौरान पैकेजों के प्रवहण के लिए कोई अन्य ऐसी एजेंसी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्थापित नहीं करेगा या अपने जिम्मे नहीं लेगा जो रेल प्रशासन की राय में रेल की प्रतियोगी है और रेल के लिए हानिकर है। ठेकेदार, किसी भी समय इस संविदा को या इसके किसी भाग को या इसमें के किसी हित को या इससे व्युत्पन्न होने वाले किसी फायदे को या उसके अधीन संदाय की जाने वाली राशियों को किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को समनुदेशित नहीं करेगा या उपपट्टे पर नहीं देगा या उनके हवाले नहीं करेगा अथवा उसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः समनुदेशित करने या उपपट्टे पर देने या हवाले करने का प्रयत्न नहीं करेगा और इस संविदा में नया भागीदार या नए भागीदार नहीं लेगा या सम्मिलित नहीं करेगा अथवा भागीदारी का विघटन करने के लिए रेल प्रशासन से पहले लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, भागीदारी को विघटित नहीं करेगा।

सड़क से यातायात नहीं।

8. XVI (ख). ठेकेदार ऐसे यातायात को, जिसे सामान्यतः रेल द्वारा भेजा जाना होता है, सड़क द्वारा नहीं भेजेगा और पूर्वोक्त का प्रबंध करने के लिए उसे उपपट्टे पर नहीं देगा। यदि कोई ठेकेदार स्टेशन लेखा निर्देशिका के पैरा 2320 में सिटी बुकिंग एजेंसियों के कार्यकरण के लिए अधिकथित वर्तमान नियमों के उल्लंघन में यातायात को सड़क परिवहन द्वारा भेजता हुआ पाया जाता है तो इस करार के खंड XVII के निबंधनों के अनुसार उनकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी।

करार का प्रतिसंहरण।

8. XVII. यदि ठेकेदार, उसके सेवकों या उसके लिए और उसकी ओर से अथवा उसके प्राधिकार के अधीन या उसकी अनुज्ञा से कार्य कर रहे किन्हीं व्यक्तियों द्वारा असमाधानप्रद रूप में कार्य किया जाता है या इस करार के निबंधनों और शर्तों का कोई भंग किया जाता है अथवा ठेकेदार किसी समय इस करार के अधीन अपेक्षित सभी सेवाएं या कोई सेवा ऐसे समय के भीतर, जो रेल प्रशासन द्वारा युक्तियुक्त समझा जाए अथवा रेल प्रशासन के समाधानप्रद रूप में, करने में असफल रहता है तो रेल प्रशासन, ऐसे किसी अन्य अधिकार, उपचार या अनुतोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए रेल प्रशासन इस करार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अन्यथा हकदार है, इस करार को प्रतिसंहृत और समाप्त करने के अपने आशय की ठेकेदारों को लिखित रूप में दी गई एक सप्ताह की सूचना के अवसान के पश्चात् इसे प्रतिसंहृत और समाप्त कर सकेगा।

यदि रेल लाइन का बिस्तार सिटी बुकिंग एजेंसी तक कर दिया जाता है तो रेल प्रशासन, नई लाइन के चालू करने के लिए नियत तारीख की सूचना ठेकेदारों को यथासंभव शीघ्र देगा और इस सूचना को, विहित सूचना की अवधि का कड़ाई से पालन किए बिना इसमें ऊपर बताए गए अनुसार, इस करार को समाप्त करने की सूचना समझा जाएगा।

सूचना।

8. XVIII. यदि कोई सूचना, पत्र या अन्य संसूचना रेल प्रशासन द्वारा ठेकेदार के नाम से उसके . . . . स्थित मुख्य कार्यालय को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दी जाती है तो यह समझा जाएगा कि वह ठेकेदार को परिदत्त कर दी गई है।

करार अवधि और समाप्ति की सूचना।

8. XIX (क). यह करार तारीख . . . . से ही प्रारंभ हुआ समझा जाएगा और . . . . वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा, किंतु इसका नवीकरण, रेल प्रशासन के विकल्प पर, किया जा सकेगा या यदि वह पहले ही समाप्त कर दिया जाता है तो यह करार दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा दी गई लिखित पूर्व सूचना के छह कैलेण्डर मास समाप्त होने तक जारी रहेगा और यदि उक्त सूचना प्रशासन द्वारा दी जाती है तो वह तभी विधिमान्य होगी जब वह उक्त मंडल रेल प्रबंधक द्वारा दी जाती है और उस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, परन्तु यह भी कि इस खंड के अधीन या इस करार में अंतर्विष्ट खंड XVII के अधीन इस करार को समाप्त कर दिए जाने से यह नहीं समझा जाएगा कि उससे रेल प्रशासन के किसी ऐसे दावे पर, जो ठेकेदार या उसके वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों अथवा अन्य विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध, उक्त करार के समाप्त किए जाने से पूर्व इस करार के किसी उपबंध का ठेकेदार द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा किसी भंग के लिए या उसके संबंध में, रेल प्रशासन कर सकता है अथवा क्षतिपूर्ति के ऐसे किसी अधिकार पर, जो प्रशासन को इस करार के अधीन और उसके आधार पर प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या वह प्रभावित होता है।

करार समाप्त करने की शर्तें।

(ख) इसके किसी उपबंध में किसी बात के होते हुए भी रेल प्रशासन निम्नलिखित में से किसी भी दशा में, इसके पश्चात् किसी भी समय मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/मंडल रेल प्रबंधक के हस्ताक्षर से लिखित रूप में सूचना देकर, इस करार को तत्काल समाप्त करने का हकदार होगा :—

असमाधानप्रद सेवा के परिणाम।

(i) ठेकेदार की ओर से असमाधानप्रद सेवा या किसी भंग की दशा में अथवा इस संविदा के निबंधनों और उपबंधों को, मंडल रेल प्रबंधक को (जो एकमात्र निर्णायक होगा और जिसका विनिश्चय

अंतिम होगा) समाधानप्रद रूप में कार्यान्वित करने में असफलता की दशा में; ठेकेदार द्वारा जमा किया गया प्रतिभूति निक्षेप और अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप प्रशासन को समपहृत हो जाएगा और संविदा के इस प्रकार समाप्त कर दिए जाने मद्धे ठेकेदार का रेल प्रशासन या उसके किसी पदधारी के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा ।

(ii) ठेकेदार घोषणा करता है/करते हैं कि . . . ., वह नाम है जिस नाम से या जिसके अधीन वह/वे एक मात्र स्वयं कारबार कर रहा है/रहे हैं और यह/ किसी ऐसी फर्म का नाम नहीं है जिसमें उक्त . . . . . . और . . . . .भागीदारी में कारबार कर रहा है/रहे हैं और वह/वे किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ भागीदारी में कारबार नहीं कर रहा है/रहे हैं और यदि इसके पश्चात् किसी समय यह प्रतीत होता है कि इसमें अन्तर्विष्ट उक्त घोषणा या उसका कोई भाग तथ्यतः सही नहीं है तो प्रशासन उक्त. . . . . .से भिन्न किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को इस करार में या इसके अधीन प्रोद्‌भूत होने वाले किसी फायदे में हितबद्ध या संबद्ध रूप में मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं होगा । इसके अतिरिक्त प्रशासन, यथास्थिति, उक्त . . . . .को या उनमें से किसी के अथवा उनके वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों अथवा अन्य विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधियों के पते पर उक्त रेल प्रशासन के हस्ताक्षरों के अधीन लिखित सूचना देकर उक्त निक्षेप को समपहृत करने और इस करार को तत्काल समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा । उक्त . . . ., और किन्हीं अन्य व्यक्तियों का, जो यह अभिकथन करें कि उनका इस करार में कोई हित है, इस करार को इस खंड में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में यह करार समाप्त कर दिए जाने के कारण प्रशासन पर कोई दावा नहीं होगा, परन्तु इस खंड की कोई बात क्षतिपूर्ति के ऐसे किसी अधिकार पर, जो प्रशासन को इस करार के उपबंधों के अधीन या उनके आधार पर प्राप्त है, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या उसे प्रभावित नहीं करेगी । — **गलत तथ्य देने के परिणाम ।**

(ग) (i) यदि इस करार के जारी रहने के दौरान ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है या उसे दिवालिया अधिनिर्णीत कर दिया जाता है या यदि ठेकेदार कोई कंपनी है और उसके समामेलन या पुनर्गठन के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए स्वेच्छा से या अनिवार्यतः समापन हो जाता है तो यह करार पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तथा ठेकेदार के विधिक प्रतिनिधि या, दिवाले की दशा में, उसके समनुदेशिती अथवा (कंपनी की दशा में) उसके समापक का, इस संविदा के अधीन किए गए कार्य के लिए देय धनराशि के लिए और इसमें अन्तर्विष्ट प्रतिभूति निक्षेप से संबंधित उपबंधों के अधीन प्रतिभूति निक्षेप की वापसी के लिए दावे को छोड़कर इस करार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई हित नहीं रहेगा, परन्तु इस खंड की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे दावे पर, जो प्रशासन का, ऐसे प्रतिनिधियों, समनुदेशितियों या समापकों के विरुद्ध, ऐसी घटना के पूर्व ठेकेदार द्वारा करार के किसी भंग की बाबत या इस करार के अधीन प्रशासन को उपलभ्य मुजरा या क्षतिपूर्ति के अधिकार की बाबत हो, प्रतिकूल प्रभाव डालती है या उसे प्रभावित करती है । — **ठेकेदार की मृत्यु या दिवालिया हो जाना ।**

(ii) यदि मंडल रेल प्रबंधक, ... रेल की राय में, यह पाया जाता है कि ठेकेदार रेल प्रशासन की प्रतियोगी और रेल प्रशासन के लिए हानिकर कोई अन्य सेवाएं चला रहा है तो उसका प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर लिया जाएगा । — **हानिकर सेवाओं का परिणाम ।**

(घ) रेल प्रशासन को, इस करार के जारी रहने के दौरान, ठेकेदार की ऐसी गलतियों के लिए जो प्रशासन द्वारा उपर्युक्त खंड 19 के उपखंड (क) से (ग) तक के अनुसार करार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर न मानी जाएं, जुर्माने के रूप में एक बार में 100 रुपए तक की शास्तियां अधिरोपित करने का अधिकार होगा । ये शास्तियां, जैसा कि इस करार के पैरा 4 में अनुध्यात है, रेल प्रशासन द्वारा उपगत ऐसी किसी हानि या नुकसान की रकम की ठेकेदार से वसूली के अतिरिक्त होंगी जिनके लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाता है । — **गंभीर गलतियों के लिए शास्ति ।**

8.XX. ठेकेदार, सिटी बुकिंग एजेंसी के कारबार को चलाने के लिए इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित और उपबंधित प्रत्येक और सभी निबंधनों और शर्तों का पालन और अनुपालन करेगा, अर्थात् :— — **कारबार चलाने के लिए निबंधन और शर्तें ।**

(1) ठेकेदार, इस करार के अधीन किए जाने वाले सिटी बुकिंग एजेंसी के संपूर्ण कारबार के संबंध में रेल प्रशासन को समाधानप्रद रूप में बहियां और लेखे रखेगा और रेल प्रशासन के समुचित प्राधिकारियों को, जारी की गई सभी यात्री टिकटों, प्राप्त किए गए और परिदान किए गए पार्सलों और माल तथा उनके मद्धे या उनके संबंध में प्राप्त धनराशियों के लिए सम्यक् रूप से लेखा-जोखा देगा; रेल प्रशासन या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी ऐसी बहियों और लेखाओं का किसी भी समय निरीक्षण कर सकेंगे । — **लेखा-बहियां ।**

माल का परेषण ।

(2) ठेकेदार, सिटी बुकिंग एजेंसी और दोनों दिशाओं में सेवारत रेल स्टेशन के बीच परेषण के लिए प्राप्त सब पार्सलों और माल का इस करार के और उसके अधीन किए जाने वाले सिटी बुकिंग एजेन्सी के कारबार के सही प्रयोजन और आशय के अनुरूप रेल प्रशासन के समाधानप्रद रूप में उचित तत्परता और शीघ्रता से प्रवहण करेगा ।

ठेकेदार, आगे प्रेषित करने के लिए, सिटी बुकिंग एजेंसी पर, प्राप्त माल या पार्सलों, पैकेजों या वाणिज्या को एक दिन के भीतर उस दिन को छोड़कर जिस दिन सिटी बुकिंग एजेंसी पर परेषणों को बुक कराया गया है, प्रवहण करके सेवारत स्टेशन पर परिदान करेगा ।

माल न उठाने पर शास्ति ।

इसी प्रकार ठेकेदार सिटी बुकिंग एजेंसी के लिए बुक किए गए माल या पार्सलों, पैकेजों या वाणिज्या को सेवारत स्टेशन से तीन दिन के भीतर (उस दिन को मिलाकर जिस दिन परेषण सेवारत स्टेशन पर सिटी बुकिंग एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाता है उठाएगा, उनका प्रवहण करेगा और प्रेषिती को परिदान के लिए उपलभ्य कराएगा । ठेकेदार प्रशासन को उस माल या पार्सलों पर, जो अंतिम पैरा में बताए गए समय से अधिक समय तक रोके रखे जाते हैं, प्रतिदिन या दिन के भाग के लिए प्रति 40 कि० ग्रा० या 40 कि० ग्रा० के भाग के लिए . . . . पैसे की दर से शास्ति का संदाय करेगा ।

टिप्पण :— दिन से, आधी रात से आधी रात तक संगणित दिन अभिप्रेत है । बढ़ाई गई समय-छूट साधारणतः लागू होती है, किन्तु वह उन विनश्वर वस्तुओं के परेषणों को हटाने के संबंध में लागू नहीं है जिनके विषय में विशेष अनुज्ञा दी जाती है । विनश्वर वस्तुओं के परेषण, जो यातायात के लिए सिटी बुकिंग एजेंसियों से और वहां के लिए बुक किए जाते हैं, सिटी बुकिंग एजेंसी को सौंपे जाने के समय से 24 घंटे के भीतर हटा लिए जाने चाहिए और क्रमशः परेषितियों को और सेवारत स्टेशन को परिदत्त कर दिए जाने चाहिए । ठेकेदार से लिए जाने वाले निरोध प्रभारों की गणना के प्रयोजन के लिए रविवार, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(3) ठेकेदार इस बात का इंतजाम करेगा कि सिटी बुकिंग एजेंसी और रेल स्टेशन के बीच, दोनों दिशाओं में, पार्सल और माल साधारणतः मोटर लारियों से ले जाया जाए, किंतु आपात स्थिति में, प्रवहण के अन्य साधनों, जैसे इक्कों, छकड़ों आदि का उपयोग किया जा सकेगा ।

(4) ठेकेदार, सिटी बुकिंग एजेंसी के लिए आशयित यातायात के लिए मोटर लारियों और अन्य वाहनों को लदाई और उतराई के लिए अपने खर्च पर पर्याप्त मजदूरों की व्यवस्था करेगा और रेल स्टेशन पर पैकेजों के चट्टे लगाने का इंतजाम करेगा ।

सिटी बुकिंग कार्यालय और उसका कर्मचारिवृन्द ।

(5) ठेकेदार, सिटी बुकिंग एजेंसी के कारबार का संचालन करने के लिए . . . . कारबार परिक्षेत्र में मुख्य सड़क पर रेल प्रशासन द्वारा अनुमोदित किसी उपयुक्त स्थान पर और स्टेशनों पर भी, अपनी लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर सिटी बुकिंग एजेंसी का एक ऐसा कार्यालय खोलेगा और बनाए रखेगा, जिसमें रेल प्रशासन को समाधानप्रद रूप में टेलीफोन और लिपिक होंगे । ठेकेदार, माल/पार्सल शेडों, सिटी बुकिंग एजेंसी और स्टेशन परिसर में अपने कर्मचारियों के कर्तव्य पालन में उनके उचित और अनुशासित व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा और केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियोजित करेगा, जिनके चरित्र का सत्यापन पुलिस ने कर लिया है और नियोजन के लिए उन्हें उपयुक्त घोषित कर दिया है । ठेकेदार, इन स्थानों पर रेल प्रशासन को समाधानप्रद रूप में पर्याप्त भण्डारण सुविधा, फर्नीचर, फिटिंग और अन्य चीजों की, अपने खर्च पर, व्यवस्था करेगा ।

बुकिंग के लिए तुला मशीन, आदि का प्रदाय ।

रेल प्रशासन एक तुला मशीन, एक टिकट ट्यूब, एक तारीख डालने की मशीन, एक टिकट निपर और इतनी संख्या में चमड़े के बैगों का प्रदाय करेगा, जो सिटी बुकिंग एजेंसी के लिए आवश्यक समझे जाए । सिटी बुकिंग एजेंसी से होने वाले यातायात के आधार पर इस प्रकार प्रदाय की गई सभी वस्तुओं या किसी वस्तु के लिए प्रतिमास 10 रुपए (केवल दस रुपए) का नाममात्र किराया-प्रभार लिया जाएगा । ये वस्तुएं रेल प्रशासन की सम्पत्ति रहेंगी और तुला-मशीन का अनुरक्षण भी रेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा ।

नुकसान, आदि के लिए प्रतिकर का संदाय ।

किन्तु, ठेकेदार इन वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे सभी नुकसानों और या हानियों के लिए जो उन मदों को ठेकेदार के कब्जे में रहने के दौरान, ठेकेदार की या उसके अभिकर्ताओं, सेवकों, कर्मचारियों की उपेक्षा, अवचार, व्यतिक्रम अथवा कार्य या लोप के कारण पहुंचे, रेल प्रशासन को प्रतिकर देने के लिए दायी होगा ।

(6) ठेकेदार सिटी बुकिंग एजेंसी के कार्यकरण के लिए (पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित) परिशिष्ट "क" जो इसके साथ उपाबद्ध है, अन्तर्विष्ट अनुदेशों का पालन और अनुपालन करेगा तथा उक्त परिशिष्ट "क" को इस करार के साथ पढ़ा जाएगा और इस करार का भाग समझा जाएगा।

ठेकेदार की जिम्मेदारी।

(7) ठेकेदार, सिटी बुकिंग एजेंसी या किसी अन्य स्थान पर उसके द्वारा नियोजित कर्मचारियों द्वारा की गई सभी गलतियों और भूलों तथा लिए गए कम प्रभारों के लिए जिम्मेदार होगा।

भाड़े और प्रभार जमा करना।

(8) ठेकेदार, पार्सलों और माल के उन परेषणों पर, जो आवक 'देय' और जावक 'संदत्त' बुक किए जाते हैं, सब भाड़े और अन्य प्रभारों के संग्रहण के लिए तथा प्रतिदिन प्राप्त पूरी रकम को ....के स्टेशन मास्टर के माध्यम से प्रशासन के रोकड़ कार्यालय .... में जमा कराने के लिए, जिम्मेदार होगा।

क्षतिपूर्ति।

(9) ठेकेदार, इस करार के निबंधनों के अधीन उसे सौंपी गई टिकटों, सभी पार्सलों और माल की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा और उन सभी दावों के मद्धे रेल प्रशासन की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूरित रखेगा जो उक्त पार्सलों और माल के उसकी अभिरक्षा या भारसाधन में रहने के दौरान (जैसा कि खंड 4 में उपबंध किया गया है) किसी भी कारण हुई किसी हानि, मूषण, नुकसान, नाश या क्षय के लिए रेल प्रशासन के विरुद्ध प्रेषकों/प्रेषितियों द्वारा या पैकेजों के स्वामी द्वारा किए जाएं। यदि ठेकेदार स्टेशन परिसर से पार्सलों और माल को उठाते समय, पैकेजों की बाहरी हालत, भार में कमी आदि जैसी परिस्थितियों की ओर, जिनसे यह उपदर्शित होता हो कि रेल प्रशासन की अभिरक्षा के दौरान पैकेजों को कोई हानि मूषण, नुकसान, नाश या क्षय हुआ है, रेल प्रशासन का ध्यान आकृष्ट नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि ठेकेदार ने रेल प्रशासन से सभी पार्सलों और माल को अच्छी और दुरुस्त हालत में प्राप्त किया है। ऐसे मामलों में ठेकेदार, यानांतरण रजिस्टर के "टिप्पणियां" स्तम्भ में पैकेजों की दोषपूर्ण दशा आदि के बारे में आवश्यक टिप्पणियां अभिलिखित करेगा।

ठेकेदार अपने भारसाधन में तथा सिटी बुकिंग एजेंसी तक और वहां से बुक किए गए सभी पार्सलों और माल के पैकेजों को, अभिवहन के दौरान वर्षा आदि से बचाने के लिए आवश्यक जल रोधी चादरें पर्याप्त संख्या में रखेगा।

दर और प्रभार।

(10) ठेकेदार, उक्त सिटी बुकिंग एजेंसी के संबंध में करार की गई सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए, इस से उपाबद्ध (पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित) अनुसूची "क" में विहित दरों और प्रभारों के अनुसार या ऐसी अन्य दरों और प्रभारों के अनुसार जो इनके स्थान पर पक्षकारों के बीच इसके पश्चात् समय-समय पर परस्पर करार पाए जाएं, सिटी बुकिंग एजेंसी का उपयोग करने वाली जनता से प्रभार लेगा और रेल प्रशासन से उस बाबत संदाय प्राप्त करेगा। यदि ठेकेदार किसी समय किसी व्यक्ति से अनुसूची "क" में विहित दर से या उसके स्थान पर तत्समय प्रवृत्त दर से अधिक दर प्रभारित करेगा तो ऐसी अन्य शास्ति, अभियोजन या कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए ठेकेदार इस करार के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दायी है, यह समझा जाएगा कि उसने करार का भंग किया है। इस करार के अधीन तत्समय प्रवृत्त दरों और प्रभारों को रेल प्रशासन, टैरिफों में और .... रेल प्रशासन के विभागीय परिपत्रों में समय-समय पर सम्यक् रूप से अधिसूचित करेगा तथा इन दरों और प्रभारों में सभी परिवर्तन इन टैरिफों और परिपत्रों में अधिसूचित तारीख से प्रभावी और प्रवृत्त होंगे, उससे पूर्व नहीं।

बुकिंग या ढुलाई प्रभार।

(11) ठेकेदार, माल और पार्सलों की बुकिंग या ढुलाई के लिए अथवा किसी ऐसे कर्तव्य के लिए जो उसे इस करार के या इसके अधीन किए जा रहे सिटी बुकिंग एजेंसी के कारबार के अनुसरण में करना पड़े, प्रेषकों या प्रेषितियों से उस सामान्य माल भाड़े, स्थान भाड़े या डेमरेज प्रभारों से, जो पूर्वोक्त परिशिष्ट "ख" में विहित हैं अथवा इसमें पहले यथा उपबंधित तत्समय प्रवृत्त है, अधिक किसी भी प्रकार के अन्य प्रभार नहीं लेगा।

निःशुल्क वाहन की व्यवस्था।

(12) ठेकेदार, ... रेल के ऐसे अधिकारी या अधीनस्थ को, जिसे सिटी बुकिंग एजेंसी का निरीक्षण करने का या किसी जांच के संबंध में सिटी बुकिंग एजेंसी जाने का कर्तव्य सौंपा जाता है, सिटी बुकिंग एजेंसी से रेल स्टेशन तक और वहां से सिटी बुकिंग एजेंसी तक आने-जाने के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था करेगा।

लेखा और बहियों का निरीक्षण।

(13) उन सभी या किन्हीं शक्तियों और कृत्यों का, जो इस करार के इस खण्ड के उपखण्ड (3), (5) और (12) के उपबंधों द्वारा रेल प्रशासन के लिए आरक्षित किए गए है, पालन समय-समय पर, ... रेल के तत्समय मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्य लेखा अधिकारी, ... रेल या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अन्य अधिकारी को, रेल प्रशासन द्वारा इस करार के इस खण्ड के उपखण्ड (1) के अंतिम वाक्य में निर्दिष्ट बहियों और लेखाओं का, निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है।

कुछ मामलों में रेल की क्षतिपूर्ति।

(14) ठेकेदार, सभी समयों पर ऐसे सभी दावों मद्धे रेल प्रशासन की क्षतिपूर्ति करेगा जो ठेकेदार के नियोजन में किसी कर्मकार, श्रमिक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुई किसी दुर्घटना या उसे पहुंची किसी क्षति के परिणामस्वरूप संदेय किसी नुकसानी या प्रतिकर के लिए या उसकी बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके किसी कानूनी उपान्तरों के अधीन या अन्यथा किए जाएं और ऐसी दुर्घटनाओं या नुकसान की सारी जोखिम उठाएगा जिनके कारण किसी भी कारण कार्यों का निष्पादित न हो सके और संविदा पूरी करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी साधनों की पर्याप्तता की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाएगा।

अधिनियमों के पालन का वचनबंध।

(15) ठेकेदार, इस के अधीन अपने कर्मचारियों के साथ किए जाने वाले अपने सभी व्यवहारों में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, बालक नियोजन अधिनियम, 1938 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा नियोजन काल विनियम के उपबंधों का पालन करने का वचनबद्ध करता है और ठेकेदार उनके अधीन बनाए गए नियमों का अपने द्वारा या अपने सेवकों द्वारा पालन न किए जाने से होने वाले परिणामों के लिए हर प्रकार से जिम्मेदार होगा।

विनश्वर माल को ग्रहण न करना।

(16) ठेकेदार, रेल प्रशासन द्वारा वहन के लिए विनश्वर, घृणोत्पादक या खतरनाक प्रकृति के माल को ग्रहण नहीं करेगा।

विधियों का पालन।

(17) ठेकेदार, श्रमिकों के फायदे के लिए ऐसी सभी विधियों, विनियमों और नियमों का पालन करेगा जो उस समय प्रवृत्त हैं या हो जाते हैं तथा ठेकेदार, ऐसी सभी हानियों, नुकसानियों, दावों और खर्चों मद्धे रेल प्रशासन की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूरित रखेगा जो ठेकेदार के ऐसी विधियों, विनियमों और नियमों का पालन करने में असफल रहने या लोप के कारण या उसके परिणामस्वरूप किसी भी रीति से उद्भूत हों।

प्रचार सामग्री का निःशुल्क वहन।

(18) जब भी रेल प्रशासन द्वारा अपेक्षा की जाए, ठेकेदार उक्त सिटी बुकिंग एजेंसी और उक्त...... रेल स्टेशन के बीच रेल की प्रचार सामग्री का निःशुल्क वहन करने की अनुज्ञा देगा।

बोर्डों का प्रदाय।

(19) रेल प्रशासन ठेकेदार के खर्च पर हटाए/लगाए जा सकने योग्य ऐसे बोर्डों का प्रदाय करेगा जिन पर ".. .. ..रेल" लिखा होगा और जिन्हें सिटी बुकिंग एजेंसी के पार्सलों और माल का वहन करने वाले सभी यानों पर टांगा जाएगा।

विनिर्दिष्ट दरों पर संदाय।

8.XXI. इस करार के उन निबंधनों और शर्तों के लिए और उनके प्रतिफलस्वरूप, जिनका पालन और अनुपालन ठेकेदार द्वारा किया जाना है, रेल प्रशासन ठेकेदार को सिटी बुकिंग एजेंसी और स्टेशन के बीच, दोनों दिशाओं में, पार्सलों और माल के वहन के लिए पूर्वोक्त अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट दरों पर या ऐसी अन्य दरों पर संदाय करेगा जो इस करार के खंड XX के उपखंड (10) के अधीन अनुसूची "क" में अन्तर्विष्ट दरों के स्थान पर तत्समय प्रवृत्त हों।

टिकटों का आवश्यक स्टाक।

8.XXII (क). प्रशासन, ठेकेदार को इस प्रयोजन के लिए टिकटों का आवश्यक स्टाक, एक टिकट ट्यूब, बहियों, प्ररूपों आदि का प्रदाय करेगा। ठेकेदार को, अनुशासन के प्रयोजन के लिए . .. .रेल का बुकिंग लिपिक समझा जाएगा और वह शोध्य रकमों के सही संग्रहण के लिए जिम्मेदार होगा। वह ऐसे सभी कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो टिकटों के लिए मांग-पत्र तैयार करने और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा, विक्रय-आगमों के प्रेषण तथा उपमुख्य लेखा अधिकारी, कोचिंग प्रभाग, ... या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी (इतर यातायात लेखा) . .. . को इस विषय से संबंधित प्रवृत्त नियमों, अर्थात्, लेखापरीक्षा निर्देशिका, जिल्द 4, यातायात निर्देशका कोचिंग टैरिफ, दर परिपत्रों या ऐसे ही किन्हीं अन्य दस्तावेजों में अधिकथित कालिक लेखाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में, बुकिंग लिपिक से अपेक्षित हैं।

8.XXII (ख). टिकटों के विक्रय आगम प्रतिदिन नियमित रूप से नकदी थैले में साधारण नकदी के साथ प्रेषित किए जाएंगे और उन्हें नकदी प्रेषण नोट में सम्यक् रूप से दर्ज किया जाएगा। नकदी थैलों को प्रेषित करने की प्रक्रिया वहीं होगी जो साधारण नकदी के मामले में पहले से प्रवृत्त है। **विक्रय आगम**

8.XXIII. ठेकेदार को किए जाने वाले सभी संदाय, मंडल रेल प्रबंधक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित बिलों की दो प्रतियां पूर्वोक्त रेल स्टेशन के स्टेशन मास्टर के माध्यम से प्रशासन को उस मास के जिसके लिए संदाय शोध्य है, आगामी मास की 10 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने पर, प्रतिमास और प्रायः उस मास के, जिसके लिए संदाय शोध्य है, आगामी दूसरे मास की 25 तारीख तक कर दिए जाएंगे। स्टेशन मास्टर को ठेकेदार के मासिक बिलों के साथ ठेकेदार द्वारा देय स्थान भाड़े, शास्तियों, आदि का मासिक विवरण या "कुछ नहीं" विवरण अनिवार्य रूप से संलग्न करना चाहिए। स्थानीय और इतर यातायात के बिल अलग-अलग तैयार किए जाएंगे और क्रमश: उपमुख्य लेखा अधिकारी, ... और ज्येष्ठ लेखा अधिकारी (इतर यातायात लेखा) ....को प्रस्तुत किए जाएंगे। **संदाय की रीति और समय।**

ठेकेदार बिलों के साथ भेजे जाने वाले विस्तृत विवरणों में प्रत्येक टिकट के सामने . . .. रेल के उपार्जन के हिस्से को दर्शित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे अधिक प्रभारों और कम प्रभारों के, जो लेखाओं की आंतरिक जांच में प्रकट हों, समायोजन ठेकेदार के पश्चात्वर्ती बिलों के माध्यम से किए जाएंगे और ऐसे समायोजन के लिए कोई समय-सीमा नहीं है। रेल प्रशासन के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह प्रेषकों या प्रेषितियों से दावे प्राप्त होने पर किसी भी समय, ऐसा समायोजन कर ले। **अधिक प्रभारों का समायोजन।**

यदि ठकेदार, इस संविदा के अधीन की गई सेवाओं के संबंध में ऐसी सेवाएं किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर रेल प्रशासन से संदाय का दावा नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने अधिकार का अधित्यजन कर दिया है और उस संबंध में वह किसी भी प्रकार के संदाय का हकदार नहीं होगा। **दावा करने की अवधि**

8.XXIV. यदि सिटी बुकिंग एजेंसी द्वारा इस प्रशासन के नियमों के अनुसार कोई स्थान-भाड़ा प्रभार वसूल किए जाते हैं तो उनका संदाय ठेकेदार को किया जाएगा, परन्तु यह तब जब परिसर और गोदाम ठेकेदार के हों, किन्तु प्रशासन को, पूर्वोक्त सिटी बुकिंग एजेंसी पर प्रोद्भूत हुए या प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं स्थान-भाड़ा प्रभारों को छोड़ने का अधिकार है। **स्थान भाड़ा-प्रभार।**

यदि गोदाम ठेकेदार के नहीं है तो स्थान-भाड़ा प्रभार प्रशासन द्वारा रख लिए जाएंगे।

ठेकेदार के अभिरक्षा में पड़े परेषणों पर वसूल किए गए स्थान-भाड़ा प्रभारों को भी ठकेदारों के खाते जमा कर दिया जाएगा, परन्तु रेल प्रशासन द्वारा ठेकेदार को शोध्य राशि में से, रेल प्रशासन द्वारा परेषिति के लिए मंजूर की गई प्रतिदाय की रकमें, काट ली जाएंगी।

8.XXV. ठेकेदार, अन्य व्यक्तियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के विरुद्ध अपने मोटर यानों और सम्पत्ति का किसी एक दुर्घटना में 20,000 रुपए तक के नुकसान के विरुद्ध, जिसमें आंशिक या सम्पूर्ण हानि सम्मिलित है, अपने और प्रशासन के संयुक्त नाम से बीमा कराएगा, किन्तु इससे ऐसी किसी दुर्घटना की बाबत ठेकेदार का दायित्व किसी भी रूप में सीमित नहीं होगा। ठेकेदार, प्रीमियमों का संदाय नियत तारीखों से पर्याप्त समय पूर्व करेगा जिससे कि प्रीमियम का संदाय किए जाने का सबूत नियत तारीखों को प्रशासन के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सके। परन्तु प्रशासन अतिशोध्य प्रीमियमों का संदाय कर सकेगा और यह रकम उक्त निक्षेप से या प्रशासन द्वारा ठेकेदार को शोध्य हुई या होने वाली और संदेय किन्हीं राशियों से काट सकेगा, किन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात से प्रशासन, नियत तारीख को प्रीमियम का संदाय करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, परन्तु सदैव यह कि इस बीमे के अधीन संदेय सभी राशियों का संदाय दोनों पक्षकारों के लिए और उनकी ओर से बीमाकर्ता द्वारा प्रशासन को किया जाएगा। **दुर्घटनाओं के विरुद्ध बीमा।**

8.XXVI. यदि इस विलेख या इसके किसी खंड या इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के सही आशय और अर्थ या उसके निर्वचन के संबंध में अथवा इस संविदा के अधीन शोध्य और संदेय रकम के संबंध में, एक ओर ठेकेदार और दूसरी ओर प्रशासन या उसके किसी अधिकारी के बीच कोई संदेह, मतभेद या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो प्रत्येक ऐसे मामले में ऐसे संदेह, मतभेद या विवाद को, चाहे वह किसी भी प्रकार या कभी भी उत्पन्न होता है, मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/मण्डल रेल प्रबन्धक को निर्देशित किया जाएगा। यदि ठेकेदार मुख्य **माध्यस्थम् खण्ड।**

वाणिज्यिक अधीक्षक/मण्डल रेल प्रबन्धक के विनिश्चय से सन्तुष्ट नहीं है तो उस दशा में, विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने की पुरोभाव्य शर्त के रूप में, ऐसे विवाद और मतभेद को महाप्रबन्धक या उसके नामनिर्देशिती के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और एकमात्र मध्यस्थम् को निर्देश के संबंध में, भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 या उसके किसी कानूनी उपांतरण या प्रतिस्थापन में अन्तर्विष्ट उपबंध, ऐसे निर्देश को लागू होंगे।

8.XXVII. इस करार को तैयार करने का व्यय केवल ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और वह ठेकेदार द्वारा प्रशासन को अग्रिम रूप में संदेय है। संविदा पर स्टाम्प-शुल्क का खर्च सरकार वहन करेगी। **व्यय और स्टाम्प-शुल्क।**

8.XXVIII. इसमें जैसा अन्यथा उपबंध है उसके अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी कार्रवाइयां उनकी ओर से मण्डल रेल प्रबंधक, ...रेल, ...द्वारा दी या की जाएंगी। **सूचनाएं।**

इसके साक्ष्यस्वरूप कार्यपालक प्राधिकारी के रूप में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ....मंडल रेल प्रबंधक, ...रेल ने और ....,ठेकेदार ने अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ....
मंडल रेल प्रबंधक, ...रेल ने आज तारीख
..................को निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए :

....
(मंडल रेल प्रबंधक, ...रेल
के हस्ताक्षर)।

1. ....
2 ....

ठेकेदार, मैसर्स ....ने आज
तारीख ....को निम्नलिखित साक्षियों
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए :

.. ..
(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

1. ....
2. ....

अनुसूची "क"

(अ) ....सिटी बुकिंग एजेंसी और रेल स्टेशन के बीच माल और पार्सलों के वहन के लिए और (आ) ....सिटी बुकिंग एजेंसी से टिकटें जारी किए जाने के लिए ....को किए जाने वाले संदाय की दर अनुसूची।

सिटी बुकिंग एजेंसी का नाम....................

(क) **पार्सल दरें** — रु० पै०

(1) 10 कि० ग्रा० तक . . . .

(2) 10 कि० ग्रा० से अधिक और 20 कि० ग्रा० तक . .

(3) 20 कि०ग्रा० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 10 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिए . . . . . .

फुटकर माल रु० पै०

(1) 40 कि०ग्रा० तक . . . .

(2) 40 कि०ग्रा० से अधिक और 80 कि०ग्रा० तक

(3) 80 कि०ग्रा० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 40 कि०ग्रा० तक या उसके भाग के लिए . . . . . .

(ख) टिकटों की बिक्री के लिए ठेकेदार को दिया जाने वाला कमीशन

यात्रियों की बुकिंग के लिए ठेकेदार को, ... रेल के स्थानीय उपार्जन पर और बुक किए गए सीधे जाने वाले यात्रियों के संबंध में प्राप्त उपार्जन में इस रेल के हिस्से पर .. .. प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
मंडल रेल प्रबन्धक, ...रेल
तारीख

....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

परिशिष्ट "क"

............सिटी बुकिंग एजेंसी के कार्यकरण के नियम

9. 1(क)(i).................... ..रेल और अन्य सम्बद्ध रेलों के सभी स्टेशनों तथा ... सिटी बुकिंग एजेंसियों और आउट एजेंसियों तक, जिनके साथ इस रेल की सीधी बुकिंग व्यवस्था है या ...के बाद हो जाए, ...श्रेणी के यात्रियों की आरक्षण सहित/रहित बुकिंग सीधे सिटी बुकिंग एजेंसी से की जाएगी किन्तु उस जंकशन स्टेशन तक नहीं की जाएगी जिसके माध्यम से सिटी बुकिंग एजेंसी कार्य करती है।

(ii) ठेकेदार को सिटी बुकिंग एजेंसी के कार्यालय में अधिकतम एक मास के टिकटों का स्टाक अपनी अभिरक्षा में रखने की अनुज्ञा होगी। टिकटों का शेष स्टाक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर.......... .. (यार्वा) की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगा, जो सामान्य रूप से उसकी पुनःपूर्ति करेगा। टिकटों का मांगपत्र स्टेशन मास्टर .... (यार्वा), ठेकेदार से परामर्श करके, विद्यमान नियमों के अनुसार, डी० सी० ओ० एस० एंड (टी० पी०) अजमेर को भेजेगा। **टिकटों का स्टाक।**

सर्वप्रथम ठेकेदार को स्टेशन मास्टर ... .द्वारा पार्सल मार्गपत्रक की 10 पुस्तकों का स्टाक और स्टेशन मास्टर.... ....द्वारा माल बीजकों की 10 पुस्तकों का स्टाक दिया जाएगा। इसके पश्चात् अपेक्षित "मनीवेल्यू बुकों" की पुनःपूर्ति प्रतिमास संबंधित स्टेशन मास्टरों द्वारा की जाएगी। ठेकेदार, किसी एक समय में अपनी अभिरक्षा में धन मूल्य पुस्तकों का अधिकतम दो मास का स्टाक रख सकेगा। ऐसी पुस्तकों के प्रत्येक पन्ने पर "सिटी बुकिंग एजेंसी" शब्दों की मोहर सम्यक् रूप से लगाई जाएगी। **पुस्तकों का स्टाक।**

9. 2(क). ठेकेदार, सिटी बुकिंग एजेंसी में प्रेषण के लिए प्रस्तावित सभी पार्सलों और माल के यातायात को परिशिष्ट "ख" में बताई गई शर्तों और अपवादों के अधीन रहते हुए, सीधे बुक करने की व्यवस्था करेगा। **जावक पार्सलों और माल की बुकिंग और प्रेषण।**

सिटी बुकिंग एजेंसी से, उस स्टेशन को छोड़कर जिसके माध्यम से ऐसी सिटी बुकिंग एजेंसी काम करती है, सभी स्टेशनों और सिटी बुकिंग एजेंसियों, आउट एजेंसियों के लिए जो ऐसे यातायात को प्राप्त करने के लिए खुली है, सीधी बुकिंग की जाएगी। रेल स्टेशनों के लिए बुकिंग विहित प्ररूपों, जैसे कि पार्सल मार्गपत्रकों और इनवायसों पर, रेल प्रशासन द्वारा पुस्तकों, परिपत्रों, सूचनाओं और पैरा 4 में निर्दिष्ट अन्य प्रकाशनों में अधिकथित नियमों के ठीक अनुसार की जाएगी।

(ख) पार्सल मार्गपत्रकों और बीजकों का लेखा कार्य सिटी बुकिंग एजेंसी में किया जाएगा और वह रेल स्टेशनों के लिए विहित प्ररूपों और बहियों में लेखा कार्यालय भेजा जाएगा। **विहित प्ररूप और बहियां।**

(ग) ऐसी सभी पार्सलें और माल उस स्टेशन पर पहुंचने पर, जिसके माध्यम से सिटी बुकिंग एजेंसी कार्य करती है, रेल लिपिक, संबंधित पार्सल मार्गपत्रकों और बीजकों के साथ उनका सावधानीपूर्वक मिलान करेगा और यानान्तरण रजिस्टर में उन्हें दर्ज करेगा। रेल लिपिक "हस्ताक्षर" शीर्ष वाले स्तम्भ में हस्ताक्षर करेगा और "टिप्पणियां" स्तम्भ में पैकेजों की दोषपूर्ण हालत आदि अभिलिखित करेगा। ऐसी सभी टिप्पणियों पर ठेकेदारों के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। **पार्सलों का बीजकों से मिलान।**

(घ) रेल प्रशासन विवरणियां आदि प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्ररूपों का ठेकेदार को निःशुल्क प्रदाय करेगा। **प्ररूपों का निःशुल्क प्रदाय।**

9.3. (क). सिटी बुकिंग एजेंसी के लिए बुक किए गए सभी पार्सलों और माल को, सिटी बुकिंग एजेंसी से सम्बद्ध जन्कशन स्टेशन पर पहुंचाने पर, यानान्तरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और वे, संबंधित मार्गपत्रकों और बीजकों (नीचे पैरा (ख) देखें) सहित ठेकेदार के प्रतिनिधियों को दे दिए जाएंगे, जो उनके लिए यानान्तरण रजिस्टर में "हस्ताक्षर" शीर्ष वाले स्तंभ में हस्ताक्षर करेगा और "टिप्पणियां" स्तंभ में पैकेजों की त्रुटिपूर्ण दशा आदि अभिलिखित करेगा। **आवक पार्सलों और माल की प्राप्ती और निपटान।**

(ख). ठेकेदार का प्रतिनिधि सिटी बुकिंग एजेंसी के लिए अंकित प्रत्येक प्रेषण को, संबंधित मार्गपत्रक या बीजक, प्राप्त न होने पर भी, प्राप्त करेगा। रेल रसीद से मार्गपत्रक या बीजक की, प्रतिलिपि तैयार की जाएगी और उसे इस शर्त पर हिसाब में ले लिया जाएगा कि अग्रेषण स्टेशन से उसकी मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अवप्रभार वसूल कर लिया जाएगा। यदि मूल या प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए मांग की जानी चाहिए। **बीजक तैयार करना।**

(ग) पार्सल या माल सिटी बुकिंग एजेंसी पहुंचने पर, पार्सल मार्गपत्रक या बीजक को हिसाब में ले लिया जाएगा और यातायात तथा दस्तावेजों का हिसाब-किताब रेल प्रशासन द्वारा पुस्तकों, परिपत्रों, सूचनाओं और पैरा 5 में निर्दिष्ट अन्य प्रकाशनों में अधिकथित नियमों के ठीक अनुसार, किया जाएगा। **यातायात तथा दस्तावेज**

(घ) आवक पार्सल मार्गपत्रक या बीजक को प्राप्त होते ही, भले ही परेषण प्राप्त न हुआ हो, हस्तगत लेखाओं मे तुरन्त हिसाब में लिया जाएगा और रकम को तब तक बकाया दिखाया जाएगा जब तक कि पार्सलों या माल का परिदान नहीं कर दिया जाता या बकाया के अन्यथा निपटान के लिए आदेश प्राप्त नहीं हो जाते। **बकाया रकम।**

9.4. ठेकेदार, पार्सलों और माल यातायात पर सभी अवप्रभारों और माल भाड़ा प्रभारों के संग्रहण के लिए उन्ही नियमों के अनुसार जिम्मेदार होगा जो...... ....रेल के स्टेशनों पर उसी प्रकार के यातायात के लिए लगर हैं। **माल भाड़े और अन्य प्रभारों के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी।**

9.5. ठेकेदार, ...रेल टैरिफ और इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों में और समय-समय पर .... .रेल के महाप्रबंधक या मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा जारी किए गए अन्य अनुदेशों में विद्यमान नियमों के अनुसार, सिटी बुकिंग एजेंसी के लिए और वहां से बुक किए जाने वाले सब यातायात की उचित बुकिंग और हिसाब-किताब के लिए रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सभी पुस्तकों और प्ररूपों को बनाए रखेगा। ऐसी प्रत्येक पुस्तक की, जिसका बनाए रखा जाना अपेक्षित है, एक प्रति का, ठेकेदार द्वारा मण्डल रेल प्रबंधक से मांग किए जाने पर, रेल प्रशासन द्वारा निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। खो गई या अन्यथा नष्ट हो गई बहियों आदि के स्थान पर या निःशुल्क प्रदाय की गई बहियों आदि के अतिरिक्त अपेक्षित, बहियों आदि का प्रदाय, ठेकेदार के व्यय पर किया जाएगा। **बहियां और प्ररूप।**

9.6. ठेकेदार, ऊपर निर्दिष्ट बहियों में और मुख्य लेखा अधिकारी या मंडल रेल प्रबंधक, ...रेल द्वारा जारी किए गए किन्हीं अनुपूरक, साधारण या विशेष अनुदेशों में विहित रीति से सिटी बुकिंग एजेंसी द्वारा व्यवहार किए जाने वाले यात्रियों और सामान की टिकटों, पर्मालों और माल यातायात से संबंधित पूरी विवरणियां, जिनमें एजेंसी और रेल के अनुपात अलग-अलग दर्शित किए गए हों और उनसे संबंधित तुलनपत्र भी, उप मुख्य लेखा अधिकारी, ... रेल, ... को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा। प्राप्त किए गए और प्रेषित यातायात की मासिक और कालिक विवरणियां तथा रेल यातायात लेखा कार्यालय और मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य विवरणियां, सिटी बुकिंग एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा नियत तारीख को प्रस्तुत की जानी चाहिएं। **विवरणियां।**

ठेकेदार सिटी बुकिंग एजेंसी के लिए बुक किए गए परेषणों का परिदान, कम होने और न होने या उन्हें नुकसान पहुंचने के संबंध में, कमी की रिपोर्ट मांग की जाने पर, मण्डल अधीक्षक या मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक को भी प्रस्तुत करेगा। **कमी की रिपोर्ट।**

यदि विवरणियां और कमी की रिपोर्टें आदि नियत तारीखों तक प्रस्तुत नहीं की जाती हैं और उन्हें बकाया रखा जाता है तो ऐसी सभी विवरणियों और कमी की रिपोर्टों का संकलन करने के लिए रेल प्रशासन को अपने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने का अधिकार होगा। उक्त प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किए गए कर्मचारियों पर होने वाला संपूर्ण खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और वह, मांग की जाने पर, रेल प्रशासन को उसका संदाय करेगा या वह संपूर्ण खर्च उसके सिटी बुकिंग एजेंसी के बिलों अथवा प्रतिभूति निक्षेप से और/या उसे शोध्य किसी अन्य रकम से वसूल किया जाएगा। **कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति।**

9.7. यदि कोई टिकट किसी सिटी बुकिंग कार्यालय/एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है और यात्री उसे, विहित समय के भीतर सिटी बुकिंग कार्यालय/एजेंसी के कार्य घंटों के पश्चात् सेवारत स्टेशन को "अप्रयुक्त" रूप में वापस कर देता है तो स्टेशन न केवल इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा कि "अप्रयुक्त टिकट" यथास्थिति, रेल गाड़ी के प्रस्थान के समय तक या रेलगाड़ी के प्रस्थान से तीन घंटे के भीतर अभ्यर्पित कर दिया गया है बल्कि यात्री को वह टिकट सम्यक् रूप से रद्द करके, स्टाम्प लगाकर और हस्ताक्षर करके वापस भी करेगा। रद्द किए गए टिकट के साथ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, सिटी बुकिंग कार्यालय/एजेंसी रद्द किए गए टिकट के ब्यौरे का सुसंगत दस्तावेजों से सत्यापन करने के पश्चात्, यात्री को शोध्य आवश्यक प्रतिदाय करेगा। प्रतिदाय कर दिए जाने पर, सिटी बुकिंग एजेंसी/कार्यालय प्रमाणपत्र की विशुद्धता का सत्यापन करने के लिए सेवारत स्टेशन को निर्देश करेगा। ऐसे मामलों में प्रतिदाय सिटी बुकिंग कार्यालय/एजेंसी द्वारा आगामी कार्य दिवस तक संज्ञात कर दिया जाएगा। अन्य मामलों में प्रतिदाय इंडियन रेलवे कांफ्रेंस एसोसिएशन की चिंग टैरिफ सं. 19 भाग 1 के नियम 213(4) में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होगा। यदि उन्हें कपट के किसी मामले का पता चलता है तो उसकी रिपोर्ट रेल के मण्डल/मुख्यालय को की जानी चाहिए। सिटी बुकिंग कार्यालय/एजेंसी, तुलन-पत्र में दर्शित क्रेडिट के समर्थन में रद्द की गई ऐसी सभी टिकटें और प्रमाणपत्र रेल के यातायात लेखा कार्यालय को भेजेंगे। **प्रतिदाय।**

किन्तु यदि माल भाड़े आदि के वर्गीकरण या संगणना में त्रुटियों के कारण अधिक प्रभार का पता परेषणों के परिदान से पहले लग जाता है तो ऐसे अधिक प्रभार का प्रतिदाय ठेकेदारों द्वारा परिदान के समय कर दिया जाएगा और परेषती को प्रतिदाय-सूची पर प्रतिदाय की अभिस्वीकृति देने के लिए कहा जाएगा। अभिस्वीकृति वाला प्ररूप उपमुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा) ....रेल, ... को, संबंधित तुलनपत्रों के साथ, भेजा जाएगा। **प्रतिदाय सूची पर प्रतिदाय की अभिस्वीकृति।**

9.8. ठेकेदार त्रिपर्णीय खजाना प्रेषण टिप्पण पुस्तक रखेगा। इस पुस्तक में कुल नकद संग्रहण दर्ज किया जाएगा और ठेकेदार उसे करार के ज्ञापन के खण्ड 20(8) में अधिकथित रूप में दो बाह्य पर्णों के साथ स्टेशन मास्टर . .. .को भेजेगा। स्टेशन मास्टर दोनों बाह्य पर्णों पर हस्ताक्षर करके उन्हें ठेकेदार को वापस करेगा और ठेकेदार एक बाह्य पर्ण को उसी दिन की डाक से नकदी प्रेषण नोट के साथ उपमुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा) ....को भेजेगा। बाह्य पर्ण को पुस्तक के प्रतिपर्ण के साथ चिपकाया जाएगा। क्रेडिट नोट और वाउचर भी नकदी प्रेषण नोट में दर्ज किए जाएंगे, जिसमें माल और कोचिंग से हुआ उपार्जन अलग-अलग दिखाया जाएगा। प्रत्येक दिन के नकदी और वाउचरों **नकदी का प्रेषण।**

के प्रेषण के लिए एक ही नकदी प्रेषण नोट तैयार किया जाएगा और यदि किसी दिन कोई नगद संग्रहण नहीं होता है तो "कुछ नहीं" नकदी प्रेषण नोट तैयार किया जाएगा और उप मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा), ...को भेजा जाएगा।

9.9. (क) सिटी बुकिंग एजेंसी पर व्यवहार किए जाने वाले परेषणों के लिए उद्गृहीत किए जाने वाले प्रभार वे होंगे जो अनुसूची "क" में दर्शित किए गए हैं। प्रभारित की जाने वाली दरें।

(ख) यात्रियों की बुकिंग के लिए ठेकेदार को..... ....रेल के स्थानीय उपार्जन पर और सीधे बुक किए गए यात्रियों के संबंध में प्राप्त उपार्जन में इस रेल के हिस्से पर..................प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। ठेकेदारों द्वारा कोट की जाने वाली प्रतिशत दर 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.10. प्रभारित किया जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप, व्यस्त अवधि के दौरान बुक किए गए यात्री-यातायात के 15 दिन के आवर्त के बराबर होगा। फिलहाल यह ... .रुपए नियत किया गया है। सिटी बुकिंग एजेंसी द्वारा पार्सलों और माल के व्यवहार के लिए ....रुपए का पृथक् प्रतिभूति निक्षेप नियत किया गया है। इस प्रकार फिलहाल कुल प्रतिभूति निक्षेप....... ...... रुपए नियत किया गया है और आवश्यक समझे जाने पर, प्रशासन इसे बढ़ा सकता है। प्रतिभूति निक्षेप।

ठेकेदार के हस्ताक्षर	भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मंडल रेल प्रबंधक, ...रेल, ...के हस्ताक्षर
ठेकेदार के हस्ताक्षर का साक्षी	मण्डल रेल प्रबंधक, ...रेल, ...के हस्ताक्षर का साक्षी

उपाबंध 'ख'

..................में सिटी बुकिंग एजेंसी

सिटी बुकिंग एजेंसी को लागू होने वाली साधारण शर्तें

10.1. रेल प्रशासन वाहक अधिनियम, 1865 (1865 का 3) के अधीन ठेकेदार की ओर से कोई भी दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। रेल प्रशासन।

10.2. कोयला, घृणोत्पादक माल, विस्फोटक, खतरनाक माल, आयुध और गोला-बारूद बुक नहीं किया जाएगा। किन्तु प्राइवेट व्यक्तियों के निरापद कारतूसों और गोला-बारूद के छोटे-छोटे परेषण स्वीकार किए जाएंगे और उन्हें सिटी बुकिंग एजेंसी पर स्वामी की जोखिम पर वहन किया जाएगा, परन्तु यह तब जब अग्रेषण नोट नियमों के अनुसार निष्पादित कर दिया जाए। सामग्री।

10.3. वर्षा से खराब हो सकने वाले माल को जलसह आवरणों में पैक किया जाएगा। पैकिंग।

10.4. रेल पर स्वामी की जोखिम पर वहन किया जाने वाला माल सिटी बुकिंग एजेंसी पर भी स्वामी के जोखिम पर वहन किया जाएगा। जोखिम।

10.5. माल की यात्रा के रेल स्टेशन पर स्वामी की जोखिम पर बुक की गई ऐसी पार्सलों और माल की दशा में, जिसमें रिसन हो सकती है या जिसमें नमी के कारण भार में अवक्षयण हो सकता है, और जिनके लिए सिटी बुकिंग एजेंसी पर स्वामी की जोखिम दर कोट नहीं की गई है, यात्रा के सिटी बुकिंग एजेंसी वाले भाग के लिए अग्रेषण नोट लिया जाएगा। रिसन की दशा में अग्रेषण नोट।

10.6. यदि कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है तो, पार्सलों की दशा में किसी एक पैकेज का अधिकतम भार 1–12 क्विंटल से और माल की दशा में 5 क्विंटल से अधिक नहीं होगा। पैकेज का अधिकतम भार।

10.7. जैसा अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है उसे छोड़कर, प्रभारों की गणना वास्तविक भार के आधार पर की जाएगी। भार और प्रभारों के किसी भाग के बारे में रेल पर प्रचलित नियम भी लागू होंगे। प्रभारों की गणना।

10.8. ....रेल पर जिन पार्सलों को माप के अनुसार प्रभारित किया जाता है उन्हें सिटी बुकिंग एजेंसी पर भी उसी प्रकार प्रभारित किया जाएगा। माप के अनुसार प्रभार।

10.9. स्थान भाड़ा, नियमों के अधीन...... .... .रेल पर लागू होने वाली दरों के अनुसार, प्रभारित किया जाएगा। स्थान भाड़ा।

10.10. यदि विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है तो विनश्वर और अपवर्जित वस्तुओं को बुक नहीं किया जाएगा। विनश्वर वस्तुएं।

10.11. घोषित मूल्य के 100 रुपए या उसके भाग पर 2 रुपए बीमा प्रभार होगा और यह रेल पर बीमा प्रभारों के अतिरिक्त, सिटी बुकिंग एजेंसी पर उद्गृहीत किया जाएगा। बीमे के लिए न्यूनतम प्रभार 2 रुपए है। बीमा प्रभार।

ठेकेदार के हस्ताक्षर	भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मण्डल रेल प्रबंधक,............ .... रेल के हस्ताक्षर
तारीख.......	तारीख................

रेल-भूखण्ड के उपयोग की अनुज्ञप्ति के लिए करार ज्ञापन

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो ....रेल के ....के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसमें आगे "प्रशासन" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में मैसर्स .... (जिन्हें इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है) के बीच आज तारीख ....को किए गए करार का ज्ञापन। करार के पक्षकार।

जिसके द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है:—

11.1. अनुज्ञप्तिधारी रेल के उस भूखंड का उपयोग, जिसका वर्णन इसके नीचे लिखी अनुसूची में किया गया है और जिसे इसके साथ संलग्न रेखांक सं० ... . में अंकित तथा रंजित किया गया है (जिसे इसमें आगे "उक्त भूमि" कहा गया है), पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा ऐसे अन्य नियमों, विनियमों और उपविधियों के अधीन रहते हुए जो समय-समय पर प्रशासन द्वारा या उसकी ओर से अथवा .. ..के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से बनाए जाएं और इसमें उल्लिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, उस पर .. ..का निर्माण करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए करेगा। रेल-भूखण्ड का उपयोग।

इस करार की एक आवश्यक शर्त यह है कि यह अनुज्ञप्ति अभिव्यक्त रूप से यह बात तय करके दी गई है कि उक्त भूमि का और................. .... का, जो अनुज्ञप्तिधारी उस पर निर्मित करेगा, उपयोग केवल ....के लिए ही किया जाएगा और उक्त भूमि का या ....का अथवा उस पर निर्मित सुविधाओं का .... के लिए, जिसका निष्पादन रेल से भिन्न किसी अन्य साधन द्वारा किया गया है, उपयोग इस करार का भंग माना जाएगा और कोई सूचना दिए बिना उसे तुरन्त रद्द किया जा सकेगा, परन्तु हड़ताल होने, रेल बंधों में दरारें

पड़ जाने और इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न होने की दशा में तथा उस दशा में जब प्रशासन अनुज्ञप्तिधारी के .. .. .पर स्थित.. .. ..संस्थापन के लिए और वहां से यातायात लाने-लेजाने की स्थिति में नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी ... . रेल के..... . . ..की लिखित पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करके, संस्थापन के लिए और वहां से सामान किसी अन्य उपलब्ध साधन से उस समय तक लाने-ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा जब तक कि पूर्वोक्त परिस्थितियां विद्यमान रहती हैं।

11.2. अनुप्तिधारी इस करार की तारीख से ... .मास के भीतर उक्त भूमि के एक भाग पर ....संस्थापन का निर्माण अपनी लागत पर करेगा। उक्त .. ..संस्थापन का निर्माण पूर्णतः, भारत के मुख्य विस्फोटक निरीक्षक द्वारा अनुमोदित और मंजूर किए गए विनिर्देशों और रेखांकों के अनुसार तथा सम्बद्ध राज्य के संबंधित .... विनियमों के अनुसार किया जाएगा। **संस्थापन का निर्माण।**

11.3. यदि अनुज्ञप्तिधारी रेल वैगन साइडिंग और ....संस्थापन के लिए अनुज्ञप्त उक्त भूमि के बीच ....के प्रवहण के लिए पाइप लाइनें बिछाना आवश्यक समझता है तो उक्त पाइप लाइन के लिए अपेक्षित रेल भूमि अनुज्ञप्तिधारी को उन्हीं निबन्धनों और शर्तों के अधीन पट्टांतरित की जाएगी जो निबन्धन और शर्तें संस्थापन के लिए लागू हैं। ऐसी पाइप लाइन से घिरने वाले क्षेत्र की गणना करते समय ....की अभिहित चौड़ाई ली जाएगी, जिसे अनुसूची में दर्ज किया जाएगा और संस्थापन के क्षेत्र से अलग दिखाया जाएगा तथा उस पर ....के लिए प्रतिवर्ष ....की उसी दर से प्रभार लिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी के पाइप भूमि के भीतर बिछाए जाएंगे और ऐसी रीति से बिछाए जाएंगे कि पहिए वाले यान उन पर से गुजर सकें और अनुज्ञप्तिधारी का ऐसे किसी नुकसान के लिए कोई दावा नहीं होगा जो यानों के उन पाइप लाइनों पर से गुजरने के कारण होता है। **पाइपलाइन बिछाने के लिए क्षेत्र की गणना।**

सतही भूमि का किसी भी प्रयोजन के लिए प्रशासन द्वारा उपयोग किया जा सकेगा या उपयोग करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में कोई आक्षेप करने या इस मद्दे किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

अनुज्ञप्ति समाप्त कर दिए जाने पर, इसके खण्ड 10 में दी गई शर्तें अनुज्ञप्तिधारी के .. ..को लागू होंगी।

11.4. अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोक्त रूप में किसी ....संस्थापन या उक्त भूमि से संबद्ध किसी भवन या अन्य संरचना या संकर्म का निर्माण करने से पूर्व, उसके विस्तृत रेखांक, उत्थापन और ...रे विनिर्देशों सहित प्रशासन को आवेदन करेगा, जिस पर इस बात के प्रमाणस्वरूप भारत के मुख्य विस्फोटक निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे कि उसने प्रस्तावित निर्माण का अनुमोदन कर दिया है और वह पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) और पैट्रोलियम नियम, 1937 तथा उसके उपान्तरों या संशोधनों और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अतिरिक्त जानकारी देगा जो . . ..रेल के........... .... .द्वारा मांगी जाए और वह ऐसे पैट्रोलियम संस्थापन या ऐसी संरचना का निर्माण उस रेखांक, उत्थापन और उन विनिर्देशों या उनके उपान्तरों के अनुसार ही करेगा जो प्रशासन द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत उसके अधिकारी द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिए गए हैं, अन्यथा नहीं। **संरचना के लिए रेखांक।**

11.5. अनुज्ञप्तिधारी ... .को या ....रेल के ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें इस निमित्त प्राधिकृत किया जाता है, उक्त भूमि पर तथा उस पर बनाए गए अनुज्ञप्तिधारी के सभी टंकों, भवनों, संकर्मों और सुविधाओं पर, चाहे वे निर्मित हो गई हों या की जा रही हों, सभी समयों पर अबाध रूप से आने-जाने देगा और उक्त . ...या पूर्वोक्त अधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे टैंकों, भवनों, संकर्मों या सुविधाओं के ऐसे भाग या भागों को तत्काल गिराएगा, पुनः बनाएगा, बदलेगा या उनकी मरम्मत करेगा, जो उक्त . . . .या प्राधिकृत अधिकारी के विचार में अनुचित रूप से स्थित है या जिनकी डिजाइन, निर्माण या सामग्री दोषपूर्ण है या जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। ऐसे सभी परिवर्तनों, मरम्मतों और समान कार्यों से पैट्रोलियम नियम, 1937 की अपेक्षाओं का किसी भी रूप में अतिलंघन नहीं होगा। **आने-जाने और निरीक्षण की सुविधा।**

प्रपुंज तेल का बुक न किया जाना।

11.6. गंतव्य स्थान पर प्रपुंज तेल से लदे वैगनों के निरुद्ध रहने से बचने के लिए उस विभाग को प्रपुंज तेल के और प्रदाय बुक करने से पहले, डिपों स्टेशन पर पात्र पर्याप्त रूप से खाली कर दिया जाना चाहिए ताकि उसमें रेल के एक टैंक वैगन का तेल ग्रहण करने की जगह खाली रहे। किसी भी स्टेशन के लिए प्रपुंज पेट्रोलियम तब तक बुक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस खंड में यथा उपबंधित पात्र या टैंक की व्यवस्था नहीं कर ली जाती।

अनुज्ञप्ति फीस का संदाय।

11.7. अनुज्ञप्तिधारी प्रशासन को ....रेल के..................माध्यम से तारीख ....से.................. .....तक की अवधि के लिए .. .. रुपए प्रतिवर्ष की अनुज्ञप्ति फीस का अग्रिम संदाय करेगा, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी प्रथमतः उपर्युक्त दर पर अनुज्ञप्ति फीस का संदाय इस करार के अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त भूमि का कब्जा लिए जाने की तारीख से उस कलैण्डर वर्ष के अन्त तक के लिए करेगा और यदि यह अनुज्ञप्ति किसी वर्ष के अन्त से पूर्व समाप्त कर दी जाती है तो वह खंडित अवधि के लिए भी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के अनुपातिक भाग का सम्यक् रूप से संदाय करेगा और इसके अतिरिक्त वह उक्त भूमि पर अपने तत्समय विद्यमान टैंकों, भवनों, संकर्मों और सुविधाओं की बाबत उसी तारीख से सभी उपकरों, रेटों और करों का या यदि उक्त भूमि, टैंकों, संकर्म और सुविधाओं के लिए स्टेशन परिसरों को लागू सभी उपकरों, रेटों और करों का निर्धारण, अलग से नहीं किया जाता है तो उनके आनुपातिक भाग का सम्यक् रूप से संदाय करेगा।

विशेषाधिकारों का उपपट्टे आदि पर न दिया जाना।

11.8. अनुज्ञप्तिधारी, प्रशासन की लिखित पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, इसके खंड 1 में उल्लिखित विशेषाधिकारों को समनुदेशित करने, बंधक रखने, उप पट्टे पर देने या अन्यथा अन्तरित करने का हकदार नहीं होगा।

उक्त भूमि पर पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम नियमों के अनुरूप टैंकों या अन्य पात्रों में ही भंडारित किया या रखा जाएगा, अन्यथा नहीं।

उन सभी मामलों में जिनमें विहित प्राधिकारियों की सम्मति प्राप्त करना विधि के अनुसार आवश्यक है, ऐसी सम्मति प्राप्त किए बिना किसी भी डिपों पर पेट्रोलियम का विक्रय नहीं किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी सम्मति स्वयं और अपने खर्च पर प्राप्त करनी होगी।

अनुज्ञप्तिधारी उक्त भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग पूजा या धार्मिक अथवा शैक्षिक प्रयोजनों के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो इसके खंड 1 में विनिर्दिष्ट नहीं है, उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी इसमें अन्तर्विष्ट किसी निबंधन या शर्त को भंग करता है तो इस अनुज्ञप्ति के अधीन प्रदत्त सभी विशेषाधिकार तुरंत पूर्णतः समाप्त और पर्यवसित हो जाएंगे और अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार के प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

नियमों का कड़ाई से पालन।

11.9. अनुज्ञप्तिधारी विशेष रूप से निम्नलिखित नियमों का कड़ाई से पालन करेगा :—

(1) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तेल निस्सारित नहीं किया जाएगा।

(2) तेल निस्सारण संक्रियाओं के आसपास धूम्रपान करने या कोई चीज जलाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

विशेषाधिकार की शर्तें।

11.10. इसके खण्ड 1 में उल्लिखित उक्त विशेषाधिकार इन अभिव्यक्त शर्तों पर दिए गए हैं कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय लिखित रूप में तीन कैलेंडर मास की सूचना देकर इस अनुज्ञप्ति को पर्यवसित और समाप्त कर सकता है और उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्रशासन ऐसे विशेषाधिकारों को समाप्त कर सकता है और उस बाबत अनुज्ञप्तिधारी का किसी भी प्रकार के प्रतिकर का कोई दावा नहीं होगा तथा वह उक्त भूमि का उपयोग बंद कर के उसे प्रशासन को दे देगा और परिदत्त कर देगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिनिर्मित पेट्रोलियम संस्थापन भवन और अन्य संकर्म, संस्थापन-भवन और अन्य संकर्मों के उन भागों को छोड़ कर जो प्रशासन ने, उसके और अनुज्ञप्तिधारी के बीच परस्पर करार पाए गए निबन्धनों पर ग्रहण कर लिए हैं, इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् से दो कलैण्डर मास के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने खर्च पर गिराकर उक्त भूमि से हटा लिए जाएंगे। अनुज्ञप्तिधारी उक्त दो कलैंडर मास की अवधि के भीतर अपने खर्च पर उक्त भूमि को, जिस पर वे बने हुए थे,

पहले जैसी दशा में ला देगा और यदि उसमें कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो प्रशासन उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् उक्त गिराने, हटाने और प्रत्यावर्तन का उतना कार्य निष्पादित करने का, हकदार होग जिसे पूरा करने में अनुज्ञप्तिधारी असफल रहता है और इस प्रकार हटाई गई किसी भी सामग्री या वस्तुओं का विक्रय करने का भी, हकदार होगा और ऐसी दशा में उस पर उपगत समस्त खर्च का संदाय अनुज्ञप्तिधारी, प्रशासन द्वारा मांग की जाने पर, करेगा और पूर्वोक्त सामग्री और वस्तुओं के विक्रय आगम प्रशासन द्वारा उन सभी राशियों को चुकाने के लिए रख लिए जाएंगे जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रशासन को इस करार की बाबत या प्रशासन और अनुज्ञप्तिधारी के बीच किए गए किसी अन्य करार की बाबत या अन्यथा, संदेय हों।

11.11. इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उक्त भूमि पर अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में अभिधृति का सृजन करती है या उक्त भूमि पर और उसके संबंध में प्रशासन के अधिकारों और शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालती है या उन्हें प्रभावित करती है और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसका उपयोग और उपभोग तथा इसके द्वारा दी गई स्वतन्त्रताओं और अनुज्ञप्ति का प्रयोग हर प्रकार से प्रशासन के नियंत्रण के अधीन रहते हुए किया जाएगा और प्रशासन को समय-समय पर यह निदेश देने की पूर्ण और आत्यन्तिक शक्ति होगी कि अनुज्ञप्तिधारी इन स्वतन्त्रताओं और अनुज्ञप्ति का प्रयोग और उपभोग किस रीति करे। प्रशासन अनुज्ञप्तिधारी को समय-समय पर उक्त स्वतंत्रताओं और अनुज्ञप्ति का प्रयोग करने के संबंध में यह भी निदेश दे सकता है कि वह कोई ऐसी बात न तो करे या कराए और न सहन करे या कराए जो पड़ोस के लिए न्यूसेंस पैदा करती है या पार्श्व के परिसरों के लिए अथवा प्रशासन के सेवकों या अभिकर्ताओं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, खतरनाक है। अनुज्ञप्तिधारी, इस खण्ड के अधीन प्रशासन द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों का, पालन करेगा। **अभिधृति का सृजन नहीं।**

11.12. प्रशासन इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर उक्त भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और उसका फिर से कब्जा लेकर उसे आत्यन्तिक रूप मे प्रतिधारित रख सकता है। अनुज्ञप्तिधारी सभी समयों पर प्रशासन को सभी प्रकार के ऐसे दावों, मांगों, वादों, हानियों, नुकसानों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों से क्षतिपूरित रखेगा और प्रशासन की प्रतिपूर्ति करेगा जो उक्त भूमि पर अनुज्ञप्ति धारी द्वारा जमा किए गए या रखे गए पेट्रोलियम में होने वाले विस्फोट, दहन या रिसन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी क्षति के कारण या उसके परिणाम स्वरूप अथवा इसके द्वारा दी गई स्वतंत्रताओं का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या उसके सेवक और अभिकर्ता द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप या इसके खंड 1 में निर्दिष्ट किसी नियम, विनियम या उपविधि का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या उसके सेवक और अभिकर्ता द्वारा पालन न किए जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप प्रशासन वहन या उपगत करे। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी आग लग जाने के कारण या किसी भी प्रकार किन्हीं अन्य कारणों से होने वाले किसी भी नुकसान की बाबत प्रशासन से कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। **क्षतिपूर्ति।**

11.13. अनुज्ञप्तिधारी इस करार को तैयार करने, उस पर स्टाम्प लगाने, उसका निष्पादन करने तथा उसके रजिस्ट्रीकरण का और उनका अनुषंगिक सब खर्च वहन करेगा और उसका संदाय करेगा। **करार का खर्च और स्टाम्प शुल्क।**

11.14. अनुज्ञप्तिधारी नगरपालिक विधि के ऐसे सभी नियमों और विनियमों तथा ऐसी अन्य सभी विधियों, नियमों या विनियमों का अनुसरण करेगा, जो संरचनाओं, पैट्रोल-पम्प या भंडार के अनुरक्षण तथा लोक सुरक्षा के लिए लागू हैं। अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण के अधीन उक्त भूमि या पैट्रोल-पम्प, भंडार, भवनों की बाबत सभी करों का संदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा। **विधियों का पालन।**

11.15. यदि अनुज्ञप्तिधारी पर तामील की जाने वाली कोई सूचना अनुज्ञप्तिधारी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या उसके कारबार के अंतिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दी जाती है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जाती है तो वह पर्याप्त रूप से तामील की गई समझी जाएगी। **सूचनाएं तामील करने की रीति।**

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रशासन पर तामील की जाने वाली कोई सूचना ...., ... रेल के कार्यालय में परिदत्त कर दी जाती है या उसके पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जाती है तो वह पर्याप्त रूप से तामील की गई समझी जाएगी।'

जैसा कि इस विलेख में अन्यथा उपबंध है उसके अधीन रहते हुए, प्रशासन की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उसकी ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्रवाइयां .. .. रेल........द्वारा दी या की जा सकेंगी।

11.16. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक् रूप से पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रशासन के पास तत्काल ....रुपए नकद जमा कराएगा या प्रशासन द्वारा अनुमोदित प्ररूप में, भारतीय स्टेट बैंक या प्रथम श्रेणी के किसी ऐसे सुप्रसिद्ध बैंक की गारंटी प्रस्तुत करेगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने गारंटी देने के लिए प्राधिकृत किया है। प्रशासन अपनी असंदत्त शोध्य रकमें उक्त प्रतिभूति निक्षेप से वसूल करने का हकदार है और अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार वसूल की गई रकम, प्रतिभूति धन की रकम को पूरा करने के लिए, मांगे की जाने पर, उसमें जमा करेगा। इस अनुज्ञप्ति के समाप्त हो जाने के पश्चात् उक्त भूमि को उसकी पहले जैसी दशा में लाने के लिए उपगत व्यय भी प्रतिभूति निक्षेप से वसूल किया जा सकेगा और यदि उक्त प्रतिभूति निक्षेप प्रशासन द्वारा उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी से शेष रकम न्यायालय के माध्यम से या अन्यथा वसूल की जा सकेगी। प्रतिभूति धन पर प्रशासन द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है। प्रतिभूति निक्षेप।

11.17. इस करार में नियत की गई अनुज्ञप्ति फीस का पुनरीक्षण करने के अपने के आशय की एक मास की सूचना अनुज्ञप्तिधारी को देने के पश्चात् प्रशासन, स्वविवेकानुसार अनुज्ञप्ति फीस का पुनरीक्षण किसी भी समय कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपर्युक्त सूचना में उल्लिखित तारीख से पुनरीक्षित दर पर अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने के लिए आबद्ध होगा। फीस का पुनरीक्षण।

11.18. यदि प्रशासन को देय किन्हीं धनराशियों का संदाय नहीं किया जाता है या वे प्रतिभूति धन से वसूल की जाती हैं तो अनुज्ञप्तिधारी प्रशासन को उस अवधि के लिए दस प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा जिसके दौरान धनराशि असंदत्त रहती है या मांग की जाने के बावजूद प्रतिभूति की रकम नियत रकम से कम रहती है। देय धनराशि पर ब्याज।

11.19. यदि इस विलेख के अधीन या उसके संबंध में कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है (उन विषयों के बारे में प्रश्न, विवाद या मतभेद को छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इस विलेख में विशेष रूप से उपबंध किया गया है) तो उसे किसी ऐसे अधिकारी के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे ....द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाए। यह आक्षेप नहीं किया जा सकेगा कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है या कि उसे विलेख से संबंधित विषयों पर कार्यवाही करनी पड़ी है या सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुक्रम में उसने विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी विषयों या किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और इस विलेख के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। माध्यस्थम् खण्ड।

यदि मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है या वह कार्रवाई करने में उपेक्षा या इंकार करता है या त्यागपत्र दे देता है या किन्हीं भी कारणों से कारवाई करने में असमर्थ हो जाता है तो .... के लिए यह विधिपूर्ण होगा की वह ऐसे मध्यस्थ के स्थान पर पूर्वोक्त रीति से दूसरा मध्यस्थ नियुक्त कर दे।

मध्यस्थ, समय-समय पर, इस विलेख के पक्षकारों की सम्मति से अधिनिर्णय देने और उसे प्रकाशित करने के समय को बढ़ा सकेगा।

ऐसे प्रत्येक और किसी निर्देश में, क्रमशः, निर्देश और अधिनिर्णय के और उनसे आनुषंगिक खर्चों का निर्धारण मध्यस्थ के विवेकानुसार किया जाएगा। पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, तत्समय प्रवृत्त माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उनके कानूनी उपान्तरण इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू समझे जाएंगे।

मैसर्स.............. ....द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञप्त........ ....रेल की भूमि की अनुसूची।

उपयोग के लिए अनुज्ञप्त भूमि का रेखांक सं०.................. ....क्षेत्रफल........
....

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है

रत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

श्री ....ने,

(नाम और पदनाम)

....

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

1. ....

2. ... .

उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

अनुज्ञप्तिधारी के लिए और उसकी ओर से

श्री ....ने,

(नाम और पदनाम)

. ...

अनुज्ञप्तिधारी के लिए और उसकी ओर से

1. ....

2. ... .

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

स्टेशन को रेल-भूमि के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति

यह करार एक पक्षकार के रूप में.........................रेल प्रशासन के कार्यपालक प्राधिकारी के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "प्रशासन" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में .... (जिसे इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, जहां सन्दर्भ से अपेक्षित या उसके अनुकूल है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक या समनुदेशिती हैं) के बीच आज तारीख ....को किया गया। इसमें आगे वर्णित भूमि..... ....रेल लाइन का एक भाग है और पिछले कुछ समय से प्रशासन के अधिभोग में रही है और अनुज्ञप्तिधारी ने उक्त रेल भूमि का, इसमें आगे उपबंधित रीति से, उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए प्रशासन से आवेदन किया है और प्रशासन ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा इसमें आगे अन्तर्विष्ट निबंधनों और शर्तों पर देने के लिए सहमत हो गया है। करार के पक्षकार।

अतः इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:—

12.1. अनुज्ञप्तिधारी ... . रेल स्टेशन के ... . की ओर स्थित रेल भूमि के उस सम्पूर्ण भाग का, जो जिला .... के रजिस्ट्रीकरण उपजिला ....में स्थित है और जो इसके साथ संलग्न रेखांक में लाल सीमा रेखा से घिरा है और जिन पर सं० ....अंकित है तथा जिसकी लम्बाई लगभग ... . फुट और चौड़ाई लगभग .... फुट तथा क्षेत्रफल लगभग .... वर्गफुट है और जिसके— रेल-भूमि का उपयोग।

उत्तर में ....है

दक्षिण में................है

पूर्व में..................है

पश्चिम में................है,

उपयोग ....के प्रयोजन के लिए, इसमें आगे अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, करेगा तथा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

स्थायी संरचना का निषेध।

12.2. अनुज्ञप्तिधारी उक्त रेल भूमि या उसके किसी भाग पर कोई स्थायी या स्थायीवत् भवन या संस्थापन न तो परिनिर्मित करेगा और न ही परिनिर्मित करने देगा।

अस्थायी संरचनाएं।

12.3. अनुज्ञप्तिधारी उक्त भूमि पर, इसमें आगे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, पूर्णतः अस्थायी प्रकृति के भवन या संरचनाएं परिनिर्मित कर सकेगा और वह उक्त भूमि और परिसर को अपने व्यय पर चारों ओर से घेर कर रखेगा और बाड़ लगाएगा और इसके द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के जारी रहने के दौरान उन्हें उचित रूप से बाड़युक्त आहते में रखेगा। इस प्रकार परिनिर्मित अस्थायी भवन या संरचनाएं इसके खंड 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रशासन में निहित होंगी।

संरचनाओं के रेखांक, उत्थापन, विनिर्देश आदि

12.4. अनुज्ञप्तिधारी इसके खंड 3 के अनुसरण में किसी भवन या संरचना का परिनिर्माण आरंभ करने से पूर्व, परिनिर्मित किए जाने के लिए आशयित ऐसे अस्थायी भवन या संरचना के प्रस्तावित स्थल को निर्दिष्ट करते हुए, ...रेल, ... के मंडल इंजीनियर को लिखित रूप में सूचना देगा और वह ऐसे भवनों या संरचनाओं का विस्तृत रेखांक, उत्थापन और विनिर्देश प्रस्तुत करेगा और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे स्थल पर ही और उक्त रेखांक, उत्थापन और विनिर्देश के अनुसार ही ऐसे भवन और संरचनाएं परिनिर्मित करेगा जिनका उक्त मंडल इंजीनियर ने पहले अनुमोदन कर दिया हो। जब कभी ....रेल के जिला इंजीनियर (जिसे इसमें आगे जिला इंजीनियर कहा गया है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय उस रेल मंडल में, जिसमें उक्त भूमि और परिसर स्थित है, ...रेल के जिला इंजीनियर या कार्यकारी जिला इंजीनियर का पद धारण किए हुए है) द्वारा अपेक्षा की जाए, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे भवनों और संरचनाओं के ऐसे किसी भाग या भागों को तत्काल गिरा देगा, पुनःनिर्मित करेगा या उन्हें बदलेगा या उनकी मरम्मत करेगा जो जिला इंजीनियर के विचार में अनुचित रूप से स्थित हैं या जिनकी डिजाइन, निर्माण या सामग्री दोषपूर्ण है या जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है

अनुज्ञप्ति फीस।

12.5. अनुज्ञप्तिधारी प्रशासन को इस अनुज्ञप्ति के जारी रहने के दौरान इस करार की शर्तों के अधीन उक्त रेल भूमि के उपयोग के लिए ... .रुपए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का, जिसकी संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको उक्त रेल भूमि का कब्जा अनुज्ञप्तिधारी को सौंपा गया हो, सभी कटौतियों से मुक्त, संदाय करेगा। अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के जारी रहने के दौरान उक्त भूमि और उस पर तत्समय परिनिर्मित भवनों और संरचनाओं के संबंध में संदेय सभी उपकरों, रेटों, करों और जल प्रभारों का भी या, यदि उक्त भूमि, भवनों और संरचनाओं की बाबत करों का निर्धारण अलग से नहीं किया जाता है तो स्टेशन परिसर के सभी उपकरों, रेटों, करों और जल प्रभारों का ऐसे अनुपात में सम्यक्तः, संदाय करेगा जो स्टेशन परिसर का ऐसी भूमि, भवनों और संरचनाओं के साथ है और जो उसे सूचित किया जाता है। ऐसी सूचना देने में या ऐसे प्रभार वसूल करने में प्रशासन के सेवकों द्वारा कोई उपेक्षा या लोप किया जाता है तो उसका, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त परिसर के अधिभोग की तारीख से देय ऐसे प्रभारों की सही रकम वसूल करने के प्रशासन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खर्च और प्रभारों का संदाय।

12.6. अनुज्ञप्तिधारी मांग किए जाने पर प्रशासन को ऐसे खर्च और प्रभारों का भी संदाय करेगा जो प्रशासन राज्य के राजस्व प्राधिकारियों से पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति फीस के पुनरीक्षण के प्रयोजन के लिए उक्त परिसर का तत्समय मूल्यांकन अवधारित कराने के प्रयोजन के लिए उपगत करे और अनुज्ञप्तिधारी, मांग किए जाने पर प्रशासन को ऐसे खर्च और प्रभारों का संदाय करेगा।

प्रभार बढ़ाने का अधिकार।

12.7. प्रशासन अनुज्ञप्ति फीस या उपकरों, रेटों और जल प्रभारों को जब कभी आवश्यक हो, बढ़ा सकता है और ऐसे बढ़े हुए प्रभार, इस आशय की एक मास की सूचना के अवसान पर, यदि अनुज्ञप्तिधारी उक्त सूचना की अवधि के दौरान परिसर को खाली नहीं कर देता है तो, लागू होंगे और अनुज्ञप्तिधारी से वसूल किए जाएंगे।

प्रतिभूति निक्षेप।

12.8. अनुज्ञप्तिधारी यह करार सम्यक् रूप से पूरा किए जाने के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में एक वर्ष की अनुज्ञप्ति फीस के बराबर ... . .रुपए की राशि प्रशासन के पास जमा करेगा और उक्त निक्षेप या उसका ऐसा भाग, जो रेल को देय किन्हीं रकमों की कटौती करने के पश्चात् उपलब्ध है, इस करार के समाप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दिया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि ऐसे निक्षेप को

स करने के समय अनुज्ञप्तिधारी निक्षेप के लिए प्रशासन द्वारा दी गई मूल रसीद अभ्यर्पित करके और प्रति- के लिए सम्यक् रूप से स्टाम्पित और उसके द्वारा हस्ताक्षरित रसीद, दे दे। यदि अनुज्ञप्तिधारी मूल ीद वापस करने में असमर्थ है तो उसे ऐसा क्षतिपूर्ति बन्धपत्र देना होगा जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित और के द्वारा निष्पादित हो। उक्त निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

परिनिर्धारित नुकसानी।

12.9. यदि अनुज्ञप्तिधारी, खंड 5 के अधीन यथापेक्षित, प्रत्येक वर्ष वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का, सकी संगणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को उक्त रेल भूमि का कब्जा अनुज्ञप्तिधारी को सौंपा -हो, सभी कटौतियों से मुक्त, संदाय अग्रिम रूप से या एक मास की अनुग्रह अवधि के दौरान नहीं करेगा अनुज्ञप्तिधारी प्रतिमास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित नुकसानी का संदाय करेगा, जिसकी संगणना नियत तारीख से वास्तविक संदाय की तारीख तक इस प्रकार देय रकम पर की एगी। किन्तु यदि ऐसा संदाय अगले तीन मास की अवधि के भीतर भी नहीं किया जाता है तो प्रशासन (क) सके खंड 8 में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप समपहृत करने और (ख) रेल परिसर खाली कराने के लिए बेदखली ी कार्यवाही आरंभ करने और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वस्तुतः परिसर खाली करने की तारीख तक भी अनुज्ञप्ति फीस था ऊपर निर्दिष्ट परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने का हकदार होगा।

अन्य अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना।

12.10. अनुज्ञप्तिधारी, उक्त रेल भूमि और परिसर तथा उस पर तत्समय परिनिर्मित भवनों या रचनाओं के उपयोग और अधिभोग के लिए आवश्यक सभी अन्य अनुज्ञप्तियां (यदि कोई हैं) अपने व्यय और अपनी अनन्य जिम्मेदारी पर प्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी विनियमों और अपेक्षाओं का पालन करेगा, जो प्रशासन या कोई स्थानीय प्राधिकरण समय-समय पर विहित करे।

विशेषाधिकारों की शर्तें।

12.11. इसके खंड 1 में उल्लिखित विशेषाधिकार इस अभिव्यक्त शर्त पर दिए जाते हैं कि इसका कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी भी समय इस बावत लिखित रूप में एक कलैंडर मास की पूर्व सूचना देकर इस अनुज्ञप्ति को पर्यवसित और समाप्त कर सकेगा और प्रशासन उन विशेषाधिकारों को अनुज्ञप्तिधारी की ओर से प्रतिकर के किसी भी प्रकार के दावे के बिना समाप्त कर सकेगा और ऐसी सूचना के अवसान पर अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त रेल भूमि का उपयोग करना बंद कर देगा तथा ऐसे सभी भवन और संरचनाएं प्रशासन के सुपुर्द कर देगा जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसके खंड 3 के अनुसरण में उक्त रेल भूमि पर परिनिर्मित की गई हों और जिन्हें प्रशासन इसमें आगे उल्लिखित रूप से क्रय करना चाहे।

रेल को भवन, आदि क्रय करने का विकल्प।

12.12. पूर्वोक्त रूप में अनुज्ञप्ति की समाप्ति की सूचना दी जाने पर प्रशासन को, अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तारीख से पहले किसी भी तारीख को अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में सूचना देकर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसके खंड 3 के अनुसरण में उक्त रेल भूमि पर परिनिर्मित उक्त सभी या किसी भवन या संरचना को ल इंजीनियर द्वारा नियत की गई कीमत पर, जिस बाबत मण्डल इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम होगा करने का विकल्प होगा। यह विकल्प अनुज्ञप्तिधारी को मण्डल इंजीनियर, ... रेल, ...द्वारा सूचित किया जाएगा। उक्त भवनों और संरचनाओं में से जिन भवनों और संरचनाओं को प्रशासन क्रय नहीं करना चाहेगा उन्हें अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के एक कलैंडर मास के भीतर अपने व्यय पर गिरा देगा तथा उक्त भूमि से हटा लेगा और अनुज्ञप्तिधारी उपर्युक्त एक मास की अवधि में अपने व्यय पर रेल भूमि को, जिस पर उक्त भवन आदि परिनिर्मित है, पहले जैसी स्थिति में कर देगा और यदि इसमें व्यतिक्रम किया जाता है तो प्रशासन उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् गिराने, हटाने, पहले जैसी स्थिति में करने का उतना कार्य स्वयं कर सकेगा जितना अनुज्ञप्तिधारी पूरा करने में असफल रहता है और इस प्रकार हटाई गई सामग्री और चीजों का विक्रय कर सकेगा तथा इसके लिए उपगत सभी व्ययों और प्रशासन द्वारा समय-समय पर नियत किए गए प्रति व्यक्ति सस्ते खाद्यान्न प्रभारों और .... प्रतिशत की दर से सामान्य पर्यवेक्षण प्रभारों का, उनके लिए मांग की जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रशासन को संदाय किया जाएगा।

रेल भूमि की अभिधृति और फायदों के उपपट्टे।

12.13. इस करार की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में उक्त रेल भूमि और परिसर की बाबत अभिधृति का सृजन करती है या अनुज्ञप्तिधारी को इस अनुज्ञप्ति के फायदों को अन्तरित करने या उपपट्टे पर देने की अनुज्ञा देती है या जिला इंजीनियर को और उसके या प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को, उक्त भूमि पर और उस समय उस पर परिनिर्मित सभी भवनों और संरचनाओं पर, चाहे वे पूरे हो गए हैं या उनका निर्माण हो रहा है, सभी समयों पर अबाध पहुंच से रोकती है।

कर्मचारी की प्रतिभूति

12.14 अनुज्ञप्तिधारी सभी समयों पर प्रशासन, उसके अधिकारियों और सेवकों को, सभी प्रकार के ऐसे सभी दावों, मांगों, वादों, हानियों, नुकसानों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों मद्धे, जिनके अन्तर्गत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके संशोधनों के अधीन दावे भी हैं, जो प्रशासन, उसके अधिकारियों या सेवकों ने अनुज्ञप्तिधारी, उसके अभिकर्ताओं, सेवकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि और तत्समय उस पर परिनिर्मित भवनों या संरचनाओं या उनके किसी भाग के उपयोग किए जाने के दौरान उनकी उपेक्षा, असावधानी या किसी अन्य आचरण के कारण किसी व्यक्ति या किसी सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचने के कारण या उसके परिणामस्वरूप वहन या उपगत किए हैं या जिनका संदाय करने के लिए वे दायी हुए हैं, हानिरहित और क्षतिपूरित रखेगा तथा प्रशासन, उसके अधिकारियों और सेवकों की या उनमें से किसी की प्रतिपूर्ति करेगा।

विलेख संबंधी विधिक व्यय, स्टाम्प शुल्क आदि।

12.15. अनुज्ञप्तिधारी इस विलेख के संबंध में उपगत सभी विधिक व्यय, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण तथा अनुवाद प्रभारों और अन्य सभी खर्चों, प्रभारों और व्ययों का संदाय करेगा।

मृत्यु या दिवालिया हो जाने के परिणाम।

12.16. यदि इसके द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के जारी रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है या उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है तो यह अनुज्ञप्ति पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी के वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों अथवा अन्य विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधियों या दिवालिया अधिनिर्णीत कर दिए जाने की दशा में समनुदेशितियों का, तत्समय उक्त भूमि पर परिनिर्मित भवनों और संरचनाओं की बाबत ऐसे अधिकार को छोड़कर जो स्वयं अनुज्ञप्तिधारी को उस दशा में प्राप्त होता, जब उसे, यथास्थिति, अपनी मृत्यु या दिवालिया हो जाने के दिन इसके खंड 5 के अधीन समाप्ति की सूचना प्राप्त हुई होती, इस करार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई हित नहीं होगा.

परन्तु यह तब जब मृत्यु हो जाने की दशा में इस प्रकार का अधिकार प्रोबेट द्वारा या प्रशासन-पत्र द्वारा या अनुज्ञप्तिधारी की सम्पदा के वारिस-प्रमाणपत्र द्वारा सिद्ध कर दिया जाए (किन्तु अन्यथा नहीं), परन्तु यह और भी कि इस खंड में अन्तर्विष्ट कोई बात प्रशासन के किसी ऐसे दावे पर, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, यथास्थिति, अपने जीवनकाल में या अपनी शोधनक्षमता के दौरान इसमें अन्तर्विष्ट किसी निबंधन और शर्त के भंग के लिए या उसकी बाबत, यथास्थिति, ऐसे वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधियों या दिवाले की दशामें मके समनुदेशितियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा किया जा सकता है या क्षतिपूर्ति के किसी ऐसे अधिकार पर जो प्रशासन को इसके खंड 12 के उपबंधों के अधीन और उनके आधार पर प्राप्त है, कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसे प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

अनुज्ञप्ति समाप्त करने का अधिकार।

12.17. यदि अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के किसी उपबंध को भंग करता है या इस करार के अधीन देय किसी राशि का प्रशासन को संदाय करने में असफल रहता है तो प्रशासन अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में सूचना देकर इस अनुज्ञप्ति को तत्काल समाप्त करने का हकदार होगा और तब यह अनुज्ञप्ति पूर्णतः समाप्त और पर्यवसित हो जाएगी और फिर प्रशासन, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त भूमि पर परिनिर्मित सभी भवनों और संरचनाओं को गिराने और हटाने का तथा इस प्रकार हटाई गई सामग्री और चीजों का विक्रय करने का और विक्रय आगम को उक्त भूमि को पहले जैसी स्थिति में करने पर होने वाले व्यय तथा प्रशासन द्वारा इस निमित्त उपगत सब अन्य व्यय जिनमें प्रायिक पर्यवेक्षण प्रभार भी सम्मिलित है, करने में या उनके मद्दे, और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के भंग किए जाने के परिणामस्वरूप प्रशासन को हुई ऐसी हानि या नुकसान मद्दे उपयोजित करने का और कोई कमी, अनुज्ञप्तिधारी से मांग करके, वसूल करने का, हकदार होगा।

सूचनाएं दी जाने की रीति।

12.18. इसमें जैसा अन्यथा उपबंध है उसके अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी अन्य कार्रवाइयां उनकी ओर से मंडल इंजीनियर, ...रेल द्वारा दी या की जा सकेंगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से. . ...रेल के मंडल इंजीनियर, ...ने और ऊपर नामित . ...ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

. ...रेल के मण्डल इंजीनियर

श्री ....ने ....

1. . ... भारत के राष्ट्रपति के लिए और

2. .... उनकी ओर से मण्डल इंजीनियर,

की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किए। ... .रेल.

ऊपर नामित... ... ... .ने

1. .... अनुज्ञप्तिधारी

2. ....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

रेल स्टेशन पर साइकिल/स्कूटर स्टैंड की संविदा के लिए निविदा और करार

................रेल,

मण्डल कार्यालय,

सं०.. ...., तारीख..........

सेवा में,

....

....

विषय: रेल स्टेशन पर, संविदा की तारीख से .... के लिए, साइकिल/स्कूटर स्टैंड की संविदा के लिए निविदा।

प्रिय महोदय,

13.1. उपर्युक्त संविदा के लिए निविदा शर्तों सहित निविदा प्ररूप और करार प्ररूप संलग्न हैं। निविदा, मण्डल अधीक्षक,.....रेल, ...के पते पर भेजी जानी चाहिए और मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिस पर " ....स्टेशन पर साइकिल/स्कूटर स्टैंड के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए। **निविदा देने की रीति।**

13.2. निविदा तारीख . ...तक कार्यालय में प्राप्त की जाएगी और तारीख . .. . को .. ..बजे ....के कमरे में खोली जाएगी। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। **निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख।**

13.3. यदि निविदा के लिए अग्रिम धन के रूप में ....रुपए की राशि ... . स्टेशन पर मण्डल वेतन मास्टर के पास जमा नहीं कर दी जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा के साथ अग्रिम धन की रसीद अवश्य संलग्न करें। उन निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा जिनके साथ नकद रकम या चैक होगा। यह संपूर्ण रकम असफल निविदाकारों को वापस कर दी जाएगी। निविदा के साथ आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र भी संलग्न करें। **अग्रिम-धन जमा न किए जाने के परिणाम।**

13.4. सफल निविदाकार को नियत अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ करना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर अग्रिम धन समपहृत हो जाएगा। **कार्य-प्रारंभ।**

13.5. मण्डल अधीक्षक, ... रेल, ...किसी निविदा या सभी निविदाओं को, कोई कारण बताए बिना, अस्वीकार या न्यूनतम कोटेशन वाली किसी निविदा को स्वीकार कर सकता है। **निविदा अस्वीकार करने का अधिकार।**

भवदीय,

कृते मण्डल अधीक्षक,

. . . . .रेल,. . . . .

निविदाकारों के लिए अनुदेश

14.1. संलग्न निविदा प्ररूप में मुहरबन्द निविदा, मण्डल अधीक्षक,. . . . . . .रेल. . . . . .के पते पर, मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिस पर ". . . . . .के लिए साइकिल और स्कूटर स्टैंड संविदा के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए। वह निविदा तारीख. . . . . को अपराह्न 3 बजे तक . . . . .में मण्डल अधीक्षक के कार्यालय में रखे गए निविदा बकसे में डाली जा सकेगी या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जा सकेगी। निविदाएं तारीख. . . . . .को अपराह्न 3 बजे उन निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो वहां उपस्थित रहना चाहते हैं। **निविदा देने की रीति और स्थान।**

14.2 ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख और समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदाकार निविदाएं खोलने के लिए नियत तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए अपनी प्रस्थापना खुली रखेगा। **निविदा प्रस्तुत करने का समय।**

14.3. दरें सुपाठ्य रूप से स्याही से अंकों में और शब्दों में भी, लिखी जानी चाहिए। यदि किसी निविदा की निविदा दस्तावेजों में कुछ मिटाया जाता है या परिवर्तन किया जाता है या उपरिलेखन किया जाता है तो ऐसी निविदा अविधिमान्य घोषित की जा सकेगी। यदि निविदाकार बोली की विनिर्दिष्ट रकम का [illegible] नहीं करता है तो उसकी निविदा अस्वीकार की जा सकेगी। **निविदा सुपाठ्य होनी चाहिए।**

14.4. निविदाकारों को, संविदा की सम्यक् पूर्ति के लिए अग्रिम धन के रूप में . . . . रुपए की राशि, मण्डल वेतन मास्टर, ...रेल. . . . . के पास जमा करानी होगी। उन्हें निविदा प्ररूप के साथ उसकी रसीद संलग्न करनी चाहिए, जिसके बिना किसी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी असफल निविदाकारों को अग्रिम धन की पूरी रकम, ब्याज के बिना, रेखांकित चैक या मनीआर्डर का खर्च काटकर मनीआर्डर द्वारा, जैसे वे चाहेंगे, वापस कर दी जाएगी। यदि इस रकम को वापस करने में कोई विलम्ब होता है तो रेल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **अग्रिम-धन।**

14.5. सफल निविदाकार का अग्रिम धन, करार (प्रति संलग्न है)के निबन्धनों और शर्तों के समुचित और समाधानप्रद रूप से निष्पादन के और उनकी सम्यक् पूर्ति के लिए, उसके द्वारा संदेय प्रतिभूति निक्षेप की . . . . .रुपए की रकम, अर्थात् निविदत्त रकम की 10 प्रतिशत रकम मद्धे, प्रतिधारित रखी जाएगी और समायोजित की जाएगी। यदि निविदाकार अपनी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् उपस्थित होने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन प्रशासन को समपहृत हो जाएगा। **अग्रिम धन का समायोजन।**

14.6. **प्रतिभूति-निक्षेप**—रेल प्रशासन द्वारा यह रकम संविदा की सम्यक् और समुचित पूर्ति के लिए धारण की जाएगी। . . . . .रुपए की धनराशि नकद या वर्तमान नियमों के अनुसार विहित किसी अन्य रूप में जमा करानी होगी और वह इन नियमों या आदेशों के अधीन रहेगी। **प्रतिभूति निक्षेप।**

14.7 प्रशासन, ठेकेदार को कोई रेल पास जारी नहीं करेगा। रेल पास।

14.8. यदि निविदाकार पक्षकार कोई भागीदारी फर्म है तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति निविदा प्ररूप के साथ संलग्न होनी चाहिए। निरीक्षण करने के लिए रेल प्रशासन मूल भागीदारी विलेख मंगा सकता है। निविदाकार पक्षकार को निविदा के साथ अपनी वित्तीय स्थिति, पूर्व अनुभव और संविदा कार्य को निष्पादित करने की योग्यता के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहिए। निविदा के साथ आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि किसी निविदा के साथ ये दस्तावेजें प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। भागीदारी फर्म द्वारा निविदा।

14.9. सफल निविदाकार को एक करार निष्पादित करना होगा जिसकी एक प्रति संलग्न है। उसे संविदा कार्य प्रारम्भ करने से पहले, निविदत्त रकम के एक बटे छह भाग का संदाय भी करना होगा और शेष निविदत्त रकम का संदाय अनुज्ञप्ति की अवधि के पहले बीस मास के दौरान प्रति मास अग्रिम रूप से बीस समान किस्तों में करना होगा। निविदत्त रकम का किस्तों में संदाय।

14.10. ठेकेदार करार के निष्पादन के लिए स्टाम्प शुल्क का खर्च राज्य सरकार द्वारा नियत दर के अनुसार, वहन करेगा। करार पर स्टाम्प शुल्क।

14.11. मण्डल अधीक्षक, ...रेल, ...कोई कारण बताए बिना, किसी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार या किसी भी निविदा को स्वीकार कर सकता है। निविदा अस्वीकार करने का अधिकार।

14.12. प्रत्येक स्टेशन के लिए पृथक् निविदाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रत्येक स्टेशन के लिए पृथक् निविदा।

14.13. संविदा की अवधि संविदा प्रारम्भ होने की तारीख से . . . . .वर्ष होगी। संविदा की अवधि।

14.14. साइकिल स्टैंड के स्थल का क्षेत्रफल दर्शित करने वाला रेखांक कार्यालय में है और किसी भी कार्य-दिवस को किसी भी समय देखा जा सकता है। संविदा कर दिए जाने के पश्चात् साइकिल स्टैंड का क्षेत्रफल बढाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। रेखांक।

14.15. आवश्यकता होने पर रेल प्रशासन, निविदाकारों को बातचीत करने के लिए बुला सकता है, किन्तु निविदाकार, एक बार निविदत्त रकम को कम नहीं कर सकता है।

14.16. सफल निविदाकार को साइकिल स्टैंड का उपयोग करने वालों को जारी किए गए टोकनों पर, संलग्न करार प्ररूप के खण्ड 7 में दर्शित प्रभारों की अनुसूची, मुद्रित करानी होगी। टोकन।

14.17. करार प्ररूप के अनुबंध या शुद्धिपत्र, जब कभी आवश्यक हों, जारी किए जा सकेंगे। शुद्धिपत्र।

कृते मण्डल अधीक्षक,

. . . . .रेल, ...

सेवा में,

मण्डल अधीक्षक,

. . . . .रेल,

. . . .

विषय:. . . . . .रेल स्टेशन पर साइकिल स्कूटर/स्टैंड की संविदा के लिए निविदा

15.1. मैं/हम संलग्न करार प्ररूप में सम्मिलित निबन्धनों और शर्तों पर साइकिल/स्कूटर स्टैंड चलाने के लिए निविदा करता हूं/करते हैं। निविदा देना।

15.2. मैं/हम संविदा दिए जाने की तारीख से . . . . .वर्ष तक साइकिल/स्कूटर स्टैंड चलाने के लिए रेल प्रशासन को. . . . . .रुपए की रकम का संदाय करूंगा/करेंगे। रकम का संदाय।

15.3. मैंने/हमने ... ...रुपए की राशि मण्डल वेतन मास्टर,... ....रेल, ...के पास जमा करा दी है। रकम जमा करने का स्थान।

15.4. मैं/हम रेल प्रशासन द्वारा आवंटित स्थल पर, जहां रेल द्वारा किसी स्थायी शेड की व्यवस्था नहीं की गई है, अपनी लागत पर साइकिल/स्कूटर स्टैंड का (जिसके अन्तर्गत शेड भी है) निर्माण करूंगा/करेंगे। साइकिल स्टैंड।

15.5. आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न है। आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र।

निविदाकार के हस्ताक्षर

... .

पता. . .....

.......स्टेशन पर साइकिल/स्कूटर स्टैंड के लिए करार

....रेल

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो .. ..रेल प्रशासन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसमें आगे रेल प्रशासन कहा गया है और इसके अन्तर्गत, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल नहीं है, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में..... ., जो ....के माध्यम से कार्य कर रहा है (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है और इसके अन्तर्गत, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल नहीं है, उसके वारिस और उत्तरवर्ती भी हैं) के बीच आज तारीख . ...को किया गया और निम्नलिखित का साक्षी है:— करार के पक्षकार।

16.1. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रेल प्रशासन को ....रुपए की एकमुश्त धनराशि के संदाय के प्रतिफलस्वरूप, जिसका एक बटा छह भाग संविदा प्रारम्भ होने से पहले अग्रिम रूप से दिया जाएगा और शेष रकम का संदाय .... से प्रारम्भ करके प्रति मास अग्रिम रूप से संदेय बीस समान किस्तों में किया जाएगा, अनुज्ञप्तिधारी को ....रेल स्टेशन पर इसमें आगे अन्तर्विष्ट निबन्धनों और शर्तों पर साइकिलों को रखने और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए साइकिल स्टैंड का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी जाएगी। एकमुश्त राशि के संदाय पर साइकिल स्टैंड का प्रयोग।

16.2. इस करार के प्रयोजन के लिए, जब तक विषय या संदर्भ से कोई प्रतिकूल आशय न निकलता हो, साइकिल स्टैंड पद के अन्तर्गत .... माप वाला वह स्थान है जो इस समय उक्त स्टेशन पर साइकिल स्टैंड का विद्यमान स्थल है। किन्तु, आवश्यकतानुसार रेल प्रशासन, कोई कारण बताए बिना, उक्त भूमि के अवस्थान और माप को बदल सकता है और इस लेखे अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर मंजूर नहीं किया जाएगा। साइकिल स्टैंड की परिभाषा।

16.3. अनुज्ञप्तिधारी उक्त साइकिल स्टैंड का प्रयोग यात्रियों, स्टेशन पर आने वाले व्यक्तियों, पुलिस, रेल डाक सेवा, और रेल पदधारियों की साइकिलों, आटो साइकिलों, स्कूटरों और मोटर साइकिलों को रखने तथा उनकी सुरक्षित अभिरक्षा करने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। वह उसको साफ-सुथरा और सुसज्जित भी रखेगा और वह उपर्युक्त खण्ड 2 में दर्शित की गई भूमि से अधिक भूमि पर दखल नहीं करेगा। साइकिल स्टैंड का प्रयोग।

16.3क. यदि अनुज्ञप्तिधारी साइकिल स्टैंड के लिए आवंटित भूमि से भिन्न किसी रेल भूमि का अधिक्रमण करता है तो वह अनुज्ञप्ति-करार के निबन्धनों का भंग होगा, और परिणामस्वरूप रेल प्रशासन अनुज्ञप्ति को तत्काल समाप्त करने और अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने का हकदार होगा। उस दशा में अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे अधिक्रमण की तारीख से, अधिक्रमण की गई भूमि खाली करके उसका कब्जा रेल प्रशासन को सौंपने की तारीख तक के लिए ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के बारह प्रतिशत की दर से रेल प्रशासन को नुकसानी का संदाय करने का भी दायी होगा। रेल भूमि का अधिक्रमण।

16.4. अनुज्ञप्तिधारी सभी प्रकार के ऐसे रेटों, करों और निर्धारणों का संदाय करेगा जो उक्त साइकिल स्टैंड की बाबत सरकार या नगरपालिका को संदेय है या इसके पश्चात् संदेय होते हैं। रेटों, करों और निर्धारणों का संदाय।

16.5. अनुज्ञप्तिधारी उक्त साइकिल स्टैंड में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा और अपने अधिभोग में के रेल परिसरों या अपने भारसाधन या अधिभोग में की अन्य रेल सम्पत्ति को होने वाले नुकसान के लिए प्रत्यक्षतः जिम्मेदार होगा। यदि ऐसा नुकसान अनुज्ञप्तिधारी या उसके अभिकर्ताओं या सेवकों की त्रुटि, उपेक्षा या लापरवाही के कारण होता है तो वह ऐसे नुकसान की कीमत का अनुज्ञापक को या मण्डल अधीक्षक .. . .द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ....रेल के किसी अन्य अधिकारी को संदाय करने के लिए दायी होगा। इस संबंध में किसी भी प्रश्न पर मण्डल अधीक्षक का विनिश्चय अन्तिम होगा, चाहे ऐसा प्रश्न अनुज्ञप्तिधारी के दायित्व के संबंध में हो या उसके द्वारा संदाय की जाने वाली नुकसान की रकम के संबंध में हो। साइकिल स्टैंड में परिवर्धन या परिवर्तन।

16.6. पूर्वोक्त रकम के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी स्टेशन मास्टर ....के माध्यम से रेल प्रशासन को विद्युत संस्थापना प्रभार, मीटर के लिए किराया, और उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा के लिए प्रभारों का भी संदाय करेगा। यह संदाय उस मास से, जिससे वह संबंधित है, अगले मास की तीन तारीख तक कर दिया जाएगा। प्रभारों का संदाय।

16.7. साइकिल स्टैंड दिन-रात खुला रहेगा और अनुज्ञप्तिधारी साइकिल स्टैंड पर रखी गई साइकिलों, आटो साइकिलों, स्कूटरों और मोटर साइकिलों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रभार वसूल करेगा:— प्रभार की दरें।

	प्रति साइकिल	प्रति आटो साइकिल, स्कूटर या मोटर साइकिल
(क) 4 घंटे तक की अवधि के लिए	........पैसे	.........पैसे
(ख) 4 घंटे से अधिक किंतु 24 घंटे तक	.........पैसे	.........पैसे
(ग) बाद के हर 24 घंटे या उसके भाग के लिए	.........पैसे	..... पैसे
(घ) साइकिल, आटो साइकिल, स्कूटर या मोटर साइकिल के लिए मासिक रियायती दरें निम्नलिखित होंगी--		
(1) जनता से	.....रुपए	.... रुपए
(2) रेल कर्मचारियों से, इस बात का विचार किए बिना कि वे उस स्टेशन पर जहां साइकिल स्टैंड की व्यवस्था है, कार्य करते हैं या नहीं और रेल डाक सेवा कर्मचारियों से	.. ..रुपए	.........रुपए
(3) दूध वालों से	........रुपए	.. .... रुपए

इस खंड में दर्शित प्रभार साइकिल / स्कूटर स्टैंड का उपयोग करने वालों को प्रदाय किए जाने वाले कूपनों के मुख भाग पर मुद्रित कराए जाएंगे। इस शर्त की अवहेलना को करार का भंग माना जाएगा।

16.8. अनुज्ञप्तिधारी उपर्युक्त खंड 7 में दर्शित प्राधिकृत प्रभार दर्शित करने वाला एक ब्लैक बोर्ड सहज दृश्य स्थान पर लगाएगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार का कोई अन्य बोर्ड रे प्रशासन का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, नहीं लगाएगा। प्रभार दर्शित करने के लिए ब्लैक बोर्ड।

16.9. (i) ठेकेदार इस संविदा के निबन्धनों और शर्तों की सम्यक् पूर्ति के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में————रुपए नकद या अनुज्ञापक द्वारा विहित किसी अन्य रूप में जमा करेगा। उस पर रेल प्रशासन द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। प्रतिभूति निक्षेप।

16.9. (ii) (क) अनुज्ञप्तिधारी अदावाकृत साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल, उसकी अभिरक्षा में छोड़े जाने की तारीख से चार दिन के भीतर, निकटतम सरकारी रेल पुलिस स्टेशन को सौंप देगा। अदावाकृत मोटर स्कूटर/मोटर साइकिलें।

दावों का संदाय।

16.9(ii) (ख) अनुज्ञप्तिधारी उन सभी दावों के लिए प्रत्यक्षतः जिम्मेदार होगा जो किसी साइकिल/आटो साइकिल/स्कूटर या मोटर साइकिल के स्वामी द्वारा, उसके यान को हुई हानि या नुकसान के कारण, अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध किए जाएं। यदि रेल प्रशासन ऐसे किन्हीं दावों के लिए संदाय करता है तो उसे इस प्रकार संदाय की गई रकम या उसके संबंध में उठाई गई कोई हानि या नुकसान, उपर्युक्त उपखंड (i) में उल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप से वसूल करने या उसकी प्रतिपूर्ति कराने का अधिकार होगा। उस दशा में, ठेकेदार को ऐसी वसूली के एक मास के भीतर प्रतिभूति की रकम की पूर्ति करनी होगी।

हानि या नुकसान के लिए संदाय करने में असफलता के परिणाम।

16.9(iii) यदि ठेकेदार, साइकिल/आटो साइकिल/स्कूटर या मोटर साइकिल को उसकी अभिरक्षा में रहने के दौरान हुई हानि या नुकसान के पूरे मूल्य का संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता को करार के निबन्धनों और शर्तों का भंग माना जाएगा और परिणामस्वरूप संविदा समाप्त की जा सकेगी तथा प्रतिभूति की रकम समपहृत की जा सकेगी।

प्रतिपूर्ति।

16.10. अनुज्ञप्तिधारी सभी समयों पर अनुज्ञापक को सभी प्रकार के ऐसे दावों, मांगों, वादों, नुकसानियों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों से क्षतिपूरित रखेगा और उनकी प्रतिपूर्ति करेगा, जो अनुज्ञापक को उस कारबार के संचालन में, जिसके प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, अनुज्ञप्तिधारी, उसके सेवकों या कर्मचारियों के किसी कार्य या लोप के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को पहुंची क्षति के कारण या परिणामस्वरूप उठाने या उपगत करने पड़ें।

विशेषाधिकारों का उपपट्टे पर न दिया जाना।

16.11 अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के अधीन किसी विशेषाधिकार, स्थान और भूमि या उसके किसी भाग को उपपट्टे पर नहीं देगा या उसका समनुदेशन अथवा अन्तरण नहीं करेगा।

क्षतिपूर्ति।

16.12. अनुज्ञप्तिधारी सभी समयों पर अनुज्ञापक की उन सभी दावों सद्धे क्षतिपूर्ति करेगा जो अनुज्ञप्तिधारी के नियोजन में और इस अनुज्ञप्ति से संबंधित कारबार के निष्पादन में लगे हुए किसी कर्मकार, श्रमिक, सेवक या किसी व्यक्ति के साथ हुई किसी दुर्घटना या उसे पहुंची किसी क्षति के परिणामस्वरूप संदेय नुकसानी या प्रतिकर के लिए या उसकी बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके किसी कानूनी उपान्तरण या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन या अन्यथा किए जाएं और ऐसे कर्मकार, श्रमिक या सेवक के साथ हुई ऐसी दुर्घटना या ऐसे नुकसान की, जिसके कारण उक्त कारबार का निष्पादन नहीं हो पाता है, सब जोखिम उठाएगा।

अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी।

16.13 अनुज्ञप्तिधारी, अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों की बाबत, मजदूरी संदाय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और उक्त कानून की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफलता या लोप के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उद्भूत होने वाली हानियों, नुकसानों या दावों से अनुज्ञापक को क्षतिपूरित रखेगा।

बालक नियोजन अधिनियम का पालन

16.14. अनुज्ञप्तिधारी बालक नियोजन अधिनियम, 1938 या उसके किसी कानूनी उपान्तरण और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

करार की अवधि।

16.15. (क) यह करार तारीख——————————से प्रारम्भ होकर——————————वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दो मास की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा।

संदाय बकाया रहने पर करार की समाप्ति।

16.15(ख) यदि इसमें इससे पहले आरक्षित सभी या कोई संदाय पन्द्रह दिन की अवधि तक बकाया रहते है/रहे, चाहे उनकी/उसकी विधिक रूप से मांग की गई हो या नहीं, तो रेल प्रशासन, कोई सूचना दिए बिना और किसी भी प्रकार के प्रतिकर के संदाय के लिए दायी हुए बिना, इस करार को तुरन्त समाप्त कर सकेगा और पूर्वोक्त संविदा किसी भी रीति से और किन्हीं भी निबन्धनों पर, जो वह ठीक समझे, किसी अन्य पक्षकार को दे सकेगा, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी इस संविदा के पुनः आवंटन से रेल प्रशासन को हुई किसी हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा और यदि पुनः आवंटन द्वारा रेल प्रशासन इस करार के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय रकम से अधिक रकम वसूल करता है तो अनुज्ञप्तिधारी का उसके लिए कोई भी दावा नहीं होगा।

18—2 M of L & J/85

निबंधनों और शर्तों का भंग, अननुपालन के परिणाम।

16.15 (ग) यदि इसके उन सभी या किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का, जिनकी सम्यक् पूर्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी ने————————रुपए की प्रतिभूति जमा की है, कोई भंग या अननुपालन किया जाता है अथवा संविदा के कार्यकरण के संबंध में कोई अनियमितता बरती जाती है तो ऐसे मामलों में अनुज्ञप्तिधारी अन्य देय रकमों तथा शास्तियों के अतिरिक्त, जो किन्हीं अन्य विद्यमान नियमों के अधीन उद्ग्रहणीय हैं, नियम के प्रत्येक भंग या प्रत्येक अनियमितता के लिए अधिक से अधिक————————रुपए तक का संदाय करने के लिए दायी होगा। इस सम्बन्ध में मण्डल अधीक्षक————————रेल,————————का विनिश्चय अन्तिम माना जाएगा।

करार की समय-पूर्व समाप्ति।

16.16. यदि इसके खंड 15 के निबन्धनों के अनुसार यह करार समय-पूर्व समाप्त कर दिया जाता है तो इस करार के निबन्धनों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञापक को किए गए सभी संदाय और इसमें इसके पूर्व उल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप अनुज्ञापक को समपहृत हो जाएंगे और अनुज्ञप्तिधारी का उनके लिए कोई दावा नहीं होगा।

अनुज्ञप्ति की समाप्ति के परिणाम।

16.17. अनुज्ञप्ति के अवसान पर या समय-पूर्व उसके समाप्त कर दिए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी कोई आपत्ति या विरोध किए बिना वहां से तत्काल अपना सामान हटा लेगा और उक्त साइकिल स्टैंड, उसकी मूल स्थिति में, अनुज्ञापक को वापस कर देगा।

करार में परिवर्तन।

16.18. जैसा कि इसमें अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस करार या इसके किसी निबन्धन को परित्यक्त, परिवर्तित या अनुपूरित करने वाला मौखिक या लिखित करार सशर्त होगा और अनुज्ञापक पर तब तक आबद्धकर नहीं होगा जब तक कि वह इस करार में पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता या वह किसी प्ररूपिक लिखत में समाविष्ट नहीं कर लिया जाता और उस पर इस करार के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते और तब तक अनुज्ञापक को ऐसे करार को निराकृत करने का अधिकार होगा।

स्टाम्प खर्च।

16.19. इस करार के लिए स्टाम्प का खर्च अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

सूचनाएं देने की रीति।

16.20. इस संविदा में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली सब सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्यवाइयां उनकी ओर से मण्डल अधीक्षक,————————रेल,————————द्वारा दी या की जा सकेंगी।

पुलिस द्वारा सत्यापन।

16.21. अनुज्ञप्तिधारी किसी अवयस्क या बुरे शील वाले व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा और वह अपने द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के शील को अपने खर्च पर पुलिस द्वारा सत्यापित कराएगा।

स्थापनों, ठोकनों और रजिस्टरों को व्यवस्था।

16.22. अनुज्ञप्तिधारी अपने व्यय पर ऐसे स्थापन, टोकनों और रजिस्टरों की व्यवस्था करेगा जो वचन-बन्ध के सुरक्षित तथा कुशल पालन के लिए आवश्यक हों।

कर्मचारियों की पोशाक।

16.23. अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी सदैव साफ-सुथरे कपड़े पहनेंगे। प्रत्येक कर्मचारी खाकी ड्रिल का कोट और पगड़ी या टोपी पहनेगा और अपने बाएं बाजू पर बैज लगाएगा। बैजों का प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी, अपने खर्च पर करेगा।

माध्यस्थम् खण्ड।

16.24. इस करार के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक विवाद या मतभेद (जिसके लिए इस करार में उपबन्ध नहीं है) मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक,————————रेल के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए या, यदि वह कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है तो उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक या इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति का विनिश्चय, भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम, निश्चायक और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस प्रकार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ, माध्यस्थम् के लिए निर्देशित सभी विषयों पर, विवाद की प्रत्येक मद के लिए अधिनिर्णीत अलग-अलग रकम उपदर्शित करते हुए, अपना अधिनिर्णय देगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, इस विलेख के पक्षकारों ने इसमें आगे उल्लिखित तारीख और स्थान पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री—————— मण्डल अधीक्षक ने हस्ताक्षर किए।

श्री—————————— ने तारीख—————————

को——————————(स्थान) में हस्ताक्षर करके परिदान किया।

मण्डल अधीक्षक ———
रेल —————
अनुज्ञप्तिधारी/साइकिल स्टैंड ठेकेदार।

साक्षी –
1 श्री ————
2 श्री————

जलपान-गृह / उपाहारगृह के लिए करार

उद्देशिका

यह करार, एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "रेल प्रशासन" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं), और दूसरे पक्षकार के रूप में,

(क)——————————, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और निर्मित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय——————————————में है (जिसे इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है) (पूरा पता)

(ख) श्री——————————, जो श्री——————————का पुत्र है और ——————————————(पूरा पता) में——————————के नाम और अभिनाम से कारबार कर रहा है (जिसे इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है)

(ग) (1)——————————(2)——————————(3)—————————— (4)——————————(5)——————————(6)—————————— ——————————जो सब——————————————के फर्म नाम और अभिनाम से——————————(पूरा पता) ——————————में भागीदार में कारबार कर रहे हैं (जिन्हें इस में आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है)

के बीच आज तारीख-——————————को किया गया।

संविदा चलाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकरण।

17.1. रेल प्रशासन इस करार के जारी रहने के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी को——————————स्टेशन पर स्थित शाकाहारी/मांसाहारी जलपान-गृह/उपाहारगृह तथा उससे संलग्न या संबद्ध रसोई घरों, गोदामों और अन्य कार्यालयों का (जिन्हें इसमें आगे सामूहिक रूप में "उक्त परिसर" कहा गया है) उपयोग और अधिभोग करने की अनुज्ञा देगा।

नुकसान के लिए अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी और दायित्व।

17.2. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर को अपने भारसाधन में लेगा और अपने अधिभोग में के उक्त परिसर को अथवा अपने भारसाधन या अधिभोग में की किसी रेल सम्पत्ति को हुए किसी नुकसान के लिए उस दशा में जिम्मेदार होगा जब, रेल प्रशासन की राय में, ऐसा नुकसान अनुज्ञप्तिधारी या उसके अभिकर्ता या सेवकों की उपेक्षा या असावधानी या किसी त्रुटि के कारण हुआ है, और वह रेल प्रशासन के मंडल इंजीनियर या इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, जिनका इस संबंध में किसी भी प्रश्न की बाबत विनिश्चय अन्तिम और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होगा, रेल प्रशासन को ऐसे नुकसान की कीमत का संदाय करने के लिए दायी होगा।

17.3. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर और भोजन बनाने के बर्तनों तथा मेज उपस्कर को रेल प्रशासन के समाधानप्रद रूप में साफ और स्वच्छ हालत में रखेगा और रेल प्रशासन के सब अधिकारियों तथा रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए सब व्यक्तियों को, उस स्थान का निरीक्षण करने के लिए कोई आक्षेप के बिना, हर उचित समय पर, आने देगा। यदि रेल अधिकारियों द्वारा किसी विसंक्रामण के आदेश दिए जाते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी अपने खर्च पर रेल प्रशासन के समाधानप्रद रूप में विसंक्रमण करेगा। **परिसर की सफाई।**

17.3क. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर के परिवेश को साफ और स्वच्छ हालत में रखेगा और उक्त परिसर के बाहर बर्तनों की धुलाई नहीं की जाएगी।

17.4. अनुज्ञप्तिधारी या उसका कोई सेवक, रेल प्रशासन के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त परिसर में किसी भी प्रकार या किस्म की कुटीर या संरचनाएं परिनिर्मित नहीं करेगा। यदि किन्हीं संरचनाओं के परिनिर्माण की अनुज्ञा दी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी उसका परिनिर्माण स्वयं अपने खर्च पर और रेल प्रशासन के समाधानप्रद रूप में करेगा और अपेक्षा की जाने पर तुरंत और हर हालत में करार के समाप्त हो जाने पर उन्हें अपने खर्च पर तत्काल गिरा देगा और रेल प्रशासन संरचनाएं गिराने के संबंध में हर प्रकार के दायित्वों से मुक्त रहेगा और उससे अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी प्रकार के प्रतिकर का कोई अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगा। **परिसर पर संरचनाएं परिनिर्मित करना।**

17.5. अनुज्ञप्तिधारी सब फर्नीचर, फिक्सचरों, प्लेटों, मेज लिनन, छुरी-कांटों, क्राकरी, गिलासों, मेजपोशों और साज-सामान, भोजन बनाने के बर्तनों, खाना पकाने के स्टोवों, जालीदार केसों या ड्रमों, जालीदार ढक्कनों और ईंधन तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त परिसर में किए जाने वाले पूर्वोक्त कारबार के संबंध में उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक, अपेक्षित और उपयुक्त अन्य वस्तुओं, उपकरणों तथा उपस्करों की अपने व्यय पर व्यवस्था करेगा और वे ऐसी क्वालिटी, डिजाइन और कारीगारी के तथा इतनी मात्रा में होंगे, जो रेल प्रशासन द्वारा अनुमोदित की जाएं। अनुज्ञप्तिधारी ऊपर उल्लिखित वस्तुओं में से उन वस्तुओं को बदलेगा और उनकी पूर्ति करता रहेगा, जो रेल प्रशासन समय-समय पर आवश्यक समझे, और वह उन्हें सदैव साफ, स्वच्छ और सुव्यवस्थित हालत में बनाए रखेगा। **परिसर को सुसज्जित करना।**

17.6. अनुज्ञप्तिधारी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत और सक्षम ऐसा प्रबन्धक, जिसे अनुज्ञप्तिधारी ही नियुक्त करे, और जो अनुज्ञप्तिधारी से ही वेतन प्राप्त करे, इस करार के उपबन्धों के अधीन किए जाने वाले कारबार का प्रबन्ध और पर्यवेक्षण करने के लिए तथा इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस करार के अधीन अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यताओं का सम्यक् रूप से पालन और अनुपालन किया जाए स्वयं उप-[illegible] रहेगा। **पर्यवेक्षण और प्रबन्ध।**

17.7 अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रबन्धक अस्वस्थता या किसी अन्य अप्रत्याशित कारण से विक्रय करने या कार्य का पर्यवेक्षण करने में अपनी या अपने में से किसी की अस्थायी असमर्थता की दशा में, रेल प्रशासन के पूर्व अनुमोदन से अस्थायी इंतजाम करके यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों को सामान मिलता रहे। **अस्थायी असमर्थता की दशा में सामान का मिलना जारी रहना।**

17.8. अनुज्ञप्तिधारी इस करार के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए ऐसे सेवकों की व्यवस्था करेगा जो सुशील, योग्य, शिष्ट और अपने कारबार में कुशल तथा रेल प्रशासन द्वारा अनुमोदित होंगे। अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवक ऐसी वर्दियां पहनेंगे और धातु के बिल्ले लगाएंगे जो रेल प्रशासन द्वारा अनुमोदित किए जाएं। वर्दियों और धातु के बिल्लों की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च पर की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे कर्मचारी को सेवोन्मुक्त कर देगा, जो, रेल प्रशासन की राय में, अवचार करता है या जो उक्त परिसर में किए जाने वाले कारबार के प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से अयोग्य या अनुपयुक्त है। **सेवकों का नियोजन और उनकी वर्दियां।**

17.9 अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा नियोजित कर्मकारों को उचित मजदूरी से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा। उचित मजदूरी वह मजदूरी है जो आसपास में उसी प्रकार के कार्य के लिए दी जा रही है, और अन्यथा भी वह इस करार के अधीन अपने द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों को मजदूरी का संदाय करने के संबंध में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 या उसके किसी कानूनी उपान्तर या उसकी पुनः अधिनियमिति या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा और रेल प्रशासन को किसी भी ऐसे दावे से जो उसके द्वारा **नियोजित कर्मकारों को उचित मजदूरी का संदाय।**

नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से उक्त अधिनियम के अधीन किया जाए, तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अपनी किसी बाध्यता को भंग किए जाने या उसका पालन न किए जाने के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा किए गए किसी आवेदन की बाबत तथा ऐसे किसी दावे या आवेदन के संबंध में रेल प्रशासन द्वारा उपगत खर्चों मद्धे रेल प्रशासन की क्षतिपूर्ति करेगा। यदि इस करार के निबंधनों के अनुपालन में, अनुज्ञप्तिधारी किन्हीं श्रमिकों का प्रदाय करता है, जिनका उपयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य के संबंध में या अन्यथा रेल प्रशासन के प्रयोजन के लिए पूर्णत: या भागत: रेल प्रशासन के सीधे आदेशों और नियंत्रण के अधीन किया जाता है, तो ऐसे श्रमिकों को इस खंड के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित व्यक्ति समझा जाएगा। यदि किसी पूर्वोक्त दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप किन्हीं धनराशियों का रेल प्रशासन द्वारा संदाय किए जाने का आदेश दिया जाता है तो ऐसी धनराशियां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रेल प्रशासन को संदेय धनराशियां समझी जाएंगी और यदि अनुज्ञप्तिधारी रेल प्रशासन द्वारा पूर्वोक्त रूप में संदत्त किन्हीं धनराशियों का, मांग की जाने के पश्चात् सात दिन के भीतर रेल प्रशासन को प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है, तो रेल प्रशासन को ऐसी धनराशियां अनुज्ञप्तिधारी से वसूल करने का हक होगा।

अनुज्ञप्तिधारी ऐसे संदायों आदि का समुचित अभिलेख रखेगा और रेल प्रशासन को प्रतिमास यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने ऐसा कर दिया है। रेल प्रशासन या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा।

यदि रेल की राय में (जो अंतिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगी) अनुज्ञप्तिधारी, इस संबंध में सम्यक् सूचना दिए जाने के पश्चात् भी, उपर्युक्त शर्त के अनुरूप कार्य नहीं करता रहा है तो रेल प्रशासन को अनुज्ञप्ति समाप्त करने का अधिकार होगा।

17.10 अनुज्ञप्तिधारी सभी समयों पर बालक नियोजन अधिनियम, 1938 (1938 का 26) और उसकी किसी पुन: अधिनियमिति या उसके उपान्तरण के उपबंधों का सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और इस करार के उपबंधों के प्रयोजन के लिए या उनके अधीन कोई कार्य करने के लिए, किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित या अनुज्ञात नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी करार करता है/करते हैं कि वह/वे ऐसे सभी दावों और शास्तियों मद्धे रेल प्रशासन की क्षतिपूर्ति करेगा/करेंगे/ जिनका भुगतान, रेल प्रशासन या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को, बालक नियोजन अधिनियम, 1938 (1938 का 26) या उसकी किसी पुन: अधिनियमिति या उसके किसी उपान्तरण के उपबंध का सम्यक् रूप से पालन और [illegible]दन करने में अनुज्ञप्तिधारी के किसी व्यतिक्रम के कारण, करना पड़ता है। **बालक नियोजन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की जिम्मेदारी।**

17.11 अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में नियोजन के घंटों से संबंधित विनियमों के उपबंधों का, समुचित प्राधिकारियों द्वारा विनिश्चित की गई रीति से, अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है। **नियोजन के घंटों से संबंधित विनियमों का अनुपालन।**

17.12 अनुज्ञप्तिधारी सभी समयों पर रेल प्रशासन की ऐसे सभी दावों मद्धे क्षतिपूर्ति करेगा, जो अनुज्ञप्तिधारी को या ऐसे कर्मकारों, श्रमिकों, सेवकों अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो अनुज्ञप्तिधारी के नियोजन में है, और इस अनुज्ञप्ति से संबंधित कारबार करने में लगे हुए हैं, हुई किसी दुर्घटना या क्षति के परिणामस्वरूप संदेय किसी नुकसानी या प्रतिकर के लिए या उसकी बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके किसी कानूनी उपान्तरण या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन या अन्यथा किए जाएं। अनुज्ञप्तिधारी सभी समयों पर किसी कर्मकार, श्रमिक या सेवक को होने वाली दुर्घटना या ऐसी दुर्घटना से होने वाली क्षति की, जिसके कारण उक्त कारबार बंद हो गया हो, और उसके संबंध में रेल प्रशासन द्वारा उपगत सभी खर्चों और व्ययों की, संपूर्ण जोखिम भी उठाएगा और (वसूली के किन्हीं अन्य साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) रेल प्रशासन, इस करार या किसी अन्य करार के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को देय या देय होने वाली किसी धनराशि में से ऐसी सभी धनराशियां काटने का हकदार होगा जिनका पूर्वोक्त प्रतिकर के रूप में या उसके किसी दावे से संबंधित खर्चों या व्ययों के लिए रेल प्रशासन द्वारा संदाय किया गया हो या जो संदेय हों और अनुज्ञप्तिधारी इस खंड के उपबंध के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदेय राशि के बारे में रेल प्रशासन के विनिश्चय का पालन करेगा **कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन या अन्यथा दायित्व।**

अस्पृश्यता अधिनियम का अनुपालन।

17.12क अनुज्ञप्तिधारी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें दिए गए उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाता है। उक्त अधिनियम के उपबंधों की कोई अवहेलना की जाने पर उक्त करार को समाप्त कर दिया जाएगा।

हाजिरी रजिस्टर रखना।

17.13 अनुज्ञप्तिधारी अपने लिए या अपने सम्यक् रूप से अनुमोदित प्रबंधक और अपने कर्मचारियों के लिए हाजिरी रजिस्टर रखेगा, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की (जिसमें वह स्वयं या सम्यक् रूप से अनुमोदित प्रबंधक भी सम्मिलित है) दैनिक हाजिरी, उसके नाम से, अंकित की जाएगी। यह रजिस्टर स्टेशन मास्टर और रेल प्रशासन के किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

नियोजित व्यक्तियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन।

17.14 अनुज्ञप्तिधारी किसी बुरे शील वाले व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को किसी भी हैसियत में नियोजित नहीं करेगा जिसके पूर्ववृत्त का पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अन्वेषण नहीं कर लिया गया है।

स्वास्थ्य परीक्षा।

17.15 यदि अनुज्ञप्तिधारी ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है तो वह स्वास्थ्य परीक्षा के लिए रेल मुख्य/मंडल चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के समक्ष उपस्थित होगा और नियुक्ति से पहले प्रत्येक सेवक को भी, स्वास्थ्य परीक्षा के लिए रेल मुख्य/मंडल चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के पास भेजेगा और नियुक्ति के पश्चात् नियमित अन्तरालों पर, जो समय-समय पर प्रशासन द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्रत्येक सेवक को नियतकालिक पुनः स्वास्थ्य परीक्षा के लिए भेजेगा। यदि वह ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है तो वह स्वयं भी उन्हीं अन्तरालों पर स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उपस्थित होगा। ऐसी परीक्षा के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी अपने सेवकों को निम्नलिखित दशा में पुनः स्वास्थ्य परीक्षा के लिए भेजेगा :—

(i) प्रशासन द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित "लम्बे समय तक अनुपस्थिति या लम्बे समय तक बीमारी" के पश्चात् काम पर लौटने की अनुज्ञा दिए जाने से पूर्व, और

(ii) कोई चर्म रोग या चर्म पर कोई संदिग्ध पित्तिका प्रकट होने पर।

उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन करने में अनुज्ञप्तिधारी की असफलता को करार के निबंधनों का भंग माना जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी उसका परिणाम भुगतने के लिए दायी होगा।

कर्मचारियों को स्क्रीनिंग या एक्स-रे।

17.15क. अनुज्ञप्तिधारी यह भी करार करता है कि वह अपने ऐसे सब कर्मचारियों का, जो खाद्य-पदार्थों को उठाते-धरते हैं, अपने खर्च पर राज्य सरकार के किसी केन्द्र में स्क्रीनिंग या एक्स-रे करवाएगा और उनको प्रथम नियुक्ति के समय इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करेगा और तत्पश्चात् समय-समय पर उनकी वार्षिक पुनः परीक्षा कराएगा।

खाद्य वस्तुओं का निरीक्षण।

17.15ख. अनुज्ञप्तिधारी यह करार करता है कि रेल प्रशासन का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई चिकित्सा परिचारक सभी खाद्य वस्तुओं का निरीक्षण करने और यदि वे अस्वास्थ्यकर या बासी या मानव उपभोग के लिए अन्यथा अनुपयुक्त प्रतीत होती हैं, तो उन्हें अस्वीकार करने, का हकदार होगा।

यात्रियों की आवश्यकताओं पर तत्परता से ध्यान देना।

17.16 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी, यात्रियों की आवश्यकताओं की ओर तत्परता से ध्यान देते हैं और वे स्वच्छ और सुसज्जित रहते हैं और उक्त परिसर का उपयोग करने के लिए आने वाले यात्रियों से शिष्टता और नम्रता से व्यवहार करते हैं।

महिला यात्रियो के लिए सुविधा।

17.16क. अनुज्ञप्तिधारी करार करता है कि जलपान गृह में लगे हुए बैरे यात्रियों, विशेष-कर महिला डिब्बों में यात्रा कर रही महिला यात्रियों की, रेलगाड़ियों में भोजन, आदि की मांग पूरी करेंगे।

ड्यूटी के दौरान मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिषेध।

17.17 अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्रबंधक और कर्मचारी ड्यूटी के दौरान किसी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेंगे।

सद्भाविक ग्राहकों का, परिसर में जाने के उनके अधिकार से, वंचित न किया जाना।

17.18 अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर को यात्रियों और जनता के उपयोग और फायदे के लिए खुला रखेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त परिसर का प्रतीक्षालयों के रूप में उपयोग न किया जाए।

17.19 अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर में ऐसे समयों पर भोजन और जलपान की व्यवस्था करेगा जो रेल-गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक हों और जिनकी रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अन्यथा अपेक्षा की जाए। काम के घंटे।

17.20 अनुज्ञप्तिधारी इस करार के चालू रहने के दौरान, उक्त परिसर में रेल प्रशासन की रेलों पर यात्रा करने वाली शाकाहारी/मांसाहारी जनता की और उन सभी अन्य व्यक्तियों की जो उक्त स्टेशन पर हों, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त खाद्य, पेय और जलपान की वस्तुओं के मेसमैन और खाने-पीने की सामग्री जुटाने वाले का कारबार और व्यवसाय चलाएगा। अनुज्ञप्तिधारी उन यात्रियों की सुविधा के लिए जो छुरी, कांटे, आदि की सहायता से भोजन करने की पद्धति को पसंद करते हैं, छुरी कांटे, आदि के तथा विभिन्न रुचियों के अनुरूप विशेष पकवानों के प्रदाय किए जाने की भी व्यवस्था करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाने वाली सेवाएं।

17.21. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर में डिब्बा बंद या अन्य प्रकार के पके हुए या कच्चे गोमांस का या गोमांस के किसी अन्य भाग, बेकन, हैम या शूकर मांस का विक्रय नहीं करेगा और न उसे लाएगा। गोमांस, शूकर मांस आदि पर निर्बंधन।

अनुज्ञप्तिधारी शाकाहारी जलपान गृह में मछली, मांस या अंडे अथवा किसी भी रूप या प्रकार के उसके उत्पाद न तो परोसेगा, न पकाएगा और न उनका उपयोग ही करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि शाकाहारी जलपान गृह के भोजन बनाने के पात्रों और अन्य बर्तनों को इन वस्तुओं को पकाने या उठाने-धरने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। यह केवल शाकाहारी जलपानगृहों को लागू होगा।

17.22. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर के भीतर शराब, बीयर या अन्य आसव लिकर, कोकेन, अफीम, मार्फिया, गांजा और अन्य मादक द्रव्यों का न तो स्टाक या विक्रय करेगा और न उन्हें लाने तथा उपयोग करने की अनुज्ञा ही देगा। मादक द्रव्यों के विक्रय पर प्रतिषेध।

17.23. अनुज्ञप्तिधारी करार करता है कि टैरिफ में उल्लिखित प्रकार की खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी वस्तु विक्रय के लिए प्रस्थापित या अभिदर्शित नहीं की जाएगी और उसका विक्रय उस रीति से तथा संबंधित स्टेशन के तत्समय स्टेशन मास्टर के या रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अधिकारी के निरीक्षण और अनुमोदन के अधीन रहते हुए, किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी यह भी करार करता है कि प्रत्येक और सभी वस्तुएं और अन्य सामान, जिनके अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक वस्तु है जो उक्त परिसर में, उस पर या उसके भीतर बेची या प्रदर्शित की जाती है, सर्वोत्तम किस्म, वर्णन और प्रकार का होगा तथा वह रेल प्रशासन द्वारा अनुमोदित क्वालिटी, ब्रांड और कीमत का होगा। रेल प्रशासन ऐसी सभी वस्तुओं या किसी वस्तु और अन्य सामान को, जिसे वह उपयुक्त क्वालिटी का नहीं समझता है या जिसे लोक स्वास्थ्य के लिए अन्यथा ...कर समझे, तुरंत हटाए जाने या नष्ट किए जाने की मांग करने का हकदार होगा और अनुज्ञप्तिधारी रेल प्रशासन द्वारा की गई प्रत्येक मांग का तुरंत अनुपालन करेगा और वह ऐसी किन्हीं वस्तुओं के, जिनके हटाए या नष्ट किए जाने की उससे इस प्रकार अपेक्षा की जाती है, मूल्य के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। बेचे जाने वाले पदार्थों की क्वालिटी।

17.24. यदि रेल प्रशासन के अधिकारी विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण कराना लोकहित में आवश्यक समझते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे खाद्य पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण का खर्च वहन करने का करार करता है। खाद्य पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण।

17.25. अनुज्ञप्तिधारी जनता से भोजन, जलपान, आदि के लिए केवल वही कीमत लेगा जिसके लिए रेल प्रशासन ने समय-समय पर सहमति प्रकट की हो और अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर में टैरिफ या उन कीमतों की सूची ऐसी रीति से और उन स्थानों पर प्रदर्शित करेगा जिनके लिए रेल प्रशासन समय-समय पर निदेश दे। टैरिफ।

17.26. अनुज्ञप्तिधारी करार करता है कि वह केवल प्राधिकृत ठेकेदारों द्वारा विनिर्मित वातित जल ही बेचेगा और ऐसे प्राधिकृत ठेकेदारों के नाम रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएंगे। केवल वातित जल का विक्रय।

17.27. अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ में उल्लिखित वस्तुओं का अपने पास सदैव समुचित और पर्याप्त स्टाक रखेगा। पदार्थों का पर्याप्त स्टाक रखा जाना।

17.28. यदि अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा की जाती है तो वह ऐसे समयों पर और मौसमों में, जिनके लिए रेल प्रशासन निदेश दे, जन साधारण के उपभोग के लिए अपने पास पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में बर्फ रखेगा। वह बर्फ रेल प्रशासन द्वारा अनुमोदित समयों पर और दर पर बेची जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में रखेगा और यदि रेल प्रशासन आवश्यक समझता है तो उसे पहले से उबाल कर स्वच्छ और ढके हुए बर्तनों में तथा ठंडे स्थान पर रखेगा।

बर्फ का पर्याप्त स्टाक रखा जाना।

17.29. यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास ऐसे उपस्कर नहीं हैं, जिन्हें रेल प्रशासन किन्हीं विशिष्ट वस्तुओं के संतोषप्रद और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में तैयार किए जाने, भंडारण और विक्रय के लिए आवश्यक समझता है, तो रेल प्रशासन उन वस्तुओं के विक्रय का प्रतिषेध कर सकता है तथा ऐसा निर्बंधन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी के पास ऐसे उपस्कर नहीं आ जाते जो आवश्यक समझे जाते हैं। यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास संतोषप्रद उपस्कर उपलब्ध हैं, किन्तु उनका उचित रीति से उपयोग नहीं किया जाता है तो संबंधित वस्तुओं के विक्रय का प्रतिषेध किया जा सकेगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास आवश्यक उपस्कर नहीं हैं तो कुछ विशिष्ट वस्तुओं के विक्रय का प्रतिषेध।

17.30. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य पदार्थ तैयार हो जाने के पश्चात् भोजन बनाने के बर्तनों में न रखे जाएं और उन्हें उनमें से निकालकर उपयुक्त पात्रों में रखा जाए।

खाद्य पदार्थों को तैयार करने के पश्चात् उन्हें भोजन बनाने के बर्तनों में न रखना।

17.31. आसपास भयंकर महामारी फैल जाने पर अनुज्ञप्तिधारी रेल प्रशासन द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, टैरिफ में वर्णित सभी वस्तुओं या किसी वस्तु का विक्रय तब तक के लिए रोक देगा जब तक आवश्यक समझा जाता है और वह किसी ऐसी अवधि के लिए, जिसके दौरान विक्रय रोक दिया जाता है, रेल प्रशासन से प्रतिकर का दावा नहीं करेगा।

महामारी के दौरान विक्रय का बन्द किया जाना।

17.32. अनुज्ञप्तिधारी रेल प्रशासन के मुख्य खजांची, ...को प्रति वर्ष अग्रिम रूप में ... .रुपए (शब्दों में) (................. .... रुपए) का नकद या चैक द्वारा संदाय करेगा, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अनुज्ञप्ति फीस और किराया प्रभार।

(क) अनुज्ञप्ति फीस	................रुपए प्रतिवर्ष
(ख) भवन, भूमि, विद्युत संस्थापनों और फर्नीचर का, जिनकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाती है, किराया	................रुपए प्रतिवर्ष
(ग) जल प्रभार	................रुपए प्रतिवर्ष
(घ) उपकर प्रभार	................रुपए प्रतिवर्ष
(ङ) रेफ्रिजरेटर का किराया	................रुपए प्रतिवर्ष
योग	................रुपए प्रतिवर्ष

प्रशासन, आवश्यक समझे जाने पर, उपर्युक्त प्रभारों का पुनरीक्षण कर सकेगा।

प्रशासन संदाय की पद्धति को, अर्थात् एकमुश्त संदाय या किस्तों में संदाय करने की पद्धति को, प्रशासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चित रूप में परिवर्तन कर सकता है।

17.33. अनुज्ञप्तिधारी उपभोग किए गए जल और विद्युत के लिए रेल प्रशासन द्वारा नियत की गई दरों पर रेल प्रशासन को, मांग की जाने के पश्चात् सात दिन के भीतर नकद या चैक द्वारा संदाय करेगा। यदि उक्त परिसर में विद्युत की फिटिंग की हुई है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी क्वालिटी, मेक और केंडल शक्ति के बल्ब लगाएगा जिनकी रेल प्रशासन द्वारा अपेक्षा की जाए।

पानी और विद्युत के लिए संदाय तथा प्रकाश का ढंग।

17.33क. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार के ऐसे सभी रेटों, करों और निर्धारणों का संदाय भी करेगा, जो अनुज्ञप्तिधारी को आवंटित उक्त परिसर की बाबत सरकार, नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय को देय है या इसके पश्चात् संदेय हो जाएं।

नगरपालिका आदि को करों का संदाय।

17.34. अनुज्ञप्तिधारी रेल प्रशासन के मुख्य विद्युत इंजीनियर द्वारा जारी किए गए "विद्युत प्रदाय नियम और विनियम" का सभी दृष्टियों से पालन करेगा। इन नियमों की एक प्रति, लगाए गए मीटर के साथ, संलग्न है।

विद्युत प्रदाय नियमों और विनियमों का अनुपालन।

17.34क. रेल प्रशासन ने उक्त जलपान गृह/उपहार गृह में, इस करार से संलग्न अनुसूची "क" में अन्तर्विष्ट निबन्धनों पर, विद्युत-फिटिंग की व्यवस्था की है। **जलपान गृह में विद्युत व्यवस्था।**

17.35. अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा संविदा का सम्यक् रूप से और निष्ठापूर्वक पालन किए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में......................रुपए नकद, चेक द्वारा या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, जो रेल प्रशासन को स्वीकार्य हों, वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के पास जमा करेगा और इस निक्षेप पर, यदि वह नकद है तो, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और जब तक अनुज्ञप्तिधारी उक्त प्रतिभूति धन जमा नहीं करता/करते तब तक उसे/उन्हें संविदा को कार्यान्वित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। रेल प्रशासन पूर्वोक्त प्रतिभूति निक्षेप या उसके किसी भाग को ऐसी किसी राशि या किन्हीं राशियों का संदाय किए जाने या चुकाए जाने के लिए या उनके मद्धे किसी भी समय और समय-समय पर विनियोजित या उपयोजित कर सकता है या उपयोग में ला सकता है जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रेल प्रशासन को इस या किसी अन्य करार के अधीन शोध्य या देय हो जाएं, किन्तु इस खंड के उपबंध किसी ऐसे अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जिसे रेल प्रशासन ऐसी किसी राशि या किन्हीं राशियों की वसूली के लिए करने या प्रवर्तित कराने का हकदार हो। **प्रतिभूति निक्षेप**

यदि रेल प्रशासन द्वारा प्रतिभूति निक्षेप या उसके किसी भाग का इस करार के उपबंधों के अधीन समाहरण, विनियोग, उपयोजन या प्रयोग कर लिया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, मांग किए जाने पर, पूर्वोक्त रूप में समपहृत, विनियोजित, उपयोजित या प्रयोग की गई प्रतिभूति के स्थान पर इतनी अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा जिससे कि प्रतिभूति निक्षेप पूर्वोक्त रूप में अपेक्षित रकम के बराबर हो जाए।

17.36. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर में किसी जलपान या किन्हीं वस्तुओं के विक्रय के लिए विधि द्वारा अपेक्षित सब अनुज्ञप्तियां अभिप्राप्त करेगा और उनके लिए संदाय करेगा। **अनुज्ञप्तियां अभिप्राप्त करने की जिम्मेदारी।**

17.37. अनुज्ञप्तिधारी परिसर के भीतर किसी सहजदृश्य स्थिति में इस आशय का सूचनापट्ट प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा कि यदि प्रदाय किए गए खाद्य पदार्थ की खराब क्वालिटी के संबंध में या कर्मचारिवृन्द के विरुद्ध कोई शिकायत करना है तो वह उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई शिकायत पुस्तक में दर्ज की जा सके। रेल प्रशासन या उसके प्राधिकृत सेवक इस पुस्तक का निरीक्षण कर सकते हैं। **सूचना प्रदर्शित करना।**

17.38. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सुधार करेगा जो बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं और यात्रियों द्वारा सीधे की गई या स्टेशन पर रखी गई पुस्तक में लिखी गई, शिकायतों पर समुचित ध्यान देगा। **अपेक्षित सुधार करना।**

17.39. अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रबंध आदि के विरुद्ध ऐसी शिकायतों के लिए जो रेल प्रशासन की राय में सद्भाविक है और सिद्ध हो गई हैं, रेल प्रशासन द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा। यदि इस करार में अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है तो, अनुज्ञप्तिधारी इस करार के किसी खंड के उल्लंघन में की गई किसी कार्रवाई के लिए रेल प्रशासन के एकमात्र विवेकानुसार 100 रुपए तक की राशि के जुर्माने का संदाय करने के लिए भी, दायी होगा। **जुर्माना अधिरोपित किया जाना।**

17.39क. अनुज्ञप्तिधारी, इस प्रकार अधिरोपित जुर्माने का संदाय मांग, किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, करेगा और ऐसा करने में असफल रहने पर यह करार समाप्त किया जा सकेगा। **अधिरोपित जुर्माने का संदाय।**

17.40. यदि अनुज्ञप्तिधारी असंतोषप्रद सेवा प्रदान करता है या इस करार के निबंधनों और उपबंधों का रेल प्रशासन के समाधानप्रद रूप में (जो इस संबंध में एकमात्र निर्णायक होगा और जिसका विनिश्चय अंतिम होगा) कार्यान्वित करने में असफल रहता है, तो रेल प्रशासन को यह विकल्प होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी के खर्चे और उसकी जोखिम पर कोई ऐसी दूसरी व्यवस्था कर ले जो वह आवश्यक समझे या अनुज्ञप्तिधारी को कोई पूर्व सूचना दिए बिना इस करार को तुरन्त समाप्त कर दे और करार के इस प्रकार समाप्त कर दिए जाने की दशा में, इसके खंड 32 में निर्दिष्ट ... . रुपए की रकम का अविनियोजित अतिशेष और खंड 35 में उल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप, रेल प्रशासन को समपहृत हो जाएंगे **करार को संक्षेपतः रद्द किया जाना।**

तथा इस करार के इस प्रकार समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, अनुज्ञप्तिधारी का रेल प्रशासन या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी ऊपर विनिर्दिष्ट दूसरी व्यवस्था करने में रेल प्रशासन द्वारा उपगत सभी खर्चों और व्ययों की, यदि कोई है, प्रतिपूर्ति करने का करार करता है।

उप-पट्टे पर देना।

17.41. अनुज्ञप्तिधारी मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक / मंडल अधीक्षक के हस्ताक्षर से रेल प्रशासन की लिखित सम्मति प्राप्त किए बिना, इस करार या उसके अधीन किसी हित या उसके किसी भाग को समनुदेशित नहीं करेगा या उप-पट्टे पर नहीं देगा अथवा किसी को ऐसा भागीदार या ऐसे भागीदार नहीं बनाएगा जिसका / जिनका करार के अधीन कोई हित व्युत्पन्न हो जाए और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस खंड के उपबंधों या उनमें से किसी का व्यतिक्रम करके किया गया प्रत्येक कार्य रेल प्रशासन के विरुद्ध शून्य और निष्प्रभाव होगा।

कारबार का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रीति से चलाया जाना।

17.42. अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारी अपना कारबार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रीति से करेंगे तथा दिन या रात के समय सवारी डिब्बों के दरवाजों पर या प्लेटफार्म पर चिल्ला कर अपनी व्यवसाय-परक आवाज नहीं लगाएंगे तथा उक्त परिसर में इस प्रकार कार्यवाही नहीं करेंगे कि स्टेशन पर रेल प्रशासन के कार्य में या रेल प्रशासन के कर्मचारियों को या यात्रियों के आराम और सुविधा में बाधा पड़े। अनुज्ञप्तिधारी यह करार भी करता है कि वह सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपने सेवकों से भिन्न किसी व्यक्ति को उतने समय से अधिक समय तक उक्त परिसर में रहने की अनुज्ञा नहीं देगा जितना समय जलपान ग्रहण करने के लिए आवश्यक है।

अनुज्ञप्तिधारी और उसके / उनके कर्मचारियों का प्रशासन के आदेशों के अधीन होना।

17.43. अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारी सभी विषयों के संबंध में रेल प्रशासन के आदेशों के अधीन होंगे और इस करार में उल्लिखित सभी विषयों के संबंध में रेल प्रशासन का विनिश्चय अंतिम और आत्यंतिक होगा और अनुज्ञप्तिधारी उसे स्वीकार करके सुस्पष्ट रूप से उसके अनुसार कार्य करेंगे।

अनुज्ञप्ति फीस का प्रतिदाय अनुज्ञात न होना।

17.44. अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अवधि के लिए, जिसके दौरान उसके उपयोग और अधिभोग वाले परिसर को, उसकी मरम्मत करने, उसमें परिवर्तन करने, उसे हटाने या किन्हीं अन्य कारणों से, बंद करना पड़ता है और उस दौरान वह ऐसी जगह का अधिभोग करने में असमर्थ रहता है, अनुज्ञप्ति फीस या किराया आदि के पूर्णतः या भागतः प्रतिदाय या किसी प्रतिकर के लिए हकदार नहीं होगा। रेल प्रशासन, अनुज्ञप्तिधारी की किसी सम्पत्ति को, जिसके अन्तर्गत खाद्य-पदार्थ, माल और वाणिज्या तथा वस्तुएं और/या बर्तन तथा अस्थायी संरचनाएं भी हैं, या उसके द्वारा नियोजित सेवकों और कर्मचारियों को किसी प्रकार से हुई किसी हानि या नुकसान के लिए अनुज्ञप्तिधारी के प्रति दायी नहीं होगा। यदि रेल पर यातायात के निलंबन या रेल गाड़ियों के समय में परिवर्तन या गाड़ियों के विलंब से चलने के कारण, परिसर पर विक्रय करने के अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, उनमें अड़चन पैदा होती है या बाधा पहुंचती है, तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति फीस में किसी कमी या उसके प्रतिदाय का या किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

परिसर के किसी भाग पर फिर से कब्जा करने का रेल का अधिकार।

17.45. रेल प्रशासन को, यदि रेल के कार्यकरण के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है तो, अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर दिए बिना, परिसर के किसी भाग का कब्जा पुनः ग्रहण करने का अधिकार है।

यात्रियों और कर्मचारियों द्वारा लिए गए उधारों के लिए और दूषित वस्तुओं के विक्रय के लिए रेल का जिम्मेदार न होना।

17.46. अनुज्ञप्तिधारी का उक्त परिसर में चलाया जाने वाला कारबार एक मात्र अनुज्ञप्तिधारी की जोखिम पर चलाया जाएगा और रेल प्रशासन रेल गाड़ियों में या स्टेशन पर यात्रियों अथवा रेल प्रशासन के कर्मचारियों को उधार प्रदाय किए गए माल, वाणिज्या और वस्तुओं के लिए या उनके लेखे जिम्मेदार नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी यह भी करार करता है कि वह ऐसे नुकसानों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों के लिए ऐसे सभी दायित्वों से, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त परिसर में प्रदाय या विक्रय की गई खराब या संदूषित खाद्य वस्तुओं और वातित जल, डिब्बा बन्द रसद और अन्य सामान के कारण किसी यात्री या रेल कर्मचारी को हुई या उसके द्वारा उठायी गई हानि या क्षति के परिणामस्वरूप रेल प्रशासन या उसके किसी पदधारी को वहन करने पड़ते हैं, तथा ऐसी हानि या ऐसे नुकसान से जो अनुज्ञप्तिधारी, उसके सेवकों या अभिकर्ताओं की उपेक्षा या कपट के कारण रेल प्रशासन को पहुंचता है, रेल प्रशासन की क्षतिपूर्ति करेगा। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे नुकसानों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों का, मांग किए जाने पर, रेल प्रशासन को तत्काल संदाय करेगा।

17.47. अनुज्ञप्तिधारी यह करार करता है कि वह, रेल प्रशासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उक्त परिसर में कोई चित्र, मुद्रित या लिखित सूचना अथवा किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन या अन्य साहित्य प्रदर्शित नहीं करेगा। चित्र, सूचनाएं आदि प्रदर्शित करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करना।

17.48. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो जलपान-गृह/उपाहार-गृह का कर्मचारी नहीं है, जलपान-गृह/उपाहार-गृह में प्राधिकृत प्रवेश-द्वार से भिन्न प्रवेश-द्वार या निकास द्वार से निःशुल्क प्रवेश करने या निकलने नहीं देगा। प्रवेश करने या वहां से बाहर जाने की अनुज्ञा न देना।

17.49. रेल प्रशासन यह करार करता है कि जलपान का आदेश देने वाले तार रेल प्रशासन द्वारा प्रेषित किए जाने के लिए निःशुल्क स्वीकार किए जाएंगे। भोजन के लिए तार निःशुल्क स्वीकार किया जाना।

17.50. रेल प्रशासन ऐसे निःशुल्क पास देगा जिनका देना वह समय-समय पर आवश्यक समझता है। अनुज्ञप्तिधारी पास खो जाने की रिपोर्ट निकटतम स्टेशन मास्टर और रेल प्रसाशन तुरन्त को देगा और अनुज्ञप्तिधारी पास खो जाने के संबंध में रेल प्रशासन के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना के खर्च का, जैसा कि रेल प्रशासन द्वारा अधिकथित किया जाता है और ऐसी शास्तियों का, जो रेल प्रशासन द्वारा विहित की जाती है, संदाय करेगा। प्रशासन द्वारा निःशुल्क पास दिया जाना।

यदि अनुज्ञप्तिधारी का कोई कर्मचारी पास के बिना और उसके खो जाने के संबंध में रेल प्रशाभन को लिखित सूचना दिए बिना, यात्रा करेगा तो अनुज्ञप्तिधारी अधिकतम 50 रुपए की शास्ति के अतिरिक्त, रेल प्रशासन द्वारा उपबंधित पूरे किराए और शास्तियों का संदाय करने के लिए दायी होगा।

अनुज्ञप्तिधारी एक रजिस्टर अंग्रेजी में रखेगा जिसमें उसके कर्मचारियों को जारी किए गए[1] पास दर्ज किए जाएंगे और रेल प्रशासन इस रजिस्टर का किसी भी समय निरीक्षण कर सकेगा।

अनुज्ञप्तिधारी यह भी करार करता है कि रेल पासों का उपयोग इस संविदा के अधीन कारबार के संबंध में ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं और इस शर्त का कोई भंग स्वयं करार का भंग होगा।

नि.शुल्क पासों पर समस्त यात्रा संबंधित व्यक्तियों की पूर्णतः जोखिम पर होगी और पास पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को हुई किसी हानि के लिए या उसके साथ हुई किसी दुर्घटना या उसे पहुंची किसी क्षति के लिए प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास उसी सेक्शन के लिए, जिसके लिए उसे या उसके अभिकर्ता को पहले ही पास जारी किए जा चुके हैं, एक से अधिक संविदाएं हैं, तो इस संविदा के अधीन पासों का दूसरा सेट जारी करने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाएगा।

17.50क. अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित नियतकालिक कार्ड-पास दिए जाएंगे : नियत कालिक कार्ड-पास।

....

....

....

....

17.50ख. ऊपर निर्दिष्ट कार्ड-पास, पास के समाप्त हो जाने या अनुज्ञप्ति समाप्त कर दिए जाने या अनुज्ञप्ति की अवधि का अवसान हो जाने की तारीख से 7 दिन के भीतर रेल प्रशासन को अवश्य वापस कर दिए जाएं; ऐसा करने में असफल रहने पर अनुज्ञप्तिधारी, वापस न किए गए प्रत्येक पास के लिए 100/- रुपए की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा। कार्ड-पास की वापसी।

यदि अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे पासों के खो जाने की दशा में जिनकी अवधि समाप्त हो गई है, अनुज्ञप्ति समाप्त कर दिए जाने या उसका अवसान हो जाने की तारीख के सात दिन के भीतर पास खो जाने की सूचना नहीं देता है तो वह प्रति पास 100 रुपए की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।

बंधक करने या पट्टे पर देने की अनुज्ञा नहीं है

17.51. अनुज्ञप्तिधारी उस क्राकरी, गिलासों, छुरी-कांटों, प्लेटों और अन्य मेज उपस्कर, सामान और भोजन बनाने के बर्तनों या किसी भी प्रकार की अन्य सम्पत्ति को आडमान, बंधक या भारित नहीं करेगा या पट्टे पर नहीं देगा, जो उक्त परिसर में भंडारित की गई है, रखी गई है या उपयोग में लाई जाती है और जो उक्त परिसर में सभी समयों पर जलपान तथा सम्यक्, उचित और पूर्ण सेवा उपलब्ध करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक और अपेक्षित है।

अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने पर करार की समाप्ति।

17.52. यदि इस करार के चालू रहने के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी की या अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है, तो यह करार पूर्णतः समाप्त और पर्यवसित हो जाएगा और उक्त अनुज्ञप्तिधारी के वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों अथवा अन्य विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधियों का, इस करार के अधीन निक्षिप्त धन की बाबत उपबंधों के अधीन रहते हुए निक्षेप धन की वापसी के लिए दावे को छोड़कर, इस करार के अधीन कोई हित नहीं होगा : परन्तु इस खंड की कोई बात किसी ऐसे दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसे प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान, इसमें अन्तर्विष्ट किसी करार के भंग के लिए या उसके संबंध में या इस करार के उपबंधों के अधीन या उनके आधार पर रेल प्रशासन को प्राप्त क्षतिपूर्ति के किसी अधिकार के लिए या उसके संबंध में, रेल प्रशासन ऐसे वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों अथवा अन्य विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कर सकता है।

अपने अधिकार का प्रयोग करने में रेल की असफलता का, करार की विधिमान्यता पर प्रभाव न पड़ना।

17.53. इस करार के अधीन अपने किसी अधिकार का प्रयोग करने में किसी समय रेल प्रशासन की असफलता से इस करार की विधिमान्यता या बाद में किसी भी समय अपने अधिकारों को प्रवर्तित करने के रेल के अधिकार का किसी भी रूप में ह्रास नहीं होगा या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सूचना के बिना करार की समाप्ति।

17.54. रेल प्रशासन इस करार को निम्नलिखित दशाओं में से किसी भी दशा में, कोई सूचना दिए बिना किसी भी समय, तत्काल समाप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्:—

यदि अनुज्ञप्तिधारी व्यष्टि है तो उसे या यदि वह फर्म है तो ऐसी फर्म के किसी भागीदार को किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है, या उसके विरुद्ध रिसीवर की नियुक्ति का आदेश या उसकी सम्पदा प्रशासन का आदेश कर दिया जाता है, या तत्समय प्रवृत्त किसी दिवाला विषयक अधिनियम के अधीन परिसमापन या प्रशमन के लिए वह कोई कार्यवाही कराता है, या अपनी चीजबस्त का हस्तान्तरण या समनुदेशन करता है, या संदाय निलम्बित करने के लिए अपने लेनदारों के साथ कोई ठहराव या समझौता करता है या संदाय निलम्बित कर देता है, या भागीदार अधिनियम के अधीन फर्म विघटित कर दी जाती है, या यदि अनुज्ञप्तिधारी कंपनी है तो, कंपनी द्वारा संकल्प पारित कर दिया जाता है, और कंपनी का अनिवार्यतः या स्वेच्छया परिसमापन हो जाता है। इस करार के समाप्त कर दिए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी परिसर को तुरन्त शांतिपूर्वक खाली कर देगा और अनुज्ञप्तिधारी की अभिरक्षा या कब्जे में होने वाली रेल प्रशासन की सभी वस्तुएं रेल प्रशासन को सौंप देगा और उक्त परिसर से अपना सब सामान और चीज-बस्त हटा लेगा। व्यतिक्रम किए जाने की दशा में, रेल प्रशासन उक्त परिसर का कब्जा ग्रहण करने और उसे बन्द करने या किसी नुकसान के लिए दायी हुए बिना, अनुज्ञप्तिधारी का फर्नीचर या अन्य वस्तुएं, जो उसमें रखी हों, हटाने और उनका विक्रय द्वारा या अन्यथा व्ययन करने का हकदार होगा और इस संबंध में उपगत सभी खर्च रेल प्रशासन द्वारा विक्रय आगमों में से या खण्ड 35 में उल्लिखित निक्षेप धन में से, काट लिए जाएंगे।

करार की अवधि।

17.55. यह करार तारीख...........से प्रवृत्त होगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, किन्तु इसके उपबन्धों के अधीन इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

सूचना।

17.56. यह करार दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, कोई कारण बताए बिना, कम से कम एक कैलेंडर मास की लिखित सूचना देकर भी समाप्त किया जा सकेगा।

संदाय करके किसी उपस्कर को प्रतिधारित करने का विकल्प।

17.57. यदि यह करार समाप्त कर दिया जाता है तो रेल प्रशासन को वह उपस्कर, जिसकी व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी ने जलपान-गृह/उपाहार-गृह में की है, अनुज्ञप्तिधारी को उसके स्वीकृत मूल्य का, उसमें से टूट-फूट की उचित रकम घटाकर, संदाय करके प्रतिधारित करने का विकल्प होगा।

प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय ।

17.58. निक्षेप धन, इसमें उसके बारे में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अनुज्ञप्तिधारी को इस करार की समाप्ति के पश्चात्, एक कैलेंडर मास के भीतर वापस कर दिया जाएगा, किंतु यदि रेल प्रशासन और उक्त अनुज्ञप्तिधारी के बीच या रेल प्रशासन और किसी पर-व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच इस करार के संबंध में या उसके अधीन देय किन्हीं धनराशियों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो रेल प्रशासन उक्त प्रतिभूति निक्षेप को या उसके शेष भाग को तब तक रोक रखने का हकदार होगा, जब तक कि ऐसे विवाद का अवधारण नहीं हो जाता।

अनुज्ञप्तिधारी का कोई अभिधृति अधिकार न होना।

17.59. इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उससे अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में उक्त परिसर की अभिधृति का सृजन होता है और रेल प्रशासन इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर, अनुज्ञप्तिधारी के प्रति किसी भी रीति से दायी हुए बिना, उक्त भवन में स्वप्रेरणा से पुनः प्रवेश कर सकेगा और उस पर फिर से कब्जा करके उसे आत्यंतिक रूप से प्रतिधारित रख सकेगा।

प्रशासन के निर्वचन का अंतिम होना।

17.60. इस करार के अधीन या इसके संबंध में अथवा किसी भी रूप में इस विलेख के अर्थान्वयन, अर्थ या प्रभाव के विषय में, या उससे संबंधित या उसके बारे में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, विवादों और/या मतभेदों को (उन विषयों के बारे में प्रश्नों, विवादों और/या मतभेदों को छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पूर्व अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंध किया गया है) रेल प्रशासन के तत्कालीन मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/मंडल अधीक्षक के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए अथवा, यदि उसका पदनाम बदल जाता है या उसका पद समाप्त कर दिया जाता है तो, उस अधिकारी के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निशित किया जाएगा जिसे तत्समय, अन्य कृत्यों के साथ-साथ या उनके बिना, मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/मंडल अधीक्षक,. . . . . . रेल के कृत्य सौंपे गए हों और ऐसे अधिकारी का पदनाम चाहे जो भी हो, (जिसे इसमें आगे "उक्त अधिकारी" कहा गया है) और यदि . . . . .रेल का तत्कालीन मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/मंडल अधीक्षक या उक्त अधिकारी यह कार्य करने में असमर्थ है या इसके लिए रजामन्द नहीं है तो किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा, जो मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/मंडल अधीक्षक या उक्त अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है और जो ऐसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद है। ऐसी किसी नियुक्ति के विषय में यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि इस प्रकार नियुक्त किया गया मध्यस्थ सरकारी सेवक है, कि उसे इस करार से संबंधित विषयों की बाबत कार्यवाही करनी पड़ी है और कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में उसने विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी विषयों या किसी विषय पर अपना मत व्यक्त किया है। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

करार का तैयार किया जाना।

17.61. इस करार को तैयार और निष्पादित करने का खर्च पूर्णतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा और वह, मांग किए जाने पर, रेल प्रशासन को तुरंत संदेय होगा।

स्टाम्प खर्च।

17.61क. इस करार पर स्टाम्प शुल्क का खर्च रेल प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा।

मौखिक या लिखित वचनबंध का तब तक आबद्धकर न होना जब तक कि उसे करार में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता।

17.62. इसमें जैसा अन्यथा उपबंध है उसको छोड़कर, इस करार या इसके किसी निबंधन का परित्याग करने, उसमें परिवर्तन करने या उसे अनुपूरित करने वाले किसी मौखिक या लिखित ठहराव को सशर्त समझा जाएगा और वह रेल प्रशासन पर तब तक आबद्धकर नहीं होगा जब तक कि उसे इस करार पर पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता या किसी प्ररूपिक लिखत में सम्मिलित नहीं कर दिया जाता और उस पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते और उसे भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविधान के अनुच्छेद 299(1) के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से निष्पादित नहीं कर दिया जाता।

सूचना की तामील करने का ढंग।

17.63. इस करार में जैसा अन्यथा उपबंध है उसके अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी अन्य कार्रवाइयां उनकी ओर से मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/मंडल अधीक्षक द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा दी या की जा सकेंगी जिसे तत्समय उक्त मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां सौंपी गई हों।

डाक द्वारा तामील।

17.64. यदि अनुज्ञप्तिधारी पर तामील की जाने वाली कोई सूचना . . . . .में अनुज्ञप्तिधारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या अंतिम ज्ञात कारबार स्थान पर उसके पते पर परिदत्त कर दी जाती है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जाती है तो यह समझा जाएगा कि उसकी अनुज्ञप्तिधारी पर पर्याप्त रूप से

तामील हो गई है। यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रेल प्रशासन पर तामील की जाने वाली कोई सूचना मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक . . . . रेल . . . . के कार्यालय में छोड़ दी जाती है या उसके पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जाती है तो यह समझा जाएगा कि उसकी रेल प्रशासन पर पर्याप्त रूप से तामील हो गई है।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके उक्त पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। . . . .

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से	भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/मंडल अधीक्षक. . . . . . . रेल।
मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/मंडल अधीक्षक . . . . रेल ने	
. . . .	(1) . . . .
. . . .	(2) . . . .
. . . .	(3) . . . .
. . . .	(4) . . . .
. . . .	(5) . . . .
. . . .	(6) . . . .
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।	अनुज्ञप्तिधारी

. . . . .अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों ने . . . .

. . . .

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

अनुसूची 'क'

. . . . में स्थित जलपान गृह/उपाहारगृह में लगाई गई फिटिंगों का ब्यौरा:

बत्तियों की संख्या. . . . .

पंखों की संख्या. . . . .

प्लगों की संख्या. . . . .

विशेष फिटिंगें. . . . .

18.1. उक्त जलपान गृह/उपाहारगृह में वायरिंग और फिटिंग उक्त रेल प्रशासन द्वारा अपने खर्च पर की जाएगी। **वायरिंग और फिटिंग।**

जहां तक जलपानगृह/उपाहारगृह में लगाए गए विद्युत संस्थापन प्रभारों, जिनके अन्तर्गत मीटर की कीमत भी है, या किराए की वसूली का संबंध है, वे मुख्य करार के खण्ड (32) में दर्शित किराए/अनुज्ञप्ति फीस में सम्मिलित हैं।

18.2. अनुज्ञप्तिधारी बिजली के बल्बों को प्रथमतः लगाने और बाद में उन्हें बदलने का स्वयं अपना इंतजाम करेगा। **बल्ब लगाना।**

18.3. यदि रेल प्रशासन आवश्यक समझता है तो वह विद्युत ऊर्जा का उपभोग अभिलिखित करने के लिए उक्त जलपानगृह/उपाहारगृह में मीटर/मीटरों की व्यवस्था और उसे/उन्हें लगाने का कार्य, करेगा। **मीटरों की व्यवस्था।**

मीटर रीडिंग और संदाय।

18.4. अनुज्ञप्तिधारी बत्ती और पंखों के लिए उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा के खर्च का, मीटर रीडिंग के आधार पर ....प्रति बोर्ड आफ ट्रेड यूनिट की दर से संदाय करेगा, किन्तु यदि उक्त रेल प्रशासन ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह इस दर में किसी भी समय वृद्धि या कमी कर सकता है। यदि अलग मीटर नहीं लगाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत ऊर्जा के लिए 60 वाट तक के प्रत्येक बल्ब के लिए ....रुपए प्रतिमास और 60 से अधिक किन्तु 100 वाट तक के प्रत्येक बल्ब के लिए .. . . रुपए प्रति मास की नियत दर पर संदाय करने का करार करता है, किन्तु यदि रेल प्रशासन ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह इस दर में किसी भी समय वृद्धि या कमी कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी रेल प्रशासन की लिखित विशेष अनुज्ञा के बिना 100 से अधिक वाट के लैम्पों का उपयोग नहीं करेगा।

बिलों का संदाय।

18.5. यदि अनुज्ञप्तिधारी बिजली के बिलों का संदाय उस मास के, जिसके संबंध में वे बिल है, ठीक आगामी मास के अंत तक करने में असफल रहता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर, कोई और सूचना दिए बिना, विद्युत का प्रदाय काट दिया जाएगा और प्रदाय की गई ऊर्जा की कीमत नीचे उल्लिखित खंड 7 के अधीन दिए गए अग्रिम में से काट ली जाएगी। यदि बाद में पुनः कनेक्शन मांगा जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी ..... रुपए की पुनः कनेक्शन फीस का संदाय करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट राशियों में से कोई राशि, लिखित रूप में मांग किए जाने की तारीख से एक मास से अधिक समय तक बकाया रहती है, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रेल प्रशासन को प्रति वर्ष ....प्रतिशत की दर से ब्याज संदेय होगा।

रेफ्रिजरेटरों की फिटिंग का खर्च।

18.6. अनुज्ञप्तिधारी रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए रेफ्रिजरेटरों, वाटर कूलरों और बिजली की अन्य विशेष फिटिंगों की पूंजी लागत पर ब्याज, अनुरक्षण और अवक्षयण प्रभारों मद्धे प्रतिवर्ष ....प्रतिशत की दर से किराए का अग्रिम रूप में संदाय करेगा।

निक्षेप

18.7. अनुज्ञप्तिधारी (उपर्युक्त खंड 4 के अनुसार) ऊर्जा की दो मास की प्राक्कलित कीमत के बराबर राशि, रेल प्रशासन क पास जमा करेगा।

परिवर्तनों का खर्च।

18.8. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई परिवर्तन अपेक्षित होते हैं। तो वे रेल प्रशासन द्वारा किए जाएंगे और अनुज्ञप्तिधारी उनके खर्च का, उसमें सामान्य पर्यवेक्षण प्रभार जोड़कर, संदाय करेगा।

फिटिंग हटाने पर हुए खर्च का संदाय।

18.9 यदि अनुज्ञप्तिधारी बाद में उक्त रेल प्रशासन की लागत पर लगाई गई विद्युत की बत्तियों और या अन्य विद्युत फिटिंगों को हटाने का अनुरोध करता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे संस्थापन की मूल लागत तथा उसे हटाने के खर्च का, दोनों में ....प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार जोड़कर, और उसमें से हटायी जाने वाली फिटिंगों का वर्तमान मूल्य घटाकर, संदाय करेगा।

प्रदाय में अवरोध के लिए जिम्मेदारी।

18.10. उक्त रेल प्रशासन प्रदाय मे किसी भी कारण से होने वाले किसी अवरोध के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उसे किसी भी समय अल्पावधि सूचना देकर प्रदाय रोक देने का अधिकार होगा।

भारतीय विद्युत अधिनियम के उपबंधों का पालन।

18.11. जहां तक उक्त जलपानगृह/उपाहारगृह मे लगे विद्युत संस्थापन का संबंध है, अनुज्ञप्तिधारी भारतीय विद्युत अधिनियम के उपबंधों का पालन करने का करार करेगा और उसे प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा का उपयोग ऐसी रीति मे नही किया जाएगा जिससे अन्य उपभोक्ताओं को, जिनके अंतर्गत उक्त रेल प्रशासन भी है, दक्ष प्रदाय में बाधा पड़ती है।

यदि अनुज्ञप्तिधारी भारतीय विद्युत अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन करेगा या उक्त रेल प्रशासन की लागत पर लगाए गए संस्थापन को बिगाड़ेगा तो उक्त रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक समझी गई और मुख्य करार के खंड 39 के आधार पर उपयुक्त शास्तियां अधिरोपित की जाएंगी।

अनुज्ञप्तिधारी उन सभी नुकसानों के खर्च के लिए जिम्मेदार होगा। जो उसकी उपेक्षा के कारण या उसके नियोजन में किसी व्यक्ति की उपेक्षा के कारण विद्युत उपस्कर को पहुंचते है। उक्त रेल प्रशासन का मुख्य विद्युत इंजीनियर या उसका सहायक सभी समयों पर विद्युत उपस्कर तक आ जा सकेगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका उपयोग उचित ढंग से किया जा रहा है। किसी नुकसान के खर्च का निर्धारण मुख्य विद्युत इंजीनियर द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

सर्विस मेन से होनेवाली दुर्घटनाओं के लिए क्षतिपूर्ति।

18.12. अनुज्ञप्तिधारी उक्त जलपान-गृह/उपहार गृह में सर्विस मेन और विद्युत संस्थापन के कारण हुई किसी दुर्घटना से होने वाली सभी हानियों, वादों, नुकसानों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों मद्धे, चाहे वे विधिक हों या अन्य प्रकार के, तथा इस विषय में सभी दावों और मांगों मद्धे, उक्त रेल प्रशासन को हानिरहित और क्षतिपूरित रखेगा।

अनुक्रमणिका

अ

अग्रिम धन 1.6, 3.4, 6.2, 7.7, 14.4

अग्रिम धन की वापसी 1 10, 1.11, 7.9

अग्रिम धन न जमा करने के परिणाम . . . 13.3

अग्रिम धन का समायोजन 14.5

अधिनियमों का पालन . . . . 8XX(15)

अनुदेशों का पालन 82IX

अनुभव और वित्तीय स्थिति 1.17

अनुज्ञप्ति फीस 11.7, 12.5, 17.32

अनुज्ञप्ति फीस का प्रतिदाय 17.44

अनुज्ञप्ति समाप्त करने का अधिकारी 12.17

अनुज्ञप्ति की समाप्ति के परिणाम 16.17

अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकार 17.1

अनुज्ञप्तिधारी की सेवाएं 17 20

अनुज्ञप्तियां अभिप्राप्त करने की जिम्मेदारी . . . 17.36

अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारी 17.43

अनुज्ञप्तिधारी का कोई अभिधृति-अधिकार न होना 17.59

अन्य अनुज्ञप्तियां 12.10

अभिकर्ता, रेल का 8.II

अभिधृति का सृजन नहीं 11.11

अवरोध (प्रदाय में) के लिए जिम्मेदारी 18.10

आ

आने-जाने की सुविधा 11.5

आपात स्थिति 2.5

आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र 1.8, 7.17, 15 4

उ

उचित मजदूरी का संदाय 17.9

उधार और दूषित वस्तुओं के लिए जिम्मेदारी 17.46

उपकरण 2.10

उपपट्टे पर देना 17.41

उपपट्टे पर न दिया जाना, विशेषाधिकारों का 16.11

उपस्कर को प्रतिधारित करने का विकल्प 17.57

ए

एक मुश्तराशि 16.1

22—2 M of L & J/85

क

कर्तव्य पालन 8.III

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 2.27, 17.12

कपड़ों का संग्रह 5.3

करार तैयार किया जाना 17.61

करार के पक्षकार 2

करार की अवधि 5.1

करार की समाप्ति 5.12, 17.52

करार का संशोधन . . . . 8. XII

करार का प्रतिसंरहण . . . . 8. XIII

करार की समय पूर्व समाप्ति 16.17

करार में परिवर्तन 16.18

करार को संक्षेपतः रद्द करना 17.40

करार की समाप्ति, सूचना के बिना 17.54

करों का संदाय 17.33क

काम के घंटे 17.19

कार्य दिन 5.2

ख

खर्च और प्रभार 12.6

खाद्य पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण 17.24

खाद्य पदार्थों को भोजन के बर्तनों में न रखना 17.30

ग

गोमांस, शूकर मांस पर प्रतिबंध 18.21

च

चेतावनी 1.2

चित्र, सूचनाएं आदि के प्रदर्शन के लिए अनुज्ञा 17.47

चिल्लाने की मनाही 3.14

ज

जानबूझकर गलत सूचना देना 7.15

जुर्माने का अधिरोपित किया जाना 17.39

जुर्माने का संदाय 17.39क

जोखिम 10.4

ट

टिकटों का स्टाक . . . . 8.XXII(क), 9.1(क)(ii)

टिकटों का विक्रय आगम . . . . . . 8.XXII (घ)

टोकन 14.16

टैरिफ 17.25

ठ

ठेकेदार की जिम्मेदारी . . . . 8.XX(7)

ठेकेदार की जिम्मेदारी, माल भाड़े के लिए . . . 9.4

ड

डाक द्वारा तामील 17.64

डेमरेज 2.7

द

दंड 5.19

दर अनुसूची 2.37

दर और प्रभार . . . . 8.XX(10)

दरें 2.11, 9.9, 5.8

दरें, अधिसूचित 5.7

दरों में वृद्धि नहीं 1.5

दर स्वीकार करना 1.3

दावे 2.31, 8.XV

दावों का अवधारण 2.24

दावों का संदाय . . . . 16.9 (III)

दिवालिया होने के परिणाम 3.22

ध

धारणाधिकार 5.17

न

नकदी का प्रेषण 9.8

नातेदारों का प्रतिषेध 1.20

निबंधनों में परिवर्तन 8.XIII

नियोजन के घंटे 17.11

निर्वचन 17.60

विविदत्त रकम का संदाय 14.9

निविदा अंतिम होना 1.7

निविदा अस्वीकार करने का अधिकार 13.5, 14.11

निविदा आबद्धकर होना 6.3

निविदा आमंत्रण 1.1

निविदा का कड़ाई से पालन 11.9

निविदा खोला जाना 7.13

निविदा देना 15.1

निविदा पर हस्ताक्षर 7.12

निविदा, प्रत्येक स्टेशन के लिए 14.12

निविदा प्रारूप, एक ही 1.17, 7.3

निविदा प्रस्तुत करने का समय 14.2
निविदा भेजने की रीति 1.4, 7.1, 13.1, 14.1
निविदा, भागीदारी फर्म द्वारा 14.8
निविदा में काट-छांट 1.15, 7.5, 13.2
निविदा स्वीकार करने का अधिकार 1.14, 7.11
निविदा स्वीकार करने की तारीख 13.2
निविदा स्वीकृति की सूचना 7.20
निविदा सुपाठ्य हो 14.3
निविदा-शर्तों का पालन 6.1
निविदाकार की मृत्यु 7.16
निविदाकार को कार्य का अनुभव 7.14
निक्षेप 2.15
नुकसान 2.14
नुकसान की प्रतिपूर्ति 5.6
नुकसानी का परिशोधन 2.28
नुकसानी, परिनिर्धारित 12.9

प

परिभाषाएं 8.I
परिसर की सफाई 17.3
परिसर पर संरचनाएं 17.4
परिसर को सुसज्जित करना 17.5
परिवर्तन या परिवर्धन 16.5
परिवर्तनों का खर्चा 17.48
पर्यवेक्षण, वैयक्तिक 2.19
पर्यवेक्षण और प्रबंध 17.6
पाइप लाइन 11.3
पानी और विद्युत् के लिए संदाय 17.33
पास 2.13, 14.7
पास निःशुल्क 5.21, 17.50
पार्सल, आवक 8.IV, 9.2
पुलिस द्वारा सत्यापन 16.21
पूर्ववृत्त का सत्यापन 17.14
पोशाक, कर्मचारियों की 16.23
प्रचार सामग्री 8.XVI
प्रतिदाय 5.13, 9.7
प्रतिपूर्ति 16.10
प्रतिपूर्ति, कर्मचारी की 12.14

प्रतिभूति निक्षेप 1.9ख, 3.5, 7.12, 8.V, 9.10, 11.16, 12.8, 14.6, 16.9, 17.35
प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय 17.58
प्रतिभूति का समपहरण 3.17
प्रतिभूति की वापसी 1.10
प्रतिभूति, निविदा स्वीकृति पर 1.9
प्रतिषिद्ध सामग्री की बिक्री पर पाबन्दी 3.2
प्रदायों का पर्याप्त स्टाक 17.27
प्रपुंज तेल वैगन 11.6
प्रभारों की गणना 10.7
प्रभारों की दरें . . . 16.7
प्रभारों का संदाय 16.6
प्रभार बढ़ाने का अधिकार 12.7
प्रभार दर्शित करने के लिए ब्लैक बोर्ड 16.8
प्रशासनिक अधिकार 2.17
प्रशासन के कार्य 2.25
प्रस्थापना 7.8
प्रवेश करने या बाहर जाने प्रवेश की अनुज्ञा 17.48

फ

फिटिंग हटाने का खर्च 18.9
फिर से कब्जा करने का अधिकार 17.45

ब

बंधक करने या पट्टे पर देने की अनुज्ञा 17.51
बहियां और प्ररूप 9.5
ब्याज 2.16
ब्याज, देय धनराशि पर 11.18
बल्ब लगाना 18.2
बर्फ का रखा जाना 17.28
बालक नियोजन अधिनियम 16.14, 17.10
बिल 2.12, 5.7
बिलों का संदाय 18.5
बीमा 8.XXV
बीमा प्रभार 10.11
बीमार कर्मचारी 3.12
बुकिंग और प्रभार . . . . 8.XX(11)
बेचे जाने वाले पदार्थों की क्वालिटी 17.23
बोर्डों का प्रदाय . . . . (8.XXI 9)

रेलभूमि का अधिक्रमण 16.3क
रेल भूमि का उपयोग 12.1
रेल भूमि की अभिधृति 12.13
रेल प्रशासन का दायित्व 10.1

ल

लदाई उतराई 2.4
लदाई उतराई, कोयले की 2.8
लेखा-परीक्षा 8.VI
लेखा बहियों का निरीक्षण . . . . 8.XX(13)

व

व्यक्तिगत व्यवहार 3.11
व्यय और स्टाम्प शुल्क . . . . 8 XXVII, 11.13, 12.15
व्यवहार, यात्रियों से 3.15
वातित जल का विक्रय 17.26
वायरिंग और फिटिंग 18.1
वाहन व्यवस्था . . . . 8.XX(12)
विक्रय अधिकार 3.3
विक्रय कीमत 3.16
विद्युत् प्रदाय नियमों का पालन 17.34
विद्युत् व्यवस्था 3.9
विद्युत् व्यवस्था, जलपान गृहों में 17.34क
विधिक प्रभार 2.30
विधियों का पालन . . . . 8.XX(16), 10.10
विवरणियां 9.6
विनिर्दिष्ट दरें 8.XXI
विवाद, निपटारा आदि 2.34
विशेषाधिकार 11.8
विशेषाधिकार की शर्तें 11.10, 12.11
विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रतिषेध 17.29
विज्ञापन सामग्री 3.6

श

शंटिंग, हाथ से 2.3
शुद्धि पत्र 14.7
शर्तों का भंग 3.20
शर्त परिवर्तन 1.21, 2.41
शपथ पत्र 1.9
शांतिपूर्ण कार्य करना 17.42
श्रम अधिनियम 2.40
श्रमिक नियोजन 2.39
श्रमिक, बाहरी 2.9

भ

भवन क्रय करने का विकल्प 12.12

भागीदार 2.23

भारतीय विद्युत् अधिनियम का पालन 18.11

भाड़े और प्रभार . . . . . . 8.XX(8)

भंजन के लिए निःशुल्क तार 17.49

म

मजदूरी, उचित 2.29

मजदूरी संदाय अधिनियम 2.20, 3.13

महामारी के दौरान विक्रय बंद 17.31

महिलाओं के लिए सुविधा 17.16क

मृत्यु या दिवालिया होने के परिणाम 12.16

मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिषेध 17.17

माध्यस्थम् खंड 2.3, 4क, 2.25, 5.2, 8.XXVI, 11.19, 16.24

माप के अनुसार प्रभार 10.8

माल पारेषण . . . . 8.XX(2)

माल भाड़ा 8.XIV

मीटरों की व्यवस्था 18.3

मीटर रीडिंग और संधाय 18.4

मौखिक या लिखित वचनबंध 17.62

य

यातायात की मात्रा 7.18

यातायात सड़क से नहीं 8.XVI

यात्रियों की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना 17.16

यात्री बुकिंग . . . . 9.1(क)(i)

यानों की व्यवस्था 8.VIII

र

रकम का संदाय 15.2

रकम जमा करने का स्थान 25.3

रिश्वत और कमीशन 2.35

रिसन के लिए नोट 10.5

रेखांक 14.14

रेखांक, संरचना के लिए 11.5

रेफ्रिजरेटरों की फिटिंग 18.6

रेट, कर और निर्धारण 16.4

अपने अधिकार के प्रयोग में रेल की असफलता 17.53

रेल भू-खंड 4.1

स

संदाय की पद्धति	3.8, 8.XXIII
संरचना, स्थायी	12.2
संरचना, अस्थायी	12.3
संरचना के रेखांक	12.4
संविदा अवधि	14.13
संविदा उप पट्टे पर देना	2.21, 3.18, 5.10
संविदा कार्य	2.1, 3.1
संविदा का निलंबन	5.18
संविदा का निष्पादन	2.18, 5.14
संविदा में परिवर्तन	5.15
संस्थापन का निर्माण	11.2
सद्भाविक ग्राहकों के अधिकार	17.18
सफाई और जल प्रभार	2.26
समय संविदा का मर्म	5.5
सामग्री	10.2
सिटी बुकिंग कार्यालय	8.XX(5)
साइकिल स्टैंड	16.2
साइकिल स्टैंड का प्रयोग	16.3
सुधार करना	17.38
सूचनाएं	2.36, 3.27, 5.20, 8.XVIII, 8.XXVIII, 17.56
सूचना की तामील	5.24 11.15, 12.18 16.20, 17.63
सूचना प्रदर्शित करना	17.37
सेवकों का नियोजन और वर्दियां	17.8
सेवा करने में असफलता	8.X
स्टांप खर्च	1.12, 5.23, 8.XXVII 11.13, 12.15, 14.10, 16.19, 17.61
स्टैंड	15.4
स्थान भाड़ा	10.9
स्थान-भाड़ा प्रभार	8.XXIV
स्थापन, टोकनों और रजिस्टरों की व्यवस्था	16.22
स्वास्थ्य परीक्षा	17.15

ह

हाजिरी रजिस्टर	17.13
हानि या नुकसान की जिम्मेदारी	8.VII

क्ष

क्षतिपूर्ति	2.22, 3.23, 5.16, 8.XX(9), 11.2, 16.12
क्षतिपूर्ति, रेल की	8.XX(14)
क्षतिपूर्ति, सर्विस मेन से होने वाली दुर्घटना के लिए	18.12

विक्रेता—(1) प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110 001.

(2) प्रकाशन-नियन्त्रक, भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110 054.